

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण



वित्तीय वर्ष 2025-26



सरवी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

रजिस्टर्ड कार्यालय : प्लॉट नं. 8-बी, रुपवास रोड़, भवानी टॉप, अलवर (राज.) 301002

कंपनी के मूल्य

- कंपनी का हित सर्वोपरि
- ईमानदारी
- जिम्मेदारी
- परस्पर सहयोग
- गुणवत्ता
- दूरदर्शिता
- समय की पाबंदी

ध्येय वाक्य

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी अपनी सभी सदस्याओं से गुणवत्तायुक्त दूध का संकलन लाभकारी मूल्य पर करेगी और दूध उत्पादन में वृद्धि एवं व्यवसाय से लाभ अर्जित करने के लिए पशु नस्ल सुधार एवं तकनीकी सुविधाएँ उपलब्ध कराएगी। कंपनी अपनी सदस्यताओं की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति के लिए कृत संकल्प है।

दीर्घ दृष्टि वाक्य

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी दूध व्यवसाय के क्षेत्र में उत्तरी भारत की दूध व्यवसाय से जुड़ी प्रमुख संस्थाओं में से एक होगी। कंपनी अपने कार्यक्षेत्र की दूध उत्पादक महिलाओं की पहली पसंद होगी और दूध एवं दूध उत्पादों की उच्च गुणवत्ता के लिए जानी जाएगी।





निदेशक मंडल
(31 मार्च 2026 को स्थिति)

1.	श्रीमती ललिता	:	अध्यक्षा
2.	श्रीमती दया शर्मा	:	निदेशक
3.	श्रीमती सावित्री यादव	:	निदेशक
4.	श्रीमती पूनम कुमारी	:	निदेशक
5.	श्रीमती बबिता	:	निदेशक
6.	श्रीमती सुमन देवी	:	निदेशक
7.	श्रीमती सुमन कुमारी	:	निदेशक
8.	श्रीमती सविता कुमारी	:	निदेशक
9.	श्रीमती गायत्री सिंहाग	:	निदेशक
10.	श्रीमती सरोज देवी	:	निदेशक
11.	श्रीमती सुमन शर्मा	:	अतिरिक्त निदेशक
12.	श्री बलजिंदर सिंह	:	विशेषज्ञ निदेशक
13.	श्री रघु हासन मल्लेगोड़ा	:	विशेषज्ञ निदेशक
14.	श्री नरेंद्र सिंह बाहगा	:	विशेषज्ञ निदेशक
15.	श्रीमती रचना देवधर गोयल	:	मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

वैधानिक अंकेक्षक
मैसर्स केएमजीएस एंड
एसोसिएट, दिल्ली

आंतरिक अंकेक्षक
मैसर्स केपीएमजी एश्योरेस
एंड कंसल्टिंग सर्विसेज
एलएलपी, गुरुग्राम,
हरियाणा

कंपनी सचिव
श्री सौरभ जैन

वित्त प्रबन्धक
श्री धीरज जैन

बैंकर्स
बैंक ऑफ़ बडौदा, अलवर
एक्सिस बैंक, अलवर
आईसीआईसीआई बैंक, अलवर
बैंक ऑफ़ इंडिया, अलवर
स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, अलवर,
आईडीबीआई बैंक, अलवर
पीएनबी बैंक, अलवर

पंजीकृत कार्यालय

पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट संख्या -8-बी, रूपवास रोड, भवानी तोप, अलवर -301002

कोर्पोरेट पहचान संख्या: U01122RJ2016PTC049648

टेलीफोन 0144-2330332

ई-मेल: alwar.mpc@gmail.com वेबसाइट: www.sakhimilk.com

रजिस्ट्रार एवं ट्रान्सफर एजेंट (आर.टी.ए.)

बीटल फाइनेंसियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

बीटल हाउस, तीसरी मंजिल, 99, मदनगौर, एलएससी के पीछे, दादा हरसुखदास मंदिर के पास
नई दिल्ली-110062

अनुक्रमणिका

क्रम स.	विवरण	पेज
1.	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट	3—15
2.	अंकेक्षको की रिपोर्ट एवं उनके अनुलग्नक	16—28
3.	वित्तीय खाते एवं उनके नोट्स	29—53
4.	ग्यारहवीं वार्षिक आम सभा का नोटिस एवं सम्बंधित अनुलग्नक	54—103
5.	वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट	104—105
6.	प्रतिनिधि फॉर्म	106—107
7.	प्राप्ति रसीद	108
8.	उपस्थिति पर्ची	109
9.	सहमति फॉर्म	110

**निदेशकों की रिपोर्ट****सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड की सदस्याओं के लिए:-**

निदेशकों को 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) के अंकेक्षित खातों के साथ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

कम्पनी का निगमन, कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत एक उत्पादक कम्पनी के रूप में 19 मार्च 2016 को राजस्थान राज्य में किया गया जो सदस्यों से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का प्राथमिक तौर पर संग्रहण, क्रय तथा प्रसंस्करण करने एवं उनके विपणन संबंधी सभी प्रकार की क्रियाओं हेतु किया गया।

वित्तीय परिणाम:-

संक्षिप्त में वित्तीय प्रदर्शन निम्न प्रकार हैं:-

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (राशि लाख रुपये में)	31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (राशि लाख रुपये में)
संचालन से राजस्व	85,165.06	70,086.96
अन्य आय	330.59	282.49
कुल राजस्व	85,495.65	70,369.45
कुल खर्च	85,384.78	70,291.24
असाधारण मद और कर के पूर्व लाभ/(हानि)	110.87	78.21
असाधारण मद	49.11	-
कर के पूर्व लाभ/(हानि)	61.76	78.21
कर के लिए प्रावधान	18.05	17.01
कर के पश्चात लाभ/(हानि)	43.71	61.20

कम्पनी के संचालन का विवरण:-

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान परिचालन से कुल राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में 70,087 लाख से बढ़कर 85,165 लाख हो गया, इस प्रकार इसमें 21.51 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वर्ष के कुल व्यय



रुपये 70,291 लाख की तुलना में वृद्धि के साथ रुपये 85,385 लाख रहे हैं। कर पश्चात लाभ घटकर 44 लाख हो गया, जबकि पिछले वर्ष यह 61 लाख था।

सीमित लाभांश:-

कम्पनी के निदेशक मण्डल ने 7 रुपये प्रति समता अंश की दर से 20,94,761 समता अंशों पर कुल रुपये 1,46,63,327 (एक करोड़ छियालीस लाख तिरसठ हजार तीन सौ सत्ताइस रुपये) लाभांश (डिविडेंड) की राशि देने की अनुशंसा की है। लाभांश (डिविडेंड) का भुगतान उन सदस्यों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च 2026 को कम्पनी के सदस्यता रजिस्टर में पंजीकृत है।

सामान्य संचय में हस्तान्तरण:-

कम्पनी के अन्तर्नियमों के अनुच्छेद 11.10 के साथ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZI के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मण्डल ने 43,70,846 /- (तेतालीस लाख सत्तर हजार आठ सौ छियालीस रुपये) की राशि को वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए बैलेन्स-शीट में सामान्य संचय में क्रेडिट के लिए हस्तान्तरण करने का प्रस्ताव किया है।

संचालन की समीक्षा:-

दुग्ध संकलन

कम्पनी दुग्ध संकलन का संचालन राजस्थान राज्य के अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, चुरू, बीकानेर और धोलपुर जिलों में और हरियाणा राज्य के फतेहाबाद, सिरसा में, पंजाब के मानसा एवं भटिंडा एवं मध्यप्रदेश के भिंड एवं मुरैना जिलों में कुल 2,868 गाँवों में 26 एमसीसी एवं 22 बीएमसी के माध्यम से कर रही है। वर्ष के दौरान, कम्पनी ने 15,50,35,835 लीटर तरल दुग्ध का संकलन किया है।

वित्तीय वर्ष के अन्त में कम्पनी के पास 76,431 बोर्ड अनुमोदित सदस्य थे। इस प्रकार सदस्यों ने कम्पनी के कार्यों में अपना विश्वास दिखाया है। यह स्वस्थ संकेतक कम्पनी की विकास गाथा को दर्शाता है, जो निश्चित रूप से अधिक से अधिक सक्रिय सदस्यों के परस्पर सहयोग और समर्थन के साथ आने वाले वर्षों में उच्चतम शिखर तक पहुँच जायेगा। सदस्याओं को कम्पनी में नियमित दुग्ध आपूर्ति को प्रोत्साहित करने के लिए कम्पनी ने अपनी सदस्याओं को चार करोड़ अड़सठ लाख रुपये का प्रोत्साहन दिया है।



जहाँ तक खरीद मूल्यों का सम्बन्ध है, कम्पनी अपने द्वारा आपूर्ति किए जा रहे दुग्ध के प्रति अपने सदस्यों को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य का भुगतान करती रही है।

कम्पनी लगातार लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने, बेहतर पर्यवेक्षण, गुणवत्ता जाँच और बेहतर लॉजिस्टिक नियंत्रण आदि के माध्यम से क्षमता को बढ़ाने और उत्पादकता को अधिकतम करने का प्रयास कर रही है।

विपणन, बिक्री एवं वितरण: -

कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष में मदर डेयरी के दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग शुरू की थी और इस वित्तीय वर्ष के अंत तक राजस्थान के अलवर ज़िले में दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स की बिक्री लगभग 11,382 KLPD तक पहुँच गई।

विलय एवं समामेलन:-

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल ने रूहानी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के विलय की योजना को मंजूरी दी है।

उत्पादकता बढ़ाने हेतु सेवाएँ:-

कृत्रिम गर्भाधान (AI) सेवाएँ:-

कम्पनी ने प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं के माध्यम से किसानों के लिए गुणवत्ता युक्त कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं को लागू किया है, ताकि दुधारू पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि के साथ-साथ कम लागत में दुग्ध उत्पादन बढ़ सके, जिसके फलस्वरूप दुग्ध उत्पादकों की आय में वृद्धि की जा सके।

इस कार्यक्रम हेतु कम्पनी द्वारा ग्रामीण स्तर पर युवकों का चयन के पश्चात NDDB के प्रशिक्षण केन्द्रों में कृत्रिम गर्भाधान सेवा का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कृत्रिम गर्भाधान की दिनांक से 21 दिनों के बाद पशु की पुनः गर्मी की जाँच, 90 दिनों के बाद गर्भधारण की जाँच एवं ब्याने तक का विवरण भारत पशुधन सॉफ्टवेयर में सुरक्षित रखा जाता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने अपने दुग्ध उत्पादकों के लिए लगभग 30,625 AI की है। (प्रथम AI फॉलोअप में 46 प्रतिशत की गर्भाधान दर की निरन्तरता)



बाँझपन उपचार शिविर:-

क्यों कि बाँझपन पशुपालन को लाभदायक व्यवसाय बनाने में एक बड़ी बाधा है, इसलिए कम्पनी अपने संचालन क्षेत्र में बाँझपन उपचार शिविरों का आयोजन कर रही है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कम्पनी ने कुल 485 बाँझपन उपचार शिविरों में 8,003 मवेशियों का परीक्षण किया। जाँचे गए मवेशियों में से 7,320 मवेशियों को एनेस्ट्रस (anestrous) से पीड़ित पाया गया, जिसके लिए उचित उपचार दिया गया है और कुल 6,766 मवेशी ठीक हो गए हैं।

कैलिफोर्निया मास्टिटिस टेस्ट (CMT):-

मास्टिटिस, एक संभावित घातक स्तन ग्रंथि संक्रमण दुनिया भर में डेयरी मवेशियों में सबसे आम बीमारी है। यह डेयरी उद्योग के लिए सबसे महंगी बीमारी भी है। और यह दूध उत्पादन को भी प्रभावित करता है इसलिए, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने दुग्ध उत्पादक मवेशियों के लिए कुल 18,793 सीएमटी (कैलिफोर्निया मास्टिटिस टेस्ट) आयोजित करवाए। परीक्षण किए गए कुल मवेशियों में से 5,746 मवेशी उक्त बीमारी से ग्रसित पाए गए, जिनका इलाज किया गया एवं इन्हें ठीक किया गया।

पशु आहार:-

कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लगभग 11930 मीट्रिक टन पशु आहार बेचा, जबकि पिछले वर्ष यह 8922 मीट्रिक टन था, जो 33 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

खनिज मिश्रण:-

कम्पनी ने संचालन के क्षेत्र में उपलब्ध चारे, जलवायु और खिलाने की आदतों को ध्यान में रखते हुए अपने ब्रांड नाम के तहत खनिज मिश्रण विकसित किया है और स्वास्थ्य, दुग्ध उत्पादन और दुग्ध पशुओं के प्रजनन में सुधार के लिए उत्पादकों को प्रतिस्पर्धी मूल्य पर उपलब्ध करा रहा है। कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 99 मीट्रिक टन खनिज मिश्रण का विक्रय किया।

गुणवत्तापूर्ण पहल:-

सभी मिल्क चिलिंग सेंटर (एमसीसी) एवं बालक मिल्क कूलर (बीएमसी) जिनका उपयोग किया जा रहा है, कच्चे दुग्ध की गुणवत्ता परीक्षण के लिए बुनियादी परीक्षण सुविधाओं और उपकरणों से पूर्णतः सुसज्जित



हैं। कम्पनी के संचालन में उच्च गुणवत्ता के स्तर को सुनिश्चित करने और बनाए रखने की दिशा में, कम्पनी ने स्वच्छता पर जोर देने के साथ सभी सम्बन्धितों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया है जो सीधे दुग्ध की गुणवत्ता से जुड़े हैं। ग्राम स्तर पर स्वच्छ दुग्ध उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए 509 स्वच्छ दुग्ध उत्पादन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 19309 सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया। दूध में मिलावट की जाँच के लिए अवशीतन केन्द्रों पर मिलको स्क्रीन मशीन स्थापित की गई है।

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम:-

सदस्यों को डेयरी से सम्बन्धित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों पर प्रशिक्षण दिया गया, ताकि वे अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को समझ सकें। सदस्यों, संभावित सदस्यों और कर्मचारियों को शामिल करते हुए समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

वर्ष 2025-26 के दौरान आयोजित प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नानुसार थे -

क्रम सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	आयोजित प्रशिक्षणों की संख्या	प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या
1	सहायको के लिए रिफ्रेशर कार्यक्रम	24	2320
2	गुणवत्ता और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन कार्यक्रम	1628	49600
3	उत्पादक जागरूकता कार्यक्रम	2376	71020
4	उन्मुखीकरण कार्यक्रम (वीसीजी)	138	3850
5	उन्मुखीकरण कार्यक्रम (एमआरजी)	80	2220
6	ग्राम संपर्क समूह बैठकें	9620	48085
7	कर्मचारियों के लिए जीका प्रशिक्षण	8	120

बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण

साल के दौरान, NDDDB, आनंद में प्रोड्यूसर निदेशकों के लिए तीन दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही, उन्हें डेयरी व्यापार और मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में बेहतर समझ देने के लिए अमूल खेड़ा यूनियन (आनंद, गुजरात) और गुजरात के मुजकुवा गाँव का शैक्षिक दौरा आयोजित किया गया।

वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद सामग्री में परिवर्तन:-

31.03.2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष से इस रिपोर्ट की तारीख तक सामग्री/आवश्यक पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और नियामकों और न्यायालयों द्वारा कोई महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया है, जिससे कम्पनी की स्थिति और इसके भविष्य का संचालन प्रभावित हो।

व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन:-

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरण:-

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(5) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार, ऐसे मामलों में जहां कंपनी के अवैतनिक लाभांश खाते में रखे गए लाभांश उनके हस्तांतरण की तारीख से सात साल की अवधि के लिए अदावाकृत या असंदत रहते हैं, कंपनी ऐसे बकाया लाभांश को किसी भी अर्जित ब्याज के साथ निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में स्थानांतरित करने के लिए बाध्य है। धारा 125(1) के तहत स्थापित आईईपीएफ, अदावाकृत लाभांश के लिए सुरक्षा के रूप में कार्य करता है।

चूँकि कंपनी ने अपने सभी शेयरधारकों को पूर्ण लाभांश का भुगतान कर दिया है और कंपनी में कोई असंदत लाभांश नहीं है, इसलिए कंपनी को निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि के लिए अवैतनिक लाभांश खाते में कोई भी राशि स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है।

अंश पूंजी और सदस्यता:-

31 मार्च, 2026 तक, प्रदत्त समता अंश पूंजी 2094.761 लाख रुपये थी, जिसमें कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में सौ रुपये के 20,94,761 समता अंश और 76,431 सदस्या शामिल थी।



31 मार्च, 2026 के बाद, कंपनी ने 4,661 सदस्यों की सदस्यता रद्द कर दी है, जिनके पास 95,427 शेयर हैं और 1,953 नए सदस्यों को नामांकित किया है और नए और मौजूदा सदस्यों को 104.275 लाख रुपये की शेयर पूंजी आवंटित की है और इसलिए, इस रिपोर्ट की तारीख तक सदस्यों की कुल संख्या 73,723 है, जिनके पास 2103.609 लाख रुपये की शेयर पूंजी है।

वोट देने का अधिकार एवं वार्षिक आम सभा में उपस्थिति:-

वे दुग्ध उत्पादक, जो इस रिपोर्ट की दिनांक को सदस्य थे, वार्षिक आम सभा में भाग ले सकेंगे। वोट का अधिकार हर उस सदस्य को होगा, जिसने वित्तीय वर्ष 2025-26 में कम से कम 200 दिन और 500 लीटर दुग्ध की आपूर्ति की हो।

निदेशक मण्डल:-

कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 9.6 के संदर्भ में, श्रीमती सुमन देवी (डीआईएन 10299351), श्रीमती ललिता (डीआईएन 09678803) और श्रीमती पूनम कुमारी (डीआईएन 10301959) आगामी वार्षिक आम सभा में चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होंगी और कंपनी की अतिरिक्त निदेशक श्रीमती सुमन शर्मा, वित्तीय वर्ष 2025-26 के पेट्रोनेज डेटा के आधार पर निदेशक के तौर पर नियुक्त होने के लिए अयोग्य हो गई हैं।

श्रीमती ललिता (डीआईएन 09678803) पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होने के कारण स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करती हैं और श्रीमती सुमन देवी (डीआईएन 10299351) और श्रीमती पूनम कुमारी (डीआईएन 10301959) अपात्र होने के कारण स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत नहीं करती हैं और परिणामस्वरूप रिक्ति श्रीमती सीता ढाका (डीआईएन 11896498) (क्लास बी का प्रतिनिधित्व), श्रीमती दुर्गा देवी सैनी (डीआईएन 11896519) (क्लास बी का प्रतिनिधित्व) एवं श्रीमती पूनम (डीआईएन 11896537) (क्लास सी का प्रतिनिधित्व) की नियुक्ति से भरी जा सकती हैं।

निदेशकों के दायित्व सम्बन्धी विवरण:-

जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के तहत आवश्यक है। कम्पनी के निदेशक पुष्टि करते हैं कि -



(क) वित्तीय वर्ष के लेखे तैयार करते समय लागू होने वाले लेखांकन मानकों का उचित व्याख्या सहित अनुपालन किया गया है।

(ख) निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया है और उन्हें निरन्तर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान किए हैं जो कि इतने तर्कसंगत और उपयुक्त हैं कि 31 मार्च 2026 तक कम्पनी के कारोबार की स्थिति तथा इस अवधि के दौरान कम्पनी के लाभ का सही एवं उचित दृश्य प्रस्तुत कर सकें।

(ग) कम्पनी की सम्पत्तियों की सुरक्षा के साथ छल-कपट/धोखेबाजी को रोकने तथा बचाव हेतु इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों ने सही लेखे तैयार करने तथा उनके रख-रखाव के लिए आवश्यक, पर्याप्त एवं उचित सावधानी रखी है।

(घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखाओं को चालू संस्था के आधार पर तैयार किया है।

(ङ) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और यह कि ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

अंकेक्षक:-

कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों, मैसर्स केएमजीएस एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दिल्ली को कंपनी की अपनी छठी वार्षिक आम बैठक में वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक 5 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया।

आन्तरिक नियंत्रण पद्धति तथा अंकेक्षण:-

कम्पनी में संपत्तियों की सुरक्षा के लिये तथा सभी प्रकार के व्यवहारों को अधिकृत करने, दर्ज करने तथा सही सूचना देने के लिये सही एवं उचित आन्तरिक नियंत्रण पद्धति विद्यमान है। आन्तरिक लेखा परीक्षक स्वतंत्र रूप से कम्पनी की आन्तरिक नियंत्रण पद्धति की औचित्यता की समीक्षा करने के साथ-साथ नियमित रूप से कम्पनी के खातों एवं व्यवहारों का अंकेक्षण करते हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक बाहरी फर्म, यानी मैसर्स केपीएमजी एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग सर्विसेज एलएलपी को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी का आन्तरिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया है।



हितधारक संबंध समिति:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(5) की आवश्यकता के अनुसार कंपनी के हितधारकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए बोर्ड द्वारा हितधारक संबंध समिति का गठन किया गया था। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हितधारक समिति की बैठक 30 मार्च 2026 को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में की गयी थी, जिसमें समिति के समस्त तीन सदस्य उपस्थित थे।

मानव संसाधन:-

कम्पनी से सम्बंधित लोग कम्पनी की संपत्ति हैं और कम्पनी के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके जुनून, प्रतिबद्धता, स्वामित्व की भावना और टीम वर्क ने कम्पनी को विकसित होने में सक्षम बनाया है। कम्पनी हमेशा एक सकारात्मक, सहायक, खुले और उच्च प्रदर्शन कार्य संस्कृति और पर्यावरण की पेशकश करने के लिए प्रयासरत है जहाँ नवाचार को प्रोत्साहित किया जाता है, प्रदर्शन को पहचाना जाता है और कर्मचारियों को अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास करने के लिए प्रेरित किया जाता है। कम्पनी के विजन, मिशन और वैल्यूज का पालन कम्पनी के दीर्घकालिक विकास को बनाए रखने के लिए संगठन के सभी स्तरों पर अक्षरशः किया जा रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी:-

सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनी के विभिन्न कार्यों को सहायता प्रदान करती हैं और सिस्टम को सुव्यवस्थित और ऑनलाइन बनाने में मदद करती हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य कार्य संचालन में दक्षता में सुधार करने, सही सूचना के आधार पर निर्णय लेने और राजस्व बढ़ाने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियाँ प्रदान करना है। हमारी कम्पनी में सूचना प्रौद्योगिकी का हस्तक्षेप, सिस्टम को सुव्यवस्थित और ऑनलाइन बना रहा है।

वर्ष के दौरान कंपनी ने उद्योग मानकों के साथ संरेखण सुनिश्चित करने और अनुपालन एवं सुरक्षा बढ़ाने तथा दैनिक दूध खरीद, सदस्यता प्रबंधन, शेयरधारिता विवरण आदि जैसे विशाल मात्रा में डेटा के प्रबंधन की चुनौतियों का समाधान करने के लिए SAP सॉफ्टवेयर को क्रियान्वित किया है, जिससे संगठन में एकीकृत योजना बनाना संभव हो पाया है।

**कर्मचारियों का विवरण:-**

रिपोर्ट के अन्तर्गत वर्ष के दौरान, कम्पनी के किसी भी कर्मचारी को कम्पनी अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा के बराबर या उससे अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हुआ।

ऊर्जा संरक्षण, शोध एवं विकास, तकनीकी समावेश, विदेशी विनिमय आय तथा निकासी:-

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के तहत आवश्यक ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, और विदेशी मुद्रा आय और व्यय से संबंधित जानकारी, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के प्रावधानों के साथ पठित और अध्याय XXIA का विवरण इस प्रकार है:

ए) कंपनी विनियमों के भाग ए और बी और ऊर्जा संरक्षण और तकनीकी समावेश के सम्बन्ध में कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

बी) वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा आय और व्यय का विवरण इस प्रकार है:

विदेशी मुद्रा अर्जन - शून्य विदेशी मुद्रा व्यय - शून्य

बोर्ड बैठकें:-

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल की सात (7) बैठकें विधिवत रूप से आयोजित की गईं। इस अवधि के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:-

बोर्ड बैठक की संख्या	बोर्ड बैठक की दिनांक	बोर्ड की क्षमता	उपस्थित निदेशकों की संख्या
61 ST	20.05.2025	14	13
62 ND	07.07.2025	15	12
63 RD	29.08.2025	15	14
64 TH	14.10.2025	14	14
65 TH	05.12.2025	14	13
66 TH	28.02.2026	15	9
67 TH	31.03.2026	15	14



समिति की बैठकें: -

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, नामांकन समिति की बैठक 20.08.2025 को आयोजित की गई। एवं वित्त समिति की बैठक 29.08.2025 एवं 30.03.2026 को आयोजित की गई।

ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण:-

कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अनुसार कोई ऋण, गारंटी और निवेश नहीं किया है।

सचिवीय मानक:-

हम इस बात पर प्रकाश डालना चाहते हैं कि कंपनी भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानकों के प्रासंगिक प्रावधानों का सावधानीपूर्वक पालन करती है।

सम्बन्धित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्थाओं का विवरण:-

सम्बन्धित पक्षों के साथ सभी अनुबंध या व्यवस्था आर्म्स लैन्थ प्राईस के आधार पर की जाती है। अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने वाले नोट्स के नोट संख्या 39 पर दिखाई देता है।

वार्षिक विवरण का सार:-

कंपनी अधिनियम की धारा 92(3) और धारा 134(3)(ए) के साथ-साथ कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के अनुपालन में, 31 मार्च 2026 तक कंपनी का वार्षिक रिटर्न है। कंपनी का वार्षिक विवरण कम्पनी की आधिकारिक वेबसाइट www.sakhimilk.com पर समीक्षा के लिए उपलब्ध है।

नियामकों, न्यायालयों और न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और सामग्री आदेशों का विवरण:-

हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि नियामकों, न्यायालयों और न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण आदेश जारी नहीं किए गए हैं जो कंपनी की चालू स्थिति या उसके भविष्य के संचालन को प्रभावित करेंगे।



धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत लेखापरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी के संबंध में विवरण, जो केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने योग्य हैं:-

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 12 के तहत कम्पनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने योग्य धोखाधड़ी के अलावा कोई धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी गई।

जोखिम प्रबन्धन नीति:-

मैसर्स केपीएमजी एश्योरेस एंड कंसल्टिंग सर्विसेज एलएलपी आन्तरिक लेखा परीक्षक अपनी रिपोर्टों में विभिन्न मुद्दों पर अपना जोखिम आकलन देते हैं और इन रिपोर्टों को बोर्ड के समक्ष रखा जाता है।

जमा:-

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 और समय-समय पर संशोधित कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के साथ पठित प्रावधानों के अनुसार, हमें यह पुष्टि करते हुए खुशी हो रही है कि कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान कोई भी जमा स्वीकार नहीं किया है। इस वर्ष इसलिए किसी प्रकटीकरण या रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है।

आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण:-

कम्पनी अधिनियम के लागू प्रावधान के अनुसार, कम्पनी के पास पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियाँ मौजूद हैं।

लागत लेखा परीक्षा और रिकॉर्ड:-

लागत लेखा परीक्षा और लागत अभिलेखों के रखरखाव के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत स्पष्टीकरण:-

कम्पनी के कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम, 2013) और उसके अनुपालन में आन्तरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन किया है और सुरक्षित कार्यस्थल नीति को लागू किया है।



वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, कम्पनी को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

कम्पनी की सामाजिक जिम्मेदारी:-

कम्पनी सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

इंसोल्वेन्सी एण्ड बैंकक्रपसी कोड, 2016:-

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान इंसोल्वेन्सी एण्ड बैंकक्रपसी कोड, 2016 के तहत कोई आवेदन नहीं किया गया था या न ही कोई कार्यवाही लम्बित थी।

सतर्कता तंत्र (विजिल मेकेनिज्म):-

सतर्कता तंत्र (विजिल मेकेनिज्म) का प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होता है।

आभार:-

कम्पनी का निदेशक मण्डल वर्ष के दौरान अपनी सदस्याओं, व्यावसायिक सहयोगियों और बैंकरों द्वारा दिए गए योगदान एवं नियमित सहयोग के लिए सभी को धन्यवाद देते हैं।

निदेशक मण्डल धानी फाउण्डेशन और एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज एवं मदर डेयरी के द्वारा दिए गए उनके सहयोग और प्रोत्साहन के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं।

निदेशक मण्डल कम्पनी के सभी कर्मचारियों, सभी सम्बन्धितों के सहयोग, कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए उनकी सराहना करते हैं, जिनके बिना कम्पनी की सर्वांगीण प्रगति एवं विकास सम्भव नहीं था।

वास्ते निदेशक मण्डल

ललिता

अध्यक्षा

डीआईएन 09678803

दिनांक - 17.08.2026

स्थान - अलवर

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की सदस्याओं के लिए वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने **सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड** ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों का लेखा-जोखा किया है, जिसमें 31 मार्च 2026 को समाप्त अवधि के लिए बैलेंस शीट शामिल है, और लाभ और हानि का विवरण, वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण, और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा आवश्यक जानकारी को आवश्यक तरीके से देते हैं और एक सही और निष्पक्ष जानकारी देते हैं। कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखा मानकों के अनुरूप, जैसा कि संशोधित ("लेखा मानक") और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए अन्य लेखांकन सिद्धांतों के मामलों की स्थिति के अनुरूप है। 31 मार्च 2026 तक कंपनी, और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसका लाभ और उसका नकदी प्रवाह।

राय के लिए आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग मानकों (एसए) के अनुसार वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी अनुभाग में वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताओं के साथ जो अधिनियम के प्रावधानों और बनाए गए नियमों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं। इसके तहत, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

- अन्य जानकारी के लिए कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में निदेशकों की रिपोर्ट शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख के बाद निदेशकों की रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।
- वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।
- वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी ऊपर दी गई अन्य जानकारी के उपलब्ध होने पर पढ़ने की है और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या पाठ्यक्रम के

दौरान प्राप्त हमारे ज्ञान के साथ असंगत है। लेखापरीक्षा का या अन्यथा भौतिक रूप से गलत विवरण दिया गया प्रतीत होता है।

- जब हम निदेशकों की रिपोर्ट पढ़ते हैं, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें एसए 720 'अन्य जानकारी से संबंधित लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों' के तहत आवश्यक शासन के आरोप में मामले को संप्रेषित करने की आवश्यकता है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो कि इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा मानकों और अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, वित्तीय स्थिति और कंपनी के रोकड़ प्रवाह का सही और उचित दृष्टिकोण देते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक जो एक सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी की एक चालू संस्था के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने या बंद करने का इरादा नहीं रखता है, तब तक चलने वाली चिंता से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के आधार पर चलने वाली चिंता के आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है। संचालन, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार आयोजित एक ऑडिट हमेशा एक महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार ऑडिट के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम भी:

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड शामिल हो सकता है।

- परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करें। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।

- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।

- लेखांकन के चालू प्रतिष्ठान के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालें कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करने के लिए। हमारे निष्कर्ष हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी एक चालू संस्था के रूप में काम करना बंद कर सकती है।

- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

भौतिकता वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के उचित जानकारी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं; और (ii) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए।

हम अन्य मामलों के अलावा, ऑडिट के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के बारे में शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जिन्हें हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

हम उन लोगों को भी प्रदान करते हैं जिन पर शासन का आरोप है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है, और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों को संवाद करने के लिए जो हमारी स्वतंत्रता पर उचित रूप से विचार कर सकते हैं, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

अ) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

बी) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियां रखी गई हैं, जहां तक उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

सी) बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण, और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए कैश फ्लो स्टेटमेंट खाते की किताबों के अनुरूप हैं।

डी) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं।

ई) 31 मार्च, 2026 को कंपनी के निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड में लिया गया कि अधिनियम की धारा 164(2) की शर्तों के अनुसार कोई भी निदेशक 31 मार्च, 2026 को निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं है।

एफ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक ए" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त करती है।

जी) अधिनियम की धारा 197(16) के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, जैसा कि संशोधित है,

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी एक निजी कंपनी होने के कारण, प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम की धारा 197 लागू नहीं होती है।

एच) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार :

i. कंपनी के पास कोई लंबित मुकदमेबाजी नहीं है जो इसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करे।

- ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए कोई महत्वपूर्ण नुकसान हुआ हो;
- iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।
- iv. (ए) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए, कोई भी फंड (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर सामग्री है) को उन्नत या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत से कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था में, विदेशी संस्था ("मध्यस्थ") सहित, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या अन्य में निवेश करेगा। कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करते हैं।

(बी) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है, कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए, कंपनी द्वारा विदेशी संस्था सहित किसी भी व्यक्ति या इकाई से कोई फंड (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर सामग्री है) प्राप्त नहीं किया गया है ("वित्त पोषण पार्टियों"), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टि ("अंतिम लाभार्थी" द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी) या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करें।

(सी) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11 (ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत प्रतिनिधित्व), जैसा कि ऊपर (ए) और (बी) के तहत प्रदान किया गया है, इसमें कोई भी महत्वपूर्ण गलत विवरण है।
- v. पिछले वर्ष में प्रस्तावित अंतिम लाभांश, अधिनियम की धारा 123 के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया है जैसा की लागू होता है।

जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट 32 में कहा गया है, कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव दिया है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। प्रस्तावित लाभांश की राशि अधिनियम की धारा 123 के अनुसार लागू है।
- vi. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच भी शामिल है, कंपनी ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने खाते की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल सुविधा (एडिट लॉग) को रिकॉर्ड करने की सुविधा है और इसे सॉफ्टवेयर



में दर्ज किए गए सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए वर्ष भर संचालित किया गया है। इसके अलावा, हमारे ऑडिट के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल फीचर के साथ छेड़छाड़ का कोई उदाहरण नहीं मिला।

2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश/सीएआरओ 2020") द्वारा अपेक्षित है, हम "अनुलग्नक बी" में एक विवरण देते हैं आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के भाग IV की धारा 378ZG की आवश्यकता के अनुसार, हम "अनुलग्नक C" में उस अनुभाग में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण देते हैं।

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 17.08.2026

केएमजीएस एण्ड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
पंजीकरण संख्या 4730N
प्रमोद कुमार कपूर
साथी
सदस्यता संख्या 082424
(यूडीआईएन: 26082424FYQAQB4919)

अनुलग्नक "ए" स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के लिए

(हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के तहत पैराग्राफ 1 (एफ) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2026 तक सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा-जोखा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा मानकों के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक अपना ऑडिट किया। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और यदि ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।



हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने और आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की संपत्ति के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन को आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किया गया है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत की संभावना या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड शामिल हैं, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकता है।

राय

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2026 को प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर।

केएमजीएस एण्ड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
पंजीकरण संख्या 4730N
प्रमोद कुमार कपूर
साथी

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 17.08.2026

सदस्यता संख्या 082424
(यूडीआईएन: 26082424FYQAQB4919)

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक “बी”

(हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत पैराग्राफ 2 में संदर्भित)

हमारी सर्वोत्तम जानकारी के लिए और कंपनी द्वारा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों और लेखा पुस्तकों और अभिलेखों की जांच के अनुसार सामान्य लेखा परीक्षा के दौरान और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हम कहते हैं कि:

(i) इसके संयंत्र, संपत्ति और उपकरण और अमूर्त संपत्ति के संबंध में:

ए. (ए) कंपनी ने संयंत्र, संपत्ति और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(बी) कंपनी ने अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

बी. सत्यापन के एक नियमित कार्यक्रम के अनुसार प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान संयंत्र, संपत्ति और उपकरण का भौतिक सत्यापन किया गया था, जो हमारी राय में, उचित अंतराल पर सभी संयंत्र, संपत्ति और उपकरणों के भौतिक सत्यापन के लिए प्रदान करता है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के सत्यापन में कोई भौतिक विसंगतियां नहीं पाई गईं।

सी. कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है और इसलिए आदेश के खंड (i)(c) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

डी. कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

इ. बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए वर्ष के दौरान 31 मार्च, 2026 तक कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

(ii) ए. प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर वर्ष के दौरान (माल-इन-ट्रांजिट) को छोड़कर सूची को भौतिक रूप से सत्यापित किया गया था। हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया कंपनी के आकार और इसके संचालन की प्रकृति को देखते हुए उपयुक्त है। माल-इन-ट्रांजिट के लिए, माल वर्ष के अंत के बाद प्राप्त हुआ है। प्रत्येक वर्ग के मालसूची के लिए कुल मिलाकर 10% या अधिक की कोई विसंगतियां नहीं देखी गईं, जब खाते की किताबों की तुलना में, लागू होने वाली सूची / वैकल्पिक प्रक्रियाओं के ऐसे भौतिक सत्यापन पर ध्यान दिया गया।

बी. कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर वर्ष के दौरान किसी भी समय, कुल मिलाकर ₹ 5 करोड़ से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है और इसलिए आदेश का खंड 3 (ii) (बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(iii) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है, और कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पार्टियों को सुरक्षित या असुरक्षित ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड (iii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(iv) कंपनी ने दिए गए ऋण, किए गए निवेश और गारंटी और प्रदान की गई प्रतिभूतियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

(v) कंपनी ने जनता से कोई जमा या ऐसी राशि स्वीकार नहीं की है जिसे जमा माना जाता है। इसलिए, आदेश के खंड (v) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(vi) कंपनी के व्यवसाय/गतिविधियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, CARO 2016 के खंड (vi) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(vii) सांविधिक देय राशि के संबंध में हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार:

ए) कंपनी आम तौर पर भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, माल और सेवा कर, उपकर और अन्य भौतिक सांविधिक देय राशियों को उपयुक्त अधिकारियों के पास जमा करने में नियमित रही है। वर्ष के दौरान कंपनी के संचालन से सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के लिए किसी भी दायित्व की उत्पत्ति नहीं हुई।

बी) 31 मार्च, 2026 तक भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, माल और सेवा कर, उपकर और अन्य सामग्री सांविधिक देय के संबंध में कोई भी निर्विवाद राशि देय नहीं है, जिस तारीख से वे छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया हैं। देय हो गया।

सी) उप-खंड (ए) में निर्दिष्ट कोई वैधानिक बकाया नहीं है, जिसे 31 मार्च, 2026 तक विवादों के कारण जमा नहीं किया गया है।

(viii) वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में आय के रूप में सरेंडर या प्रकट की गई पूर्व अधोषित आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं था।

(ix) ए. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी ऋणदाता को ऋण या उधार की अदायगी या उस पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं की है।

बी. कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।

सी. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, हमारी राय में, कंपनी द्वारा लिए गए सावधि ऋण कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान उन उद्देश्यों के लिए लागू किए गए थे जिनके लिए ऋण प्राप्त किए गए थे।

डी. कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, अल्पावधि आधार पर जुटाई गई निधियों का प्रथम दृष्टया, कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया गया है।

इ. वर्ष के दौरान कंपनी के पास कोई सहायक या सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं था और इसलिए, आदेश के खंड (ix) (ई) और (एफ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

- (x) ए. कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक जमा या आगे सार्वजनिक जमा (ऋण लिखतों सहित) या सावधि ऋण के माध्यम से धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड (x) (ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

बी. वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों का प्रिफ़ेन्सिअल आवंटन या निजी प्लेसमेंट, पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर जारी नहीं किये हैं और इसलिए आदेश के खंड (x) (बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

- (xi) ए. हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी और कंपनी पर कोई भौतिक धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई।

बी. हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत एवं कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक केंद्र सरकार के पास निर्धारित प्रपत्र एडीटी-4 में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।

सी. जैसा कि प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किया गया था, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

- (xii) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और इसलिए आदेश के खंड (xii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

- (xiii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन और संबंधित पार्टि लेनदेन के विवरण के लिए लागू लेखा मानकों द्वारा अपेक्षित वित्तीय विवरणों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में है, जहां लागू हो।

- (xiv) ए. हमारी राय में, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।

बी. हमने वर्ष के दौरान कंपनी को जारी आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट और 31 मार्च, 2026 तक की अवधि को कवर करते हुए, हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने पर विचार किया है।

- (xv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या उससे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए अधिनियम की धारा 192 के प्रावधान लागू नहीं हैं।



- (xvi) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड (xvi) (ए), (बी) और (सी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (xvii) कंपनी को हमारे ऑडिट द्वारा कवर किए गए वित्तीय वर्ष के दौरान और ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान नकद हानि नहीं हुई है।
- (xviii) वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है। हालांकि, पिछले लेखा परीक्षकों ने अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर लिया है और वैधानिक लेखा परीक्षकों के रूप में फिर से नियुक्त होने के लिए अपनी अनिच्छा व्यक्त की है।
- (xix) वित्तीय अनुपात, उम्र बढ़ने और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी और हमारी जांच के आधार पर मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य, हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो जाता है कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख को कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, यह दर्शाता है कि कंपनी बैलेंस शीट की तारीख में मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। वे तुलन-पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय हो जाते हैं। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा छुट्टी दे दी जाएगी। कंपनी के रूप में और जब वे देय हो जाते हैं।
- (xx) कंपनी के पास तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान पांच सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक का शुद्ध मूल्य नहीं था, या एक हजार करोड़ रुपये या उससे अधिक का टर्नओवर या पांच करोड़ रुपये या उससे अधिक का शुद्ध लाभ नहीं था और इसलिए, अधिनियम की धारा 135 के प्रावधान वर्ष के दौरान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। तदनुसार, आदेश के खंड (xx) के तहत रिपोर्टिंग वर्ष के लिए लागू नहीं है।

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 17.08.2026

केएमजीएस एण्ड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
पंजीकरण संख्या 4730N
प्रमोद कुमार कपूर
साथी
सदस्यता संख्या 082424
(यूडीआईएन: 26082424FYQAQB4919)



स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक ग

(हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत पैराग्राफ 3 में संदर्भित)

- i. माल और सेवाओं की बिक्री से देय ऋणों की राशि वित्तीय विवरणों के नोट 18 में प्रकट की गई है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी भी ऋण को वसूली के लिए संदिग्ध नहीं माना जाता है।
- ii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधन द्वारा वर्ष के अंत में हाथ में नकदी का भौतिक सत्यापन किया गया है और इस तरह के सत्यापन में कोई विसंगति नहीं देखी गई है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास कोई निवेश प्रतिभूतियां नहीं हैं।
- iii. 31 मार्च, 2026 को संपत्ति और देनदारियों का विवरण कंपनी के वित्तीय विवरणों के अनुसार 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए है।
- iv. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रावधानों के विपरीत प्रतीत होता हो।
- v. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपने निदेशकों को कोई ऋण नहीं दिया है।
- vi. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई दान या सदस्यता नहीं दी है।

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 17.08.2026

केएमजीएस एण्ड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
पंजीकरण संख्या 4730N
प्रमोद कुमार कपूर
साथी
सदस्यता संख्या 082424
(यूडीआईएन: 26082424FYQAQB4919)



31 मार्च, 2026 को बैलेंस शीट

	नोट संख्या	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
		रुपये लाख में	रुपये लाख में
A. समता एवं दायित्व			
1. अंशधारको का कोष			
(a) शेयर पूंजी	3	2,094.76	1,811.95
(b) संचित एवं अधिशेष	4	1,532.09	1,615.22
		<u>3,626.85</u>	<u>3,427.17</u>
2. आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि		-	46.90
3. आस्थगित अनुदान	5	1,119.03	957.36
4. गैर चालू दायित्व			
(a) दीर्घकालिक ऋण	6	713.42	552.75
(b) अन्य दीर्घकालिक दायित्व	7	1,334.27	1,228.99
(c) दीर्घकालिक प्रावधान	8	143.36	114.68
		<u>2,191.05</u>	<u>1,896.42</u>
5. चालू दायित्व			
(a) अल्प कालीन ऋण	9	400.18	-
(b) व्यापार देनदारियां	10		
(i) सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		129.52	30.14
(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		4,859.55	3,420.68
(c) अन्य चालू दायित्व	11	600.25	699.87
(d) अल्पकालीन प्रावधान	12	18.82	2.12
		<u>6,008.34</u>	<u>4,152.81</u>
कुल		<u>12,945.27</u>	<u>10,480.65</u>
B. संपत्ति			
1. गैर चालू संपत्तियां			
(a) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति			
(i) सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	13a	3,083.04	2,740.66
(ii) अमूर्त संपत्ति	13b	118.16	3.79
(iii) प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य	13c	0.10	153.93
(iv) प्रगति अधीन अमूर्त संपत्ति	13d	2.13	86.03
		<u>3,203.43</u>	<u>2,984.41</u>
(b) आस्थगित कर संपत्ति (शुद्ध)	14	63.19	45.32
(c) दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम	15	112.65	268.01
(d) अन्य गैर चालू संपत्तियां	16	356.53	5.86
		<u>3,735.80</u>	<u>3,303.59</u>
2. चालू संपत्तियां			
(a) स्टॉक	17	1,411.48	794.66
(b) व्यापारिक प्राप्तियां	18	4,698.82	2,874.15
(c) नकद और बैंक शेष	19	2,877.16	3,438.12
(d) अल्पकालीन ऋण और अग्रिम	20	203.44	54.54
(e) अन्य चालू संपत्तियां	21	18.57	15.59
		<u>9,209.47</u>	<u>7,177.06</u>
कुल		<u>12,945.27</u>	<u>10,480.65</u>
वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले साथ में दिए गए नोट देखें			
उक्त तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में		निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से	
केएमजीएस एंड एसोसिएट्स के लिए			
चार्टर्ड अकाउंटेंट			
(फर्म पंजीकरण संख्या 4730N)			
ललित शर्मा		सावित्री यादव	
अध्यक्षता		निदेशक	
निदेशक पहचान सं.: 09678803		निदेशक पहचान सं.: 11270236	
प्रमोद कुमार कपूर		रचना देवधर गोयल	
पार्टनर		निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी	
सदस्यता सं., 082424		निदेशक पहचान सं.: 08892551	
सौरभ जैन		राजेश जैन	
कंपनी सचिव		वित्त प्रबंधक	
सदस्यता सं., 45759		सदस्यता सं., 451085	
स्थान: नई दिल्ली		स्थान: अलवर	
दिनांक: 17.08.2026		दिनांक: 17.08.2026	



31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि का विवरण

	नोट संख्या	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष रूपये लाख में	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष रूपये लाख में
1. संचालन से राजस्व	22	85,165.06	70,086.96
2. अन्य आय	23	330.59	282.49
3. कुल आय (1+2)		85,495.65	70,369.45
4. खर्च			
(a) उपयोग किये गए सामन की लागत	24	644.00	-
(a) व्यापारिक वस्तुओं की खरीद	25	80,082.88	65,823.28
(b) तैयार माल और स्टॉक-इन-ट्रेड की इन्वेंटरी में परिवर्तन	26	(616.83)	(251.95)
(c) कर्मचारी लाभ व्यय	27	1,531.86	1,167.32
(d) वित्तीय लागत	28	18.87	68.79
(e) मूल्यहास और परिशोधन व्यय	13	384.24	274.87
(f) अन्य खर्च	29	3,339.77	3,208.94
कुल खर्च		85,384.78	70,291.24
5. असाधारण मद और कर के पूर्व लाभ/(हानि)		110.87	78.21
6. असाधारण मद			
श्रम संहिताओं का प्रभाव	30	49.11	-
7. कर पूर्व लाभ (3-4)		61.75	78.21
8. कर व्यय:			
(a) वर्तमान कर		35.92	66.14
(b) आस्थगित कर प्रभार/(क्रेडिट)		(17.88)	(36.60)
(c) पूर्व के वर्षों से संबंधित प्रावधान शुद्ध कर व्यय		-	(12.53)
		18.05	17.01
9. वर्ष के लिए लाभ (5-6)		43.71	61.20
10 प्रति इक्विटी शेयर आय:	35		
(नोमिनल मूल्य रु. 100 प्रति शेयर)			
(a) मूल		2.39	5.29
(b) डायल्युटेड		2.39	5.29

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले साथ में दिए गए नोट देखें

उक्त तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

केएमजीएस एंड एसोसिएट्स के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

(फर्म पंजीकरण संख्या 4730N)

ललिता शर्मा

अध्यक्षा

निदेशक पहचान सं.: 09678803

सावित्री यादव

निदेशक

निदेशक पहचान सं.: 11270236

रचना देवधर गोयल

निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी

निदेशक पहचान सं.: 08892551

प्रमोद कुमार कपूर

पार्टनर

सदस्यता सं. 082424

सौरभ जैन

कंपनी सचिव

सदस्यता सं. 45759

राजेश जैन

वित्त प्रबंधक

सदस्यता सं. 451085

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 17.08.2026

स्थान: अलवर

दिनांक: 17.08.2026



31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	
	रुपये लाख में	रुपये लाख में	
A. प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह:			
कर पूर्व लाभ	61.75	78.21	
समायोजन के लिए:			
वित्त लागत - उधार पर ब्याज व्यय	16.23	59.40	
ब्याज आय	(179.65)	(186.24)	
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	384.24	274.87	
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वसूली/बिक्री पर लाभ	(10.73)	(6.77)	
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ	271.84	219.48	
कार्यशील पूंजी में आवाजाही के लिए समायोजन:			
स्टॉक में कमी/(वृद्धि)	(616.83)	(239.68)	
व्यापार प्राप्तियों में कमी/(वृद्धि)	(1,824.67)	3,228.42	
अन्य गैर-चालू संपत्तियों में कमी/(वृद्धि)	(350.67)	(5.45)	
दीर्घावधि ऋणों और अग्रिमों में कमी/(वृद्धि)	-	-	
अल्पावधि ऋणों और अग्रिमों में कमी/(वृद्धि)	(148.89)	(13.13)	
अन्य चालू संपत्तियों में कमी/(वृद्धि)	(0.80)	17.13	
अन्य दीर्घकालीन दायित्वों में कमी/(वृद्धि)	105.28	875.41	
व्यापार देय में कमी/(वृद्धि)	1,538.27	1,216.56	
प्रावधानों में कमी/(वृद्धि)	45.37	71.58	
अन्य चालू दायित्वों में कमी/(वृद्धि)	(146.62)	(320.83)	
संचालन एवं प्रयुक्त से अर्जित रोकड़	(1,127.73)	5,049.49	
शुद्ध आय कर (भगतान)/वापसी	(42.05)	(201.16)	
प्रयुक्त परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (ए)	(1,169.78)	4,848.33	
B. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह:			
बैंक शेष में कमी/(वृद्धि) नकद और नकद समकक्ष के रूप में नहीं माना जाता है	563.47	1,176.24	
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर पूंजीगत व्यय (शुद्ध प्राप्त अनुदान)	(239.74)	(2,172.04)	
प्राप्त ब्याज	177.48	261.83	
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की वसूली/बिक्री से प्राप्त आय	17.37	7.35	
प्रयुक्त निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (बी)	518.58	(726.62)	
C. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह:			
शेयर पूंजी जारी करने से आय	235.92	863.80	
प्राप्त अंश आवेदन राशि	-	46.90	
कार्यशील पूंजी उधार में शुद्ध वृद्धि/(कमी)	400.18	(4,428.15)	
दीर्घकालीन ऋण से प्राप्त	160.68	66.00	
लिमिटेड रिटर्न / लाभांश भुगतान	(126.84)	(73.66)	
वित्त लागत पेड़	(16.23)	(94.10)	
प्रयुक्त वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (सी)	653.71	(3,619.21)	
नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/(कमी)	2.51	502.50	
(ए+बी+सी)			
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष	560.55	58.05	
वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष	563.06	560.55	
नकद और नकद समकक्ष के घटक निम्नानुसार हैं:			
बैंकों के साथ शेष राशि:			
चालू खातों में	210.90	501.08	
बचत खातों में	352.16	59.47	
ओवर ड्राफ्ट खातों में	-	-	
कैश फ्लो स्टेटमेंट के अनुसार नकद और नकद समकक्ष	563.06	560.55	
जोड़े: बैंक बैलेंस को नकद और नकद समकक्ष नहीं माना जाता है	2,314.09	2,877.57	
बैलेंस शीट के अनुसार नकद और बैंक बैलेंस (नोट 19)	2,877.16	3,438.12	
वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले साथ में दिए गए नोट देखें			
उक्त तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में			
केएमजीएस एंड एसोसिएट्स के लिए	निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से		
चार्टर्ड अकाउंटेंट			
(फर्म पंजीकरण संख्या 4730N)			
प्रमोद कुमार कपूर	ललिता शर्मा	सावित्री यादव	रचना देवधर गोयल
पार्टनर	अध्यक्षा	निदेशक	निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
सदस्यता सं. 082424	निदेशक पहचान सं.: 09678803	निदेशक पहचान सं.: 11270236	निदेशक पहचान सं.: 08892551
	सौरभ जैन	राजेश जैन	
	कंपनी सचिव	वित्त प्रबंधक	
	सदस्यता सं. 45759	सदस्यता सं. 451085	
स्थान: नई दिल्ली	स्थान: अलवर		
दिनांक: 17.08.2026	दिनांक: 17.08.2026		



वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स

1. कॉर्पोरेट जानकारी

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) का गठन 19 मार्च, 2016 को कम्पनी अधिनियम, 2013 के भाग IX-A के तहत एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी (कॉर्पोरेट पहचान संख्या U01122RJ2016PTC049648) के रूप में प्राथमिक तौर पर इसके सदस्यों से दूध की पूलिंग, खरीद, प्रसंस्करण और दुग्ध उत्पाद का व्यवसाय करने एवं सदस्यों के हित में दुग्ध के उत्पादन को बढ़ाने हेतु प्रजनन, पशु-आहार, पशु चिकित्सा एवं इससे जुड़ी उनके लाभ में वृद्धि करने वाली अन्य तकनीकी और प्रबन्धकीय सेवाएँ प्रदान करने के प्रमुख उद्देश्य से किया गया था।

2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ इस प्रकार हैं:

ए लेखांकन का आधार

कंपनी के वित्तीय विवरण भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी) के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों का पालन करने के लिए तैयार किए गए हैं, जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा गया है। और कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम 2013") के प्रासंगिक प्रावधान जो लागू हों। एमसीए ने वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI-A के तहत प्रोड्यूसर कंपनियों पर लागू अनुभागों को 'कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020' के तहत अधिसूचित किया है और साथ ही प्रोड्यूसर कंपनियों पर लागू होने वाले नियमों को "प्रोड्यूसर कंपनी नियम, 2021" के रूप में जाना जाता है। कंपनी के वित्तीय लेखांकन के उपार्जित आधार पर ऐतिहासिक लागतों के अनुसार तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरण तैयार करने में अपनाई गई लेखांकन नीतियाँ पिछले वर्ष में अपनाई गई नीतियों के अनुरूप हैं।

बी अनुमानों का उपयोग

भारतीय जीएएपी के अनुसार सामान्यतः स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधकों को संपत्तियों एवं दायित्वों (आकस्मिक दायित्वों सहित) तथा वर्ष के दौरान बताई गई आय व व्ययों की राशि के लिए लिए अनुमान एवं परिकल्पनाओं का प्रयोग करना होता है। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयोग किये विवेकपूर्ण एवं उचित हैं। इन अनुमानों के भावी परिणाम भिन्न हो सकते हैं और इस प्रकार वास्तविक परिणामों एवं अनुमानों के अंतर को उसी अवधि में चिन्हित किया जाता है जिसमें वे ज्ञात/कार्यान्वित होते हैं।

सी नकद और नकद समकक्ष (नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजनों के लिए)

रोकड़ प्रवाह के प्रयोजन से रोकड़ में हस्तगत रोकड़ और बैंकों के पास मांग जमाये शामिल हैं। रोकड़ तुल्य अल्पकालीन शेष (अधिग्रहण की तारीख से तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ), अत्यधिक तरल निवेश जिन्हें कभी भी आसानी से नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है और जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं।

डी नकदी प्रवाह विवरण

अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है, जिससे विशेष मदों से कर पूर्व लाभ ((हानि) गैर-नकद प्रकृति के लेनदेन के प्रभावों तथा कोई भी अतीत या भविष्य की नकद प्राप्तियों या भुगतानों के किसी भी आस्थगित या उपाजित रोकड़ प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी के परिचालन, निवेश और वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर किया जाता है।

इ राजस्व मान्यता

खरीदारों को महत्वपूर्ण जोखिम और स्वामित्व के पुरस्कारों के हस्तांतरण पर, रिटर्न और व्यापार छूट का शुद्ध, बिक्री को मान्यता दी जाती है, जो कि आम तौर पर ग्राहकों द्वारा माल की सुपुर्दगी एवं स्वीकृति के साथ मेल खाता है।

एफ अन्य आय

जमाराशियों पर ब्याज की आय को उपाजित आधार पर मान्यता दी जाती है।

जी संपत्ति, संयंत्र, उपकरण और अमूर्त संपत्ति

सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों एवं अमूर्त संपत्तियों में से संचित मूल्य ह्रास/परिशोधन तथा स्थायी क्षति अगर कोई हो तो उसे घटा कर पुस्तकों में दर्शाया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों तथा अमूर्त संपत्तियों की लागत में उसके खरीद मूल्य में किसी भी व्यावसायिक बट्टे एवं छूट, अन्य कर (उन करों को छोड़कर जो कर अधिकारियों से प्राप्त किये जाने हैं), आवश्यक प्रयोजन के लिए संपत्ति को कार्यशील स्थिति में लाने हेतु होने वाले अन्य कोई भी प्रत्यक्ष व्यय एवं अन्य कोई भी आकस्मिक व्यय एवं इस संपत्ति की खरीद हेतु लिये गये ऋण पर ब्याज व उस तिथी तक के संयंत्र एवं उपकरण जिस तारीख तक वह संपत्ति प्रायोजित प्रयोग के लिए तैयार हुई है, के समायोजन के पश्चात किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद के बाद उस पर होने वाले व्ययों को केवल तभी पूंजीकृत किया जायेगा जब इस तरह के खर्च से ऐसी संपत्ति के भविष्य के लाभ में निर्धारित मानक निष्पादकता से भी अधिक वृद्धि होती है।

अमूर्त संपत्ति

अमूर्त संपत्ति उनके अधिग्रहण की लागत में से संचित परिशोधन हानियों को घटा कर बताई गई है। एक अमूर्त संपत्ति को मान्यता दी जाती है, जहां यह संभावना है कि परिसंपत्ति के कारण भविष्य के आर्थिक लाभ उद्यम में प्रवाहित होंगे और जहां इसकी लागत को मज़बूती से मापा जा सकता है। अमूर्त संपत्ति की मूल्यह्रास राशि को उसके उपयोगी जीवन के सर्वोत्तम अनुमान पर एक सीधी रेखा पद्धति के आधार पर आवंटित किया जाता है।

कंपनी सॉफ्टवेयर लागतों का पूंजीकरण करती है जहां यह उचित रूप से अनुमान लगाया जाता है कि सॉफ्टवेयर का स्थायी उपयोगी जीवन है। तीन साल के उपयोगी जीवन के प्रबंधन के अनुमान पर सॉफ्टवेयर का मूल्यहास किया गया है।

एच कार्यशील पूंजी

संपत्ति जो अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें लागत पर ले जाया जाता है, जिसमें प्रत्यक्ष लागत, संबंधित आकस्मिक खर्च और ब्याज शामिल हैं।

आई मूल्यहास और परिशोधन

संपत्ति की प्रकृति, संपत्ति के अनुमानित उपयोग, संपत्ति की परिचालन स्थिति, पिछले इतिहास को ध्यान में रखते हुए, प्रतिस्थापन, प्रत्याशित तकनीकी परिवर्तन, निर्मित वारंटी और रखरखाव समर्थन, तकनीकी सलाह के आधार पर मूल्यांकन की गई संपत्ति के उपयोगी जीवन के अनुसार सीधी रेखा पद्धति पर मूर्त संपत्ति पर मूल्यहास प्रदान किया गया है।

मूल्यहास चार्ज करने के लिए माना जाने वाला उपयोगी जीवन इस प्रकार है:

विवरण	उपयोगी जीवन वर्षों में
फर्नीचर व फिक्सचर	10 वर्ष
संयंत्र और उपकरण	4,5 एवं 10 वर्ष
कंप्यूटर (सॉफ्टवेयर सहित)	3 वर्ष
ऑफिस उपकरण	5 वर्ष

इसके अलावा, मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड से खरीदी गई संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मूल्यहास परिसंपत्तियों के अनुमानित शेष उपयोगी जीवन के आधार पर किया गया है।

मूल्यहास का आंकलन खरीद की तिथि से आनुपातिक आधार पर किया गया है।

जे इन्वेंटरी

इन्वेंटरी में कच्चे माल और पैकिंग सामग्री, तैयार माल, स्टोर और स्पेयर शामिल हैं। अप्रचलन और अन्य नुकसान, जहां आवश्यक समझा जाता है, प्रदान करने के बाद इन्वेंट्री का मूल्य कम लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है। लागत फर्स्ट इन फर्स्ट आउट (फीफो) विधि का उपयोग करके निर्धारित की जाती है। लागत में इन्वेंट्री को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने के लिए किए गए सभी शुल्क शामिल हैं। तैयार माल में उपरिव्यय का उचित अनुपात शामिल है।

के अनुदान

सरकारी अनुदान और सब्सिडी को तब मान्यता दी जाती है जब उचित आश्वासन दिया जाता है कि कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करेगी और अनुदान/सब्सिडी प्राप्त करेगी। ऐसे सरकारी अनुदान जो मूल्यहास योग्य संपत्तियों पर प्रदान किये जाते हैं उसे आस्थगित अनुदान के रूप में माना जाता है, तथा उसे संपत्ति के उपयोगी अवधि के आधार पर सुनियोजित और तर्कसंगत आधार पर लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया जाता है, अर्थात् ऐसे अनुदानों से प्राप्त संपत्ति पर मूल्यहास को स्थगित अनुदान से समायोजित किया जाता है और मूल्य हास राशि को कम करते हुए लाभ हानि खाते में दर्शाया जाता है।

राजस्व सरकारी अनुदान और सब्सिडी को उन लागतों के साथ मिलान करने के लिए आवश्यक अवधि में आय के रूप में पहचाना जाता है, जिसके लिए उन्हें व्यवस्थित आधार पर क्षतिपूर्ति करने का इरादा है और संबंधित व्यय की रिपोर्टिंग में कटौती की जाती है।

एल कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभ में भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, ग्रेच्युटी और क्षतिपूर्ति अवकाश शामिल है।

ए निर्धारित योगदान योजनाएं

भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा योजना में कंपनी के योगदान को निर्धारित अंशदान योजना के रूप में माना जाता है और कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के रूप में किए जाने वाले योगदान की राशि के आधार पर लाभ और हानि के विवरण के लिए शुल्क लिया जाता है।

बी निर्धारित लाभ योजनाएं

ग्रेच्युटी को निर्धारित लाभ योजना के रूप में माना जाता है। ग्रेच्युटी को बैलेंस शीट की तारीख में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लिया जाता है। प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति के अनुसार दायित्वों में बढ़ोतरी का बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रतिवेदन की तिथि को हानि के विवरण में दर्शाया जाता है।

सी अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

कर्मचारियों के अल्पकालीन अदत्त लाभों की राशियों को उन कर्मचारियों को उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं की एवज में, उस वर्ष में दर्शाया जाता है जिस वर्ष में उनके द्वारा सेवाएं दी गई हैं। ऐसे लाभों में कार्य प्रोत्साहन एवं अवकाश की प्रतिपूर्ति को शामिल किया जाता है, जो कि कर्मचारियों द्वारा संबंधित सेवाएं देने की अवधि के समाप्त होने से बारह माह की अवधि में होने की संभावना है।

डी दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

ऐसी प्रतिपूर्ति अनुपस्थितियां, जो कर्मचारी द्वारा संबंधित सेवा प्रदान करने की अवधि के समापन के 12 माह की अवधि में होने की अपेक्षा नहीं थी को एक निर्धारित लाभ दायित्व के आधार पर वर्तमान मूल्य पर दायित्व का निर्धारण चिट्ठे की तिथि को बीमांकन मूल्य के आधार पर किया जाता है।

एम प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कर पश्चात शुद्ध लाभ को विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर डायल्युटेड आय की गणना कर के बाद शुद्ध लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है, जैसा कि सभी डायल्युटेड संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया गया है, सिवाय इसके कि जहां परिणाम एंटी-डायल्युटेड हैं।

एन आय पर कर

आयकर में चालू कर तथा स्थगित कर शामिल हैं। चालू कर, कर की वह राशि है जो आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों एवं लागू होने वाले अन्य प्रावधानों के अनुसार निर्धारित वर्ष के लिए कर योग्य आय पर लागू कर दरों से देय है।

स्थगित कर को समय के अन्तराल से जाना जाता है। कर योग्य आय तथा लेखांकन आय में अन्तर के कारण जो एक समयावधि में अर्जित हुई है जिसको उसके बाद की एक या उससे अधिक अवधि में वापस किया जा सकता है। स्थगित कर की गणना की दर तथा गणना की तिथि को लागू होने वाले कर के नियमों के आधार पर की जाती है। स्थगित कर दायित्वों की गणना सभी विभिन्न समयावधियों के लिये की जाती है। स्थगित कर सम्पत्तियों की पहचान विभिन्न मदों की समय भिन्नता के आधार पर गैर-शोषित-मूल्य ह्रास एवं आगे ले जायी गई हानियों को छोड़कर यह मानते हुये भविष्य में प्राप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिससे इनकी वसूली की जा सकती है। इस प्रकार अगर कोई गैर-शोषित-मूल्य ह्रास तथा आगे ले जायी गई हानियाँ बचती हैं तो पर्याप्त भावी कर योग्य आय संपत्तियों की वसूलियाँ हेतु उपलब्ध रहेगी। आस्थगित कर संपत्तियों तथा दायित्वों का समायोजन किया जाता है यदि ऐसे मद लागू होने वाले समान कर प्रावधानों के आधार पर हैं तथा कम्पनी को इस प्रकार के समायोजन को कानूनी तौर पर लागू करने का अधिकार है।

ओ ऋण लागत

उधार लेने की लागत में ब्याज और सहायक लागत शामिल हैं। उधार लेने की लागतें जो सीधे तौर पर एक संपत्ति के अधिग्रहण या निर्माण के कारण होती हैं, जो कि ऐसी संपत्ति के पूंजीकरण की तारीख तक संपत्ति के निर्माण / विकास से संबंधित गतिविधियों के शुरू होने से संबंधित अवधि से संबंधित होती है, को उस की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। अन्य सभी उधार लागतों को उस वर्ष के लाभ-हानि के विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें वे खर्च किए गए हैं।

पी संपत्ति की अनुपस्थिति

प्रत्येक बेलेन्स शीट की तिथि को कम्पनी अपनी संपत्ति, प्लांट और उपकरण के मूल्यांकन की समीक्षा यह निर्धारण करने के लिए करती है कि ऐसा कोई लक्षण तो प्रकट नहीं हो रहा जिससे कम्पनी की संपत्तियों को किसी प्रकार की कोई क्षति/हानि हुई हो। अगर ऐसा कोई लक्षण प्रकट होता है तो उस संपत्ति के वसूल किये जा सकने योग्य मूल्य का निर्धारण उस संपत्ति को हुई क्षति के मूल्यांकन के लिये किया जाता है। किसी भी संपत्ति से वसूल की जा सकने वाली

राशि उस संपत्ति के शुद्ध विक्रय मूल्य तथा प्रयोग किये गये मूल्य से अधिक है। प्रयोग की गई संपत्ति के मूल्य का निर्धारण करने में अनुमानित भावी रोकड़ प्रवाह यह मानते हुए की यह संपत्ति नियमित रहेगी तथा इसके निस्तारण से प्राप्त आय को इसके वर्तमान मूल्य में से एक पूर्व-बट्टा दर जोकि वर्तमान बाजार दर को उस समय पर धन की कीमत तथा उस संपत्ति विशेष से संबद्ध जोखिम के निर्धारण को दर्शाती है, को कम कर लिया जायेगा।

संपत्ति की क्षति की वापसी को लाभ-हानि खातों में आय के रूप में माना जाता है।

न्यू खंड की जानकारी

व्यवसाय खंड (प्राथमिक)

कंपनी प्रमुख स्रोत, जोखिम और रिटर्न की प्रकृति और आंतरिक संगठन और प्रबंधन संरचना के आधार पर प्राथमिक खंडों की पहचान करती है। कंपनी मुख्य रूप से दूध और दूध उत्पादों की खरीद और बिक्री में लगी हुई है। इसे एकल व्यवसाय खंड के रूप में माना गया है।

आर प्रावधान और आकस्मिकताएं

एक प्रावधान को मान्यता दी जाती है जब कंपनी की पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है और यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। प्रावधान (कर्मचारी लाभों को छोड़कर) को उनके वर्तमान मूल्य में छूट नहीं दी जाती है और बैलेंस शीट तिथि पर दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इनकी समीक्षा प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख में की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित की जाती है। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक संपत्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है। खातों की टिप्पणियों में आकस्मिक देनदारियों का खुलासा किया गया है। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक संपत्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है।

एस लीज

पट्टे की व्यवस्था जहां जोखिम और पुरस्कार की घटना एक परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए काफी हद तक पट्टेदार के पास निहित होती है, को परिचालन पट्टों के रूप में मान्यता दी जाती है। ऑपरेटिंग लीज के तहत लीज रेंट को स्ट्रेट लाइन बेसिस पर लाभ हानि खाते में पहचाना जाता है।

टी संचालन चक्र

कम्पनी के उत्पादों एवं क्रियाओं की प्रकृति तथा संपत्तियों के क्रय एवं उनकी रोकड़ अथवा रोकड़ तुल्य के रूप में बसूली के आधार पर कम्पनी ने अपने संचालन चक्र की अवधि इसकी संपत्तियों तथा दायित्वों के चालू एवं गैर चालू वर्गीकरण के उद्देश्य से 12 माह निर्धारित की है।



वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स

नोट 3: शेयर पूंजी

	31 मार्च, 2026 तक		31 मार्च, 2025 तक	
	अंशों की संख्या	रुपये लाख में	अंशों की संख्या	रुपये लाख में
(a) अधिकृत अंश पूंजी समता अंश 100 रुपये प्रत्येक	3,000,000	3,000.00	2,500,000	2,500.00
(b) जारी, अभिदान और पूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी समता अंश 100 रुपये प्रत्येक	2,094,761	2,094.76	1,811,949	1,811.95

नीचे (i) से (iv) तक के नोट देखें

नोट्स:

(i) शेयरों से जुड़े अधिकार, प्राथमिकताएं और प्रतिबंध

"कंपनी ने केवल एक वर्ग के 100 रुपये के अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयर जारी किए हैं। प्रत्येक सदस्य एक वोट का हकदार है। सदस्य कंपनी के अंतर्निर्णयों के अनुच्छेद के अनुसार सीमित रिटर्न (लाभांश) और बोनस के हकदार हैं। कंपनी के परिसमापन की दशा में, समता अंशधारकों को अधिकार होगा कि वे संपूर्ण अधिमान्ती राशियों के वितरण के बाद शेष संपत्तियों को प्राप्त करने के हकदार होंगे।"

(ii) वर्ष की शुरुआत और अंत में इक्विटी शेयरों की संख्या और बकाया राशि का समाधान:

	31 मार्च, 2026 तक		31 मार्च, 2025 तक	
	अंशों की संख्या	रुपये लाख में	अंशों की संख्या	रुपये लाख में
साल की शुरुआत में बकाया शेयर	1,811,949	1,811.95	920,754	920.75
वर्ष के दौरान जारी अंश (निरस्त और पुनः जारी किये गये अंशों के समायोजन के बाद)	282,812	282.81	891,195	891.20
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	2,094,761	2,094.76	1,811,949	1,811.95

(iii) कंपनी कंपनी अधिनियम, 1956 के के भाग IXA के तहत (अब कंपनी अधिनियम, 2013 का अध्याय XXI-A) के तहत 'प्रोड्यूसर कंपनी' के रूप में पंजीकृत है और किसी भी सदस्य के पास कंपनी की शेयर पूंजी का 5% या अधिक नहीं है।

(iv) वर्ष के दौरान या वित्तीय वर्ष से ठीक पहले के 5 वर्षों के दौरान नकद/बैंक या बोनस के अलावा अन्य किसी प्रतिफल के लिए कोई शेयर जारी नहीं किया गया है।

(vii) प्रमोटरों की शेयरधारिता का विवरण:

क्र.सं.	प्रमोटरों का नाम	1 अप्रैल, 2025 को शेयरों की संख्या	वर्ष के दौरान परिवर्तन	31 मार्च 2026 को शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	वर्ष के दौरान % परिवर्तन
1	गायत्री सिहाग	68	26	94	0.45%	38.24%
2	सविता कुमारी	164	-	164	0.78%	-
3	बबिता	99	-	99	0.47%	-
4	सुमन कुमारी	683	-	683	3.26%	-
5	सुमन देवी	183	-	183	0.87%	-
6	सुमन शर्मा	18	6	24	0.11%	33.33%
7	ललिता	33	-	33	0.16%	-
8	सावित्री यादव	154	-	154	0.74%	-
9	दया शर्मा	90	32	122	0.58%	35.56%
10	सरोज देवी	75	-	75	0.36%	-
11	पूनम कुमारी	305	-	305	1.46%	-



	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
	रुपये लाख में	रुपये लाख में
नोट 4: रिजर्व और अधिशेष		
(a) सामान्य रिजर्व		
प्रारंभिक शेष	1,554.02	1,554.02
जोड़े: लाभ और हानि के विवरण में अधिशेष से स्थानांतरित	104.90	-
घटाए: समाप्त वर्ष के लिए सदस्यों को अंतिम सीमित रिटर्न (लाभांश)	126.84	-
31 मार्च, 2025 (Rs. 7/- प्रति शेयर)		
अंतिम शेष	1,532.09	1,554.02
(b) लाभ और हानि विवरण में अधिशेष		
प्रारंभिक शेष	61.20	73.66
जोड़े: वर्ष के लिए लाभ	43.71	61.20
घटाए:		
31 मार्च, 2024 समाप्त वर्ष के लिए सदस्यों को अंतिम सीमित रिटर्न (लाभांश)	-	73.66
(Rs. 8/- प्रति शेयर)		
31 मार्च, 2025 समाप्त वर्ष के लिए सदस्यों को अंतिम सीमित रिटर्न (लाभांश)	-	-
(Rs. 7/- प्रति शेयर)		
जनरल रिजर्व में स्थानांतरित	104.90	-
अंतिम शेष	-	61.20
	1,532.09	1,615.22

नोट 5: आस्थगित अनुदान

प्रारंभिक शेष	957.36	516.24
जोड़े: वर्ष के दौरान उपयोग किया गया पूंजीगत अनुदान (नोट 36 देखें)	339.90	584.14
घटाए: पूंजीगत अनुदान से अर्जित संपत्ति से संबंधित मूल्यह्रास (नोट 13 देखें)	177.28	143.02
घटाए: संपत्तियों की बिक्री/निपटान का प्रभाव	0.95	-
अंतिम शेष	1,119.03	957.36

नोट 6: दीर्घकालिक देनदारियां

(a) एनडीडीबी से सुरक्षित ऋण	713.42	552.75
	713.42	552.75

नोट:

- (i) एनडीडीबी से रु. 736.44 लाख का ऋण 11.07.2023 को स्वीकृत किये गये। रुपये 202.12 लाख रुपये की पहली किस्त दिनांक 11.01.2024 को, 284.62 लाख रुपये की दूसरी किस्त दिनांक 14.03.2024 को, 66.00 लाख रुपये की तीसरी किस्त दिनांक 29.03.2025 एवं 183.69 लाख रुपये की चौथी किस्त दिनांक 04.08.2025 को प्राप्त हुई। ऋण को चल संपत्तियों (वर्तमान और भविष्य दोनों) के बंधक के माध्यम से सुरक्षित किया गया है और इस पर प्रति वर्ष 1.5% या एनडीडीबी द्वारा बताई गई दर पर ब्याज लगता है। पहली रिलीज की तारीख से मूलधन के पुनर्भुगतान पर 2 साल की अधिस्थगन अवधि के साथ ऋण 10 वर्षों में चुकाया जाना है। पुनर्भुगतान जनवरी 2026 से मासिक आधार पर होगा।

नोट 7: अन्य दीर्घकालिक देनदारियां

(a) सहायक एवं अन्य से प्राप्त व्यापारिक सुरक्षा जमा	1,334.27	1,228.99
	1,334.27	1,228.99

नोट नोट 8: दीर्घकालीन प्रावधान

(a) कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
(i) ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान (ग्रेच्युटी फंड का शुद्ध रु. 83.82 लाख; पिछले वर्ष रु. 37.71 लाख)	5.80	10.10
(ii) क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति के लिए प्रावधान	137.56	104.58
	143.36	114.68



	31 मार्च, 2026 तक रुपये लाख में	31 मार्च, 2025 तक रुपये लाख में
नोट 9: अल्पकालीन ऋण		
बैंकों से:		
(a) सुरक्षित ऋण (नौचे नोट (i) देखें)		
(i) FD के बदले ओवरड्राफ्ट	400.18	-
	400.18	-
नोट		
(i) BOI बैंक से लिया गया वर्किंग कैपिटल लोन बैंक ओवरड्राफ्ट की तरह है और यह बैंक के पास कंपनी की फिक्स्ड डिपॉजिट के बदले सुरक्षित है (नोट 16 एवं 19 देखें)।		

नोट 10: व्यापार देय		
(a) सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	129.52	30.14
(नोट 40 देखें)		
(b) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	4,859.55	3,420.68
	4,989.08	3,450.81

नोट:

(i) ** प्रबन्धन के पास उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार, आपूर्तिकर्ताओं से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमडीई अधिनियम) के अंतर्गत उनकी स्थिति के बारे में प्राप्त जानकारी के आधार पर कोई भी आपूर्तिकर्ता (एमएसएमडीई अधिनियम) में पंजीकृत नहीं है इसलिए कंपनी के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को कोई भी राशि देय नहीं है। यह लेखा परीक्षकों द्वारा भरोसा किया गया है।

(ii) व्यापार देय ऐजिंग की अनुसूची:

		रुपये लाख में					
		भगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया:					
क्रम सं.	विवरण	अन विल्ड ड्यूज	एक साल से कम	एक से दो साल	दो से तीन साल	एक से दो साल	तीन साल से अधिक
							कुल
(i)	एमएसएमडी						
	31 मार्च 2026 को	-	129.52	-	-	-	129.52
	31 मार्च 2025 को	-	30.14	-	-	-	30.14
(ii)	अन्य						
	31 मार्च 2026 को	-	4,859.55	-	-	-	4,859.55
	31 मार्च 2025 को	-	3,420.68	-	-	-	3,420.68
(iii)	विवादित बकाया - एमएसएमडी						
	31 मार्च 2026 को	-	-	-	-	-	-
	31 मार्च 2025 को	-	-	-	-	-	-
(iv)	विवादित बकाया - अन्य						
	31 मार्च 2026 को	-	-	-	-	-	-
	31 मार्च 2025 को	-	-	-	-	-	-

नोट 11: अन्य चालू देनदारियां

(a) सदस्याओं द्वारा शेयरों के समर्पण के बदले देय*	44.71	11.08
(b) सांविधिक प्रेषण (पीएफ और ईएसआईसी में योगदान, सोत पर कर कटौती आदि)	41.80	55.91
(c) याहकों से अग्रिम	78.74	29.22
(d) कर्मचारियों को देय	148.09	161.74
(e) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद पर देय**	79.93	32.93
(f) एडीडीवी को चुकाने योग्य (अप्रयुक्त अनुदान)	40.18	131.73
(g) धानी को चुकाने योग्य (अप्रयुक्त अनुदान)	-	114.97
(h) नाबाई को चुकाने योग्य (अप्रयुक्त अनुदान)	4.96	-
(i) मोबियस फाउंडेशन से प्राप्त अनुदान	146.22	162.30
(ii) इस्तिदा से प्राप्त अनुदान (अप्रयुक्त अनुदान)	15.62	-
	600.25	699.87

नोट

*कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378(2) के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने कंपनी के कुछ सदस्याओं को अपने इक्विटी शेयरों को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है क्योंकि ऐसी सदस्या अंतर्नियमों के अनुसार कंपनी की सदस्या होने के लिए निर्धारित शर्तों की पूर्ति करने में विफल रही है तदनुसार 44,715 शेयर (पिछले साल 11080 शेयर) को कंपनी को 100/- रुपये के सममूल्य पर आत्मसमर्पित कर दिया गया है और इन शेयरों को अन्य पात्र सक्रिय सदस्याओं को सममूल्य पर फिर से जारी किया गया है।

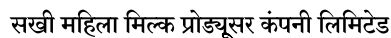
** इसमें सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से संबंधित 27.79 लाख रुपये (पिछले साल: 1.49 लाख रुपये) की राशि शामिल है।

नोट 12: अल्पकालीन प्रावधान

(ए) आयकर के लिए प्रावधान (कर भगतान का शुद्ध)

(i) क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति के लिए प्रावधान

	18.82	2.12
	18.82	2.12



नोट्स
(i) मूल्याहस एवं परिशोधन व्यय

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष
रुपये लाख में	रुपये लाख में
543.79	414.23
17.73	3.67
177.28	143.02
384.24	274.87

मूर्त संपत्तिया
अमूर्त संपत्तिया
घटाए: अनुदान पर अर्जित संपत्ति से संबंधित मूल्यहास



(ii) पूंजीगत अनुदान से खरीदी गई और उपयोग के अनुसूची में शामिल संपत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है (टिप्पणी 36 देखें):

संपत्ति	सकल ब्लॉक			संचित मूल्यांकन / परिशोधन			शुद्ध ब्याक	
	01 अप्रैल 2025 को	वृद्धि	कटौती	31 मार्च 2026 को	01 अप्रैल 2025 को	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
मूर्त संपत्तियां								
संघर्ष और उपकरण (पिछले वर्ष)	1,449.94 (940.15)	416.59 (509.79)	15.32 (-)	1,851.21 (1,449.94)	667.99 (532.43)	813.60 (667.99)	1,037.62 (781.95)	781.95
अभिस उपकरण (पिछले वर्ष)	12.41 (12.11)	0.32 (0.30)	- (-)	12.73 (12.41)	11.32 (10.09)	12.17 (11.32)	0.55 (1.09)	1.09
फर्नीचर व फिक्स्चर (पिछले वर्ष)	99.19 (37.35)	0.82 (61.84)	- (-)	100.01 (99.19)	19.81 (15.62)	30.07 (19.81)	69.94 (79.38)	79.38
कम्प्यूटर्स (पिछले वर्ष)	50.68 (32.94)	0.62 (17.74)	- (-)	51.30 (50.68)	34.17 (32.13)	40.36 (34.17)	10.94 (16.51)	16.51
अमूर्त संपत्तियां								
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर (पिछले वर्ष)	10.04 (10.04)	- (-)	- (-)	10.04 (10.04)	10.04 (10.04)	10.04 (10.04)	- (-)	-
कुल	1,622.26 (1,032.59)	418.35 (589.67)	15.32 (-)	2,025.28 (1,622.26)	743.33 (600.31)	906.24 (743.33)	1,119.04 (878.93)	878.93

(iii) कंपिटल वर्क इन प्रोजेक्ट

विवरण	निम्न अवधि के लिए पूंजीगत कार्य-प्रगति की राशि				कुल	
	एक साल से कम	एक से दो साल	दो से तीन साल	तीन साल से अधिक	एक साल से कम	कुल
परियोजनाएं वर्क इन प्रोजेक्ट (पिछले वर्ष)	0.10 (153.93)	- (-)	- (-)	- (-)	0.10 (153.93)	
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित (पिछले वर्ष)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	
कुल	0.10 (153.93)	- (-)	- (-)	- (-)	0.10 (153.93)	

(iv) विकास के अधीन अमूर्त संपत्ति

विवरण	निम्न अवधि के लिए पूंजीगत कार्य-प्रगति की राशि				कुल	
	एक साल से कम	एक से दो साल	दो से तीन साल	तीन साल से अधिक	एक साल से कम	कुल
परियोजनाएं वर्क इन प्रोजेक्ट (पिछले वर्ष)	2.13 (86.03)	- (-)	- (-)	- (-)	2.13 (86.03)	
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित (पिछले वर्ष)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	
कुल	2.13 (86.03)	- (-)	- (-)	- (-)	2.13 (86.03)	



	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
	लाख रुपये में	लाख रुपये में
नोट 14: आस्थगित कर संपत्तियां/(दायित्व) (शुद्ध)		
(i) आस्थगित कर दायित्वों को बनाने वाली वस्तुओं का कर प्रभाव:		
(a) संपत्ति, संयंत्र, उपकरण और अमूर्त संपत्ति के बुक बैलेंस और टैक्स बैलेंस के बीच अंतर पर	(14.18)	(9.27)
(ii) आस्थगित कर संपत्ति बनाने वाली वस्तुओं का कर प्रभाव:		
(a) मुआवजे की अनुपस्थिति और ग्रेच्युटी का प्रावधान	40.82	29.40
(b) IT एक्ट, 1961 की धारा 43B के तहत अस्वीकृतियों पर	8.20	6.65
शुद्ध आस्थगित कर संपत्तियां/(दायित्व)	63.19	45.32
नोट 15: दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम (असुरक्षित, उचित माने गए)		
(a) आयकर भुगतान (शुद्ध प्रावधान)	91.45	85.32
(b) पूंजीगत अग्रिम	21.20	182.69
	112.65	268.01
नोट 16: अन्य गैर-चाहू संपत्तियां		
(a) ओवरड्राफ्ट क्रेडिट सुविधा के लिए सिक्योरिटी के तौर पर रखा गया बैलेंस	342.60	-
(b) सुरक्षा जमा	12.26	5.56
(c) सरकारी अधिकरणों के साथ जमा	1.67	0.30
	356.53	5.86
नोट 17: इन्वेंटरी (कम लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर)		
(a) बिंदी के लिए माल	820.05	454.05
(b) स्टॉक-इन-ट्रेड (इन ट्रांजिट)	371.46	340.60
(c) उपभोग्य	219.97	-
	1,411.48	794.66
नोट 18: व्यापार प्राप्तियां (असुरक्षित, उचित माने गए)		
(a) भुगतान के लिए देय तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया - सुरक्षित, उचित माना गया	0.16	17.74
(b) अन्य	4,698.66	2,856.41
	4,698.82	2,874.15
(ii) व्यापार प्राप्य एजिंग की अनुसूची:		

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया:						
		छ: माह से कम	छ: माह से एक साल	एक से दो साल	छ: माह से एक साल	दो से तीन साल	तीन साल से अधिक	कुल
(i)	निर्विवाद व्यापार प्राप्य - कंसीडर गुड्स							
	31 मार्च, 2026 को	4,698.66	-	-	-	0.16	-	4,698.82
	31 मार्च, 2025 को	2,856.41	12.24	4.01	-	1.49	-	2,874.15
(ii)	निर्विवाद व्यापार प्राप्य - संदिग्ध							
	31 मार्च, 2026 को	-	-	-	-	-	-	-
	31 मार्च, 2025 को	-	-	-	-	-	-	-
(iii)	विवादित व्यापार प्राप्य - कंसीडर गुड्स							
	31 मार्च, 2026 को	-	-	-	-	-	-	-
	31 मार्च, 2025 को	-	-	-	-	-	-	-
(iv)	विवादित व्यापार प्राप्य - संदिग्ध							
	31 मार्च, 2026 को	-	-	-	-	-	-	-
	31 मार्च, 2025 को	-	-	-	-	-	-	-



	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
	लाख रुपये में	लाख रुपये में
नोट 19: नकद और बैंक शेष		
(a) नकद और नकदी के समतुल्य		
(i) बैंकों के साथ शेष राशि:		
a. चालू खातों में	210.90	501.08
b. बचत खातों में	352.16	59.47
नकद प्रवाह विवरण के एएस 3 के अनुसार नकद और नकद समकक्ष	563.06	560.55
(b) अन्य बैंक बैलेंस		
(i) जमा खातों में (मूल परिपक्वता 3 महीने से अधिक)	2,082.98	2,705.56
(ii) इअरमार्कड खातों में :		
- जीका अन्दान खाता	0.12	38.21
- जीका लोन खाता	0.00	0.04
- धानी अन्दान खाता (आआईडाआई)	-	133.75
- ओवरड्राफ्ट क्रेडिट सुविधा के लिए सिक्योरिटी के तौर पर रखा गया बैलेंस	231.00	-
	2,877.16	3,438.12

नोट :

- (i) बैंकों के पास शेष राशि में रुपये 948.98 लाख (पिछले वर्ष 1,268.53 लाख रुपये) की जमा राशि शामिल है। जिनकी बैलेंस शीट की तारीख से 12 महीने से अधिक की परिपक्वता है।

	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
	लाख रुपये में	लाख रुपये में
नोट 20: अल्पकालीन ऋण और अग्रिम (असुरक्षित, उचित माने गए)		
(a) विक्रेताओं को अग्रिम	76.22	25.67
(b) प्रीपेड खर्च	127.22	27.44
(c) सरकारी अधिकरणों के साथ बकाया	-	1.44
	203.44	54.54
नोट 21: अन्य चालू संपत्ति (असुरक्षित, उचित माने गए)		
(a) ब्याज अर्जित लेकिन बैंक जमा पर देय नहीं	17.74	15.56
(b) अन्य प्राप्तियां	0.83	0.03
	18.57	15.59

**नोट 22: संचालन से राजस्व**

	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष लाख रुपये में	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष लाख रुपये में
(a) उत्पादों की बिक्री		
(i) सकल बिक्री	85,656.14	70,711.77
(ii) घटाए: पुनर्खरीद के लिए तीसरे पक्ष (दूध प्रोसेसर) को बिक्री (नीचे नोट (i) देखें)	491.08	624.81
(iii) शुद्ध बिक्री	85,165.06	70,086.96

नोट्स:

- (i) यह दूध और दूध उत्पादों के प्रसंस्करण और पैकेजिंग के लिए तीसरे पक्ष को की गई बिक्री का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे ग्राहकों को बिक्री के लिए उनसे फिर से खरीदा जाता है।

उत्पादों की बिक्री में शामिल हैं:

(i) निर्मित माल		
a. घी	714.83	-
	714.83	-
(ii) व्यापारित माल		
a. कच्चा दूध	77,120.31	66,005.48
b. घी	531.73	1,003.76
c. पशु आहार एवं अन्य	3,442.38	2,643.86
d. रसगुल्ला और गुलाबजामुन	58.16	132.34
e. एसएस केन	8.56	83.22
f. पोलीपेक दूध एवं दूध उत्पाद	2,158.09	218.31
g. सरसों का बीज (सरसों)	1,131.00	-
	84,450.23	70,086.96
कुल	85,165.06	70,086.96

नोट 23: अन्य आय

(a) व्याज की आय		
(i) बैंको के साथ जमा पर	179.65	186.24
(ii) इनकम टैक्स रिफंड पर	3.29	-
(b) अन्य गैर-परिचालन आय		
(i) सदस्यता शुल्क	7.23	22.17
(ii) दंड आय	87.09	33.62
(iii) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभ	10.73	6.77
(iv) विविध आय	42.59	33.69
	330.59	282.49



	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष लाख रुपये में	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष लाख रुपये में
नोट 24: इस्तेमाल की गई सामग्री की लागत		
(i) कच्चा दूध		
(a) शुरुआती स्टॉक	-	-
(b) जोड़े खरीद	575.08	-
(c) जोड़े: घी में बदलने की लागत	68.91	-
	644.00	-
(c) घटाएँ: क्लोजिंग स्टॉक	-	-
	644.00	-
नोट 25: व्यापारिक वस्तुओं की खरीद		
(ए) कच्चा दूध	68,449.33	58,085.69
(बी) घी	498.50	854.93
(सी) पशु आहार एवं अन्य	3,145.95	2,423.03
(डी) रसगुल्ला और गूलाबजामून	71.06	85.07
(इ) एसएस केन	-	109.59
(एफ) पोलीपेक दूध एवं दूध उत्पाद	2,129.48	235.22
(जी) सरसों बीज (सरसों)	1,115.11	-
(h) बायोगैस हाउसहोल्ड प्लांट्स	200.11	-
(i) परिचालन व्यय (नीचे दिया गया नोट देखें)	4,473.33	4,029.74
	80,082.88	65,823.28
परिचालन व्यय में शामिल हैं:		
(ए) भाड़ा आवक शुल्क	2,322.49	1,751.11
(बी) सहायक को प्रोत्साहन	937.14	1,089.18
(सी) दूध ठंडा करने का शुल्क	920.99	868.83
(डी) सदस्याओं को प्रोत्साहन	32.58	308.02
(इ) अन्य परिचालन व्यय	260.14	12.60
	4,473.33	4,029.74
नोट 26: तैयार माल और स्टॉक-इन-ट्रेड की इन्वेंटरी में परिवर्तन		
तैयार माल और स्टॉक-इन-ट्रेड की इन्वेंट्री में कमी/(वृद्धि)		
(अ) वर्ष की शुरुआत में इन्वेंटरी		
स्टॉक-इन-ट्रेड	454.05	326.28
स्टॉक-इन-ट्रांजिट	340.60	216.42
	794.66	542.70
(बी) वर्ष के अंत में इन्वेंटरी		
स्टॉक-इन-ट्रेड	1,040.02	454.05
स्टॉक-इन-ट्रांजिट	371.46	340.60
	1,411.48	794.66
इन्वेंटरी में शुद्ध कमी/(वृद्धि)	(616.83)	(251.95)
नोट 27: कर्मचारी लाभ व्यय		
ए) वेतन और मजदूरी	1,322.84	1,009.75
(बी) भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	137.64	108.07
(सी) कर्मचारी कल्याण खर्च	71.38	49.50
	1,531.86	1,167.32



	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष
	लाख रुपये में	लाख रुपये में
नोट 28: वित्त लागत		
(अ) ऋण पर ब्याज व्यय	16.23	59.40
(बी) सांविधिक देय राशि के विलंबित भुगतान पर ब्याज	2.64	9.39
	18.87	68.79
नोट 29: अन्य खर्च		
(अ) स्टोर और पुर्जों की खपत	63.73	189.53
(बी) शक्ति और ईंधन	3.93	2.88
(सी) किराया	64.50	140.49
(डी) छपाई और लेखन सामग्री	13.15	39.07
(इ) मरम्मत और रखरखाव - मशीनरी	178.34	141.95
(एफ) मरम्मत और रखरखाव - अन्य	21.89	19.61
(जी) विज्ञापन और व्यापार प्रचार	9.36	57.06
(एच) माल ढलाई, अग्रेषण और वितरण खर्च	2,318.86	2,065.33
(आई) बीमा शुल्क	12.72	12.61
(जे) कानूनी और पेशेवर शुल्क	123.45	91.10
(के) लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक (नीचे नोट (i) देखें)	3.92	3.01
(एल) यात्रा और परिवहन	145.31	114.16
(एम) वाहन किराए पर लेने का खर्च	56.67	77.71
(एन) प्रशिक्षण खर्च	10.22	20.50
(ओ) उत्पादकता वृद्धि सेवाओं (पीईएस) से संबंधित व्यय	23.68	22.80
(पी) खरीद अवसरचना को सुदृढ़ करने से संबंधित व्यय (आईबीपी)	21.41	11.83
(क्यू) संचार खर्च	183.05	88.64
(आर) दरें और कर	12.50	13.54
(एस) बैंक और अभिविन्यास खर्च	22.72	46.31
(टी) विविध व्यय	47.89	42.76
(य) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)	2.80	8.05
	3,340.09	3,208.94
नोट:		
(i) लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक में शामिल हैं:		
(अ) सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	2.55	2.15
(बी) टैक्स ऑडिट शुल्क	0.50	0.40
(सी) अन्य	0.55	0.46
	3.60	3.01

(ii) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, कंपनी को साल के दौरान कुल मिलाकर 'शून्य' रुपये (पिछले साल यह राशि 10.83 लाख रुपये थी) खर्च करने थे।

	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष
	लाख रुपये में	लाख रुपये में
1 वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि	-	10.83
2 वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि:		
(i) किसी भी परिसंपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	-	-
(ii) उपरोक्त के अलावा अन्य उद्देश्य से	2.80	8.05
3 अप्रयुक्त सीएसआर खाते में स्थानांतरित राशि	-	2.78
4 वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई अतिरिक्त राशि	-	-
5 आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सेट ऑफ उपलब्ध है	-	-
6 सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति		

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, प्रधानमंत्री केन्द्रीय सहायता एवं आपातकालीन स्थिति राहत कोष (पीएम केयर्स फंड) या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित एट पिछड़े वर्गों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को राहत एवं कल्याण प्रदान करने वाले सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य कोष में योगदान।

नोट 30: असाधारण आइटम

21 नवंबर, 2025 को भारत सरकार ने 'लेबर कोड्स' (Code on Wages, 2019; Industrial Relations Code, 2020; Code on Social Security, 2020 और Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020) के प्रावधानों को अधिसूचित किया। ये कोड्स मौजूदा 29 लेबर कानूनों को मिलाकर एक ऐसा एकीकृत ढांचा बनाते हैं जो नौकरी के दौरान और नौकरी के बाद कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों को नियंत्रित करता है। इन लेबर कोड्स में कई बदलाव किए गए हैं, जैसे वेतन की एक समान परिभाषा और छुट्टी से जुड़े बेहतर लाभ। कंपनी ने इन बदलावों के वित्तीय असर का आकलन किया है। इसके परिणामस्वरूप ग्रेच्युटी देनदारी (एक 'डिफाइंड बेनिफिट प्लान' जो प्लान में बदलावों से जुड़ी पिछली सेवा की लागत से उत्पन्न होता है) और संवैतन छुट्टियों (compensated absences) के कारण होने वाली देनदारी में कुल मिलाकर 49.11 लाख रुपये की बढ़ोतरी हुई है। चूंकि नए कानून के लागू होने से पड़ने वाला असर एक बार होने वाली घटना है, इसलिए कंपनी ने इस अतिरिक्त राशि को 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 'प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट' में 'एक्सेप्शनल आइटम' (असाधारण मद) के तहत "लेबर कोड्स का असर" के रूप में दिखाया है। कंपनी लेबर कोड्स से जुड़े घटनाक्रमों पर लगातार नज़र रख रही है और कर्मचारी लाभ देनदारी के आकलन पर पड़ने वाले किसी भी असर का मूल्यांकन करेगी।

31 मार्च, 2026 तक
लाख रुपये में31 मार्च, 2025 तक
लाख रुपये में

नोट 31: आकस्मिक दायित्व और प्रतिबद्धताएं

अ आकस्मिक दायित्व

(अ) कंपनी के खिलाफ दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया

31 मार्च, 2026 तक कोई बकाया आकस्मिक दायित्व नहीं हैं

-

-

(बी) प्रतिबद्धताओं

पूंजीगत खाते पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि और प्रदान नहीं की गई (भुगतान किए गए अग्रिमों का नेट शून्य)

-

-

नोट 32

31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, डायरेक्टर्स ने 17 अगस्त, 2026 को हुई अपनी बैठक में पूरी तरह से पेड-अप इक्विटी शेयरों पर 146.63 लाख रुपये (7 रुपये प्रति शेयर) का फाइनल डिविडेंड देने का प्रस्ताव रखा है। इक्विटी डिविडेंड को सालाना आम बैठक में शेयरहोल्डर्स की मंजूरी मिलनी जरूरी है और इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लायबिलिटी के तौर पर शामिल नहीं किया गया है। प्रस्तावित इक्विटी डिविडेंड पूरी तरह से पेड-अप इक्विटी शेयरों के सभी होल्डर्स को दिया जाएगा।

नोट 33: कर्मचारी लाभ योजनाएं:

परिभाषित योगदान योजना

कंपनी अपने कर्मचारियों को भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि के रूप में परिभाषित योगदान योजना प्रदान करती है। भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि सभी नियमित कर्मचारियों को कवर करती है। भविष्य निधि अंशदान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (RPFC) के पास जमा किया जाता है। कर्मचारी और कंपनी दोनों कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत निर्दिष्ट दर पर योगदान का भुगतान करते हैं।

कंपनी ने प्रॉविडेंट फंड और पेंशन फंड में योगदान के लिए प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में ₹96.64 लाख (पिछले साल ₹71.06 लाख) की राशि दर्ज की है।

परिभाषित लाभ योजना

कंपनी अपने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी योजना (एकमुश्त राशि) के रूप में परिभाषित-लाभ योजनाओं की पेशकश करती है। परिभाषित लाभ योजनाओं के तहत लाभ सेवा के वर्षों और कर्मचारी के मुआवजे (सेवानिवृत्ति से तुरंत पहले) पर आधारित हैं। ग्रेच्युटी योजना में सभी नियमित कर्मचारी शामिल हैं। ग्रेच्युटी योजना के मामले में, कंपनी एलआईसी ऑफ इंडिया द्वारा प्रशासित ट्रस्ट और आयकर अधिकारियों द्वारा अनुमोदित फंड में योगदान करती है। प्रतिबद्धताओं को वर्ष के अंत में बीमांकिक रूप से निर्धारित किया जाता है। बीमांकिक मूल्यांकन "प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट" पद्धति के आधार पर किया जाता है। परिवर्तित बीमांकिक मान्यताओं के लाभ और हानि को लाभ और हानि के विवरण में प्रभावित किया जाता है।

निम्नलिखित तालिकाएँ ग्रेच्युटी और वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशि के संबंध में परिभाषित लाभ योजना की वित्त पोषित स्थिति निर्धारित करती हैं।

(i) परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन

	31 मार्च, 2026 लाख रुपये में	31 मार्च, 2025 लाख रुपये में
वर्ष की शुरुआत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	47.81	31.47
व्याज लागत	3.59	2.12
चालू सेवा लागत	27.24	17.54
पास्ट सेवा लागत	20.92	-
भुगतान किया गया लाभ	(4.43)	(8.55)
दायित्व पर एक्युअरियल (लाभ)/हानि	(5.51)	5.22
वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	89.62	47.81

(ii) योजनागत संपत्तियों का उचित मूल्य

	31 मार्च, 2026 लाख रुपये में	31 मार्च, 2025 लाख रुपये में
वर्ष की शुरुआत में योजनागत संपत्तियों का उचित मूल्य	37.71	35.03
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	4.39	2.36
योगदान	41.68	-
भुगतान किया गया लाभ	-	-
योजनागत संपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	0.05	0.32
वर्ष के अंत में योजनागत संपत्तियों का उचित मूल्य	83.82	37.71



(iii) योजना संपत्तियों पर प्रतिफल

योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ
बीमांकिक लाभ/(हानि)
योजना संपत्ति पर वास्तविक रिटर्न

31 मार्च, 2026	31 मार्च, 2025
लाख रुपये में	लाख रुपये में
4.39	2.36
0.05	0.32
4.44	2.68

(iv) बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त राशि

परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य
योजना संपत्ति का उचित मूल्य
बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त शुद्ध दायित्व/(संपत्ति)

31 मार्च, 2026	31 मार्च, 2025
लाख रुपये में	लाख रुपये में
89.62	47.81
83.82	37.71
5.80	10.10

(v) लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय

चालू सेवा लागत
पास्ट सेवा लागत
व्याज लागत
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/(हानि)
लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय

31 मार्च, 2026	31 मार्च, 2025
लाख रुपये में	लाख रुपये में
27.24	17.54
20.92	-
3.59	2.12
(4.39)	(2.36)
(5.55)	4.90
41.80	22.20

(vi) बैलेंस शीट रिकंसिलेशन

वर्ष की शुरुआत में शुद्ध दायित्व/(संपत्ति)
उपर्युक्त के रूप में खर्च
योगदान / लाभ का भुगतान
वर्ष के अंत में शुद्ध देयता/(संपत्ति)

31 मार्च, 2026	31 मार्च, 2025
लाख रुपये में	लाख रुपये में
10.10	(3.55)
41.80	22.20
(46.11)	(8.55)
5.80	10.10

कंपनी की नियोजित संपत्ति का प्रबंधन ट्रस्ट और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा अपनी ग्रेच्युटी योजना के संबंध में कंपनी को दायित्वों को निधि देने के लिए ली गई बीमा पॉलिसी के संदर्भ में किया जाता है। समूह ग्रेच्युटी फंड के लिए अपने निवेश पैटर्न के संबंध में योजना परिसंपत्तियों की श्रेणियों के बारे में जानकारी कंपनी के पास उपलब्ध नहीं है।

परिभाषित लाभ प्रतिबद्धताओं और खर्चों का अनुमान लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली बीमांकिक गणना निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित होती है, जो यदि परिवर्तित हो जाती है, तो परिभाषित लाभ प्रतिबद्धता के आकार, वित्त पोषण आवश्यकताओं और व्यय को प्रभावित करेगी।

(vii) प्रमुख बीमांकिक धारणाएं

छूट की दर
अपेक्षित वेतन वृद्धि
आर्कषक मूल्य:
30 वर्ष से कम आयु 31-44 वर्ष आयु 44 और उससे अधिक मृत्यु दर तालिका का इस्तेमाल किया

31 मार्च, 2026	31 मार्च, 2025
7.50%	6.75%
7.00% p.a.	7.00% p.a.
3%	3%
2%	2%
1%	1%
IAL (2012-14) ultimate	IAL (2012-14) ultimate

योजना परिसम्पत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ की दर कई लागू कारकों जैसे कि योजनागत संपत्तियों की संरचना, निवेश रणनीति, बाजार परिदृश्य आदि पर विचार करने के बाद निर्धारित की जाती है।

छूट की दर भारत सरकार की प्रतिभूतियों के प्रचलित बाजार प्रतिफल पर आधारित है, जैसा कि दायित्व की अनुमानित अवधि के लिए बैलेंस शीट की तारीख में है।

भविष्य में वेतन वृद्धि का अनुमान मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति, वेतन वृद्धि और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखता है।

(viii) क्षतिपूर्ति की अनुपस्थिति के लिए बीमांकिक अनुमान

मुआवजे की असंबद्ध अनुपस्थिति के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली बीमांकिक धारणाएं उपरोक्त vii के समान हैं।

(ix) अनुभव समायोजन

	31 मार्च, 2026	31 मार्च, 2025	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022
	लाख रुपये में	लाख रुपये में	लाख रुपये में	लाख रुपये में	लाख रुपये में
परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	89.62	47.81	31.47	22.51	16.64
योजना संपत्ति का उचित मूल्य	83.82	37.71	35.03	24.90	19.81
वित्त पोषण की स्थिति	5.80	10.10	3.55	(2.38)	(3.17)
दायित्वों पर लाभ/(हानि)	5.51	(5.22)	(1.46)	0.06	(0.50)
योजना संपत्ति पर लाभ/(हानि)	0.05	0.32	(0.11)	(0.15)	(0.32)



नोट 34: पट्टे की व्यवस्था

कंपनी ने ऑफिस की जगह और प्लांट व मशीनरी के लिए लीज़ एग्रीमेंट किए हैं। कंपनी ने प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में 64.50 लाख रुपये (पिछले साल 140.49 लाख रुपये) का लीज़ रेंटल खर्च दिखाया है।

नोट 35: प्रति इक्विटी शेयर आय

विवरण	इकाई	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष
कर के बाद शुद्ध लाभ	लाख रुपये में	43.71	61.20
बकाया इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या			
वर्ष के दौरान	संख्याएँ लाखों में	18.31	11.57
प्रति इक्विटी शेयरों का नॉमिनल वेल्यू	रुपये	100	100
प्रति शेयर मूल आय	रुपये	2.39	5.29
प्रति शेयर डायल्यूटेड आय की गणना करने के लिए उपयोग किए जाने वाले इक्विटी शेयर	संख्याएँ लाखों में	18.31	11.58
डाइल्यूटेड आय प्रति शेयर	रुपये	2.39	5.29

नोट 36: भारत सरकार की केंद्रीय क्षेत्र योजना "राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम" के घटक बी के तहत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) से प्राप्त/प्राप्त अनुदान का विवरण - "सहकारिता के माध्यम से डेयरी" और डेयरी स्वास्थ्य और पोषण पहल भारत से फाउंडेशन (DHANII) और इसका उपयोग इस प्रकार है - लेखांकन नीति संख्या 2(k) देखें:

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष
(अ) प्रारंभिक शेष	409.01	869.01
(b) वर्ष के दौरान प्राप्त	550.99	390.47
	960.00	1,259.48
(सी) वर्ष के दौरान उपयोग किया गया		
(i) पूंजीगत संपत्ति के लिए:		
- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए (CWIP को शामिल करते हुए)	339.90	584.14
(i) राजस्व व्यय के लिए*	363.12	266.34
कुल उपयोग (i) + (ii)	703.02	850.48
(d) साल के दौरान रिटर्न	50.00	-
(e) अयोचित शेष राशि (ए+बी-सी-डी)	206.98	409.01

नोट:

पूंजीगत परिसंपत्तियों की खरीद के लिए उपयोग किए गए अनुदान को आस्थगित अनुदान के रूप में दर्ज किया गया है और उपयोग किए गए राजस्व अनुदान को संबंधित व्यय के साथ घटा दिया गया है।



नोट 37: अनुपात

क्रम सं.	अनुपात	मीटर	भाजक	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	% बदलाव	25% से अधिक निम्नताओं के लिए स्पष्टीकरण
1	चाय अनुपात (समय में)	चाय संगति	चाय दायित्व	1.53	1.73	-11.31%	आवश्यक नहीं
2	ऋण-समता अनुपात (समय में)	कुल ऋण (मैंर चाय और चाय)	शेयरधारक की इक्विटी (कुल इक्विटी)	0.31	0.16	90.38%	यह अंतर साल के दौरान ली गई 400.18 लाख की ऑलइक्युएट मुलिया के कारण है, जो पिछले साल नहीं थी
3	"ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय = कर के बाद शुद्ध लाभ + मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय + ब्याज + गैर-नकद परिचालन व्यय + अन्य गैर-नकद समायाजन	ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय = कर के बाद शुद्ध लाभ + मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय + ब्याज + गैर-नकद परिचालन व्यय + अन्य गैर-नकद समायाजन	ऋण सेवा + पुकाया गया मूल्योन	10.67	0.09	11858.90%	इस अंतर का कारण पिछले वर्ष की तुलना में चाय वर्ष में PAT (दिस के बाद का लाभ) में 77% की कमी और इसी वर्ष से लंबी अवधि के कर्जा की अदायगी की बुरुजात है।
4	इक्विटी अनुपात पर लाभ (% में)	कर के बाद शुद्ध लाभ	औसत शेयरधारक की इक्विटी	1.24	2.05	-39.46%	इस अंतर का कारण पिछले वर्ष की तुलना में चाय वर्ष में PAT (दिस के बाद का लाभ) में 77% की कमी है।
5	इन्वेस्टी टर्नओवर अनुपात (समय में)	स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद + इन्वेस्टी में परिवर्तन	औसत इन्वेस्टरी	72.62	97.17	-25.26%	पिछले साल की तुलना में खरीदारी में 22% की बढ़ोतरी के कारण यह कमी आई है, हालांकि औसत इन्वेस्टी में 78% की वृद्धि हुई है।
6	व्यापार प्राम्य कारोबार अनुपात (समय में)	शुद्ध उधार बिक्री	औसत व्यापार प्राप्तियां	22.49	15.62	43.99%	यह बढ़ोतरी पिछले साल की तुलना में बिक्री में 22% की वृद्धि के कारण है, हालांकि औसत ट्रेड रिसीबिल्स में 16% की कमी आई है।
7	"व्यापार देय टर्नओवर अनुपात (समय में)"	शुद्ध उधार खरीद	औसत व्यापार देय	19.34	23.43	-17.43%	आवश्यक नहीं
8	"शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात (समय में)"	संपादन से राजस्व	कार्यशील पूंजी = चाय संगति + चाय दायित्व	26.60	23.17	14.80%	आवश्यक नहीं
9	शुद्ध लाभ अनुपात (% में)	कर के बाद शुद्ध लाभ	कुल आय	0.05	0.09	-41.21%	इस अंतर का कारण पिछले वर्ष की तुलना में चाय वर्ष में PAT (दिस के बाद का लाभ) में 77% की कमी है।
10	निर्धोजित पूंजी पर पिटन (में %)	व्याज और कर से पहले कमाई	निर्धोजित पूंजी = मुद्र नेटवर्क मूल्य + कुल ऋण + आस्थानित कर दायित्व	2.06	4.29	-51.97%	इस अंतर का कारण पिछले वर्ष की तुलना में चाय वर्ष में PAT (दिस के बाद का लाभ) में 77% की कमी है।
11	निवेश पर वापसी (% में)	निवेश से उत्पन्न आय	समय क्षारित औसत निवेश	लाय नहीं	लाय नहीं	लाय नहीं	लाय नहीं



क्रम सं.	अनुपात	मोटर	भाउक	31 मार्च 2024को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025को समाप्त वर्ष के लिए	% बदलाव	25% में अधिक भिन्नताओं के लिए स्पष्टीकरण
----------	--------	------	------	------------------------------------	------------------------------------	---------	--

नोट 38: अन्य वैधानिक जानकारी

- 131 मार्च, 2026 तक कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है।
- कंपनी ने घनोटरी, निदेशिका, कंपनरी और संबंधित पार्टियों (अंसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित किया गया है) को अलग-अलग या संयुक्त रूप से किसी अन्य व्यक्ति के साथ कृण की पकृति में कोई कृण या अधिम नहीं दिया है, जो मांग पर या बिना पुकार जा सकते हैं।
- कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं थी और बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कंपनी के खिलाफ कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं थी।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विनियुक्त डिफेंडरों पर दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य कृणदाला (कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित) या उसके संघ द्वारा विनियुक्त डिफेंडर पोषित नहीं किया गया था।
- कंपनी का कंपनी अधिनियम, 2013 की पारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की पारा 560 के तहत बंद कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं था।
- कंपनी ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान किनोटो मुद्रा या आभासी मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया है।
- कंपनी ने विदेशी सहित किसी अन्य व्यक्ति या संस्थाओं को या किसी अन्य व्यक्ति या संस्थाओं में अमल या कृण या निवेश नहीं किया है (या तो उधार की गई धनराशि या शेयर धर्मियम या किसी अन्य शेयर या किसी प्रकार के ढंड से) संस्थाओं ("मध्यस्थ"), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पकृणन गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करना ("अंतिम लाभार्थियों") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुझा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करे।
- कंपनी के पास कोई शुल्क नहीं था जो अभी तक सविविक अवधि के बाद आउओपी के साथ पंजीकृत नहीं थी।
- कंपनी को विदेशी संस्थाओं ("फंडिंग पार्टियों") सहित किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से कोई भी ढंड (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलकर सामंथी है) प्राप्त नहीं हुआ है। इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कंपनी को, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में किसी भी तरह से या फंडिंग पार्टी ("अंटीमोट बेनिफिशरीज") की ओर से किसी भी तरह से उधार या निवेश कर या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुझा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करे।

नोट 39: लेखा मातक (एएस) 18 - "संबंधित पार्टी प्रकटीकरण" के अनुसार आवश्यक प्रकटीकरण नीचे दिए गए हैं:

ए. संबंधित पक्षों का नाम और संबंधों की प्रकृति

रिश्ते की प्रकृति	प्रकाई का नाम
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक:	रजना देवधर गोयल (1अप्रैल 2025 से)

बी. उपरोक्त संबंधित पार्टियों के साथ वर्ष के दौरान लेनदेन की प्रकृति और मात्रा इस प्रकार है:

विवरण	कंपनरी	साथ रुपये में
प्रबंधकीय पारिवारिक		
रजना देवधर गोयल (1अप्रैल 2025 से)	49,56 -	49,56 -
धर्मन कुमार (18 मई 2024 तक)	- (15,60)	- (15,60)

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के आंकड़ों द्वारा हैं

**नोट 40:**

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के तहत आवश्यक प्रकटीकरण:

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष
(i) लेखा वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को बकाया मूलधन राशि	157.31	75.69
(ii) उस पर देय ब्याज लेखा वर्ष के अंत तक किसी भी आपूर्तिकर्ता को भुगतान नहीं किया गया है	-	-
(iii) नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ भुगतान की गई ब्याज की राशि	-	-
(iv) वर्ष के लिए देय और देय ब्याज की राशि	-	-
(v) लेखा वर्ष के अंत में अर्जित और बकाया ब्याज की राशि	-	-
(vi) आगे के वर्ष में भी देय और देय ब्याज की राशि, ऐसी तारीख तक जब तक कि उपरोक्त के रूप में ब्याज देय वास्तव में भुगतान नहीं किया जाता है	-	-

सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय राशि का निर्धारण उस सीमा तक किया गया है जिस सीमा तक प्रबंधन द्वारा एकत्र की गई जानकारी के आधार पर ऐसी पार्टियों की पहचान की गई है। यह लेखा परीक्षकों द्वारा भरोसा किया गया है।

नोट 41:

कंपनी दूध और पशुओं के चारे के व्यापार में लगी हुई है, जिसे एकल व्यवसाय खंड माना जाता है। कंपनी भारत में एकल भौगोलिक खंड में काम करती है। खंड रिपोर्टिंग पर लेखा मानक एस-17 के तहत आवश्यक प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कंपनी एक व्यवसाय और भौगोलिक खंड में काम करती है।

नोट 42:

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित मानदंडों के अनुसार सभी संपत्तियों और देनदारियों को चालू या गैर-चालू के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की प्रकृति, इसके संचालन और वसूली के आधार पर, कंपनी ने अपने परिचालन चक्र 12 महीने से कम का पता लगाया है। तदनुसार संपत्तियों और देनदारियों के वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए 12 महीने की अवधि पर विचार किया गया है।

नोट 43:

पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के अनुरूप करने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो, पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

उक्त तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

केएमजीएस एंड एसोसिएट्स के लिए

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

चार्टर्ड अकाउंटेंट

(फर्म पंजीकरण संख्या 4730N)

प्रमोद कुमार कपूर

पार्टनर

सदस्यता सं. 082424

ललिता शर्मा

अध्यक्षा

निदेशक पहचान सं.: 09678803

सावित्री यादव

निदेशक

निदेशक पहचान सं.: 11270236

रचना देवधर गोयल

निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी

निदेशक पहचान सं.: 08892551

सौरभ जैन

कंपनी सचिव

सदस्यता सं. 45759

स्थान: अलवर

दिनांक: 17.08.2026

राजेश जैन

वित्त प्रबंधक

सदस्यता सं. 451085

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 17.08.2026



कोर्पोरेट पहचान संख्या : U01122RJ2016PTC049648

पंजीकृत कार्यालय : प्लाट संख्या 8-बी, रूपवास रोड, भवानी तोप, अलवर (राज.)-301002

टेलीफोन 0144-2330332

ई-मेल: alwar.mpc@gmail.com वेबसाइट www.sakhimilk.com

सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की सदस्याओं की ग्यारहवीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन दिनांक 25 सितम्बर 2026 को दोपहर 01:15 बजे प्रताप ऑडिटोरियम, स्कीम नंबर-8, अलवर, राजस्थान पर निम्नलिखित व्यवसाय करने के लिए दी जाती है :

1. 31 मार्च 2026 को लेखापरीक्षित बैलेंस शीट, उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ-हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण तथा उस पर निदेशकों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, विचार करना और स्वीकार करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प पारित करना

"संकल्प किया गया कि 31 मार्च 2026 को लेखा परीक्षित बैलेंस शीट, उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण, अनुसूचियों और नोटों का एक हिस्सा और कंपनी के निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ, हो और एतद्वारा स्वीकृत किए जाते हैं।"

2. कंपनी की शेयर पूंजी पर सीमित रिटर्न (लाभांश) पर विचार करना और घोषित करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प पारित करना

संकल्प लिया गया कि 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए प्राक्कलित मुनाफे से सात रुपये प्रति इक्विटी शेयर की दर से 100 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के 2094761 इक्विटी शेयरों पर लाभांश पूरी तरह से भुगतान और अवशोषित 1,46,63,327 राशि इसके द्वारा अनुमोदित है और पुष्टि की जाती है तथा इस राशि का भुगतान उन सदस्याओं को किया जाएगा जिनका नाम 31 मार्च 2026 को सदस्याओं के रजिस्टर में उल्लिखित हैं।

3. श्रीमती सुमन देवी (डीआईएन 10299351) (नो क्लास का प्रतिनिधित्व) जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होती हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं, के स्थान पर श्रीमती सीता ढाका (डीआईएन 11896498) (क्लास-सी का प्रतिनिधित्व) को निदेशक के रूप में विचार और नियुक्त करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में अपनाना।

"संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रावधानों के साथ पठित धारा 152 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार, श्रीमती सुमन देवी (डीआईएन 10299351) (नो क्लास का प्रतिनिधित्व) निदेशक, आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं, और अयोग्य होने के कारण खुद को पुनः नियुक्ति के लिए पेश नहीं करती हैं और परिणामस्वरूप रिक्ति को श्रीमती सीता ढाका (डीआईएन 11896498) (क्लास-सी का प्रतिनिधित्व) को निदेशक के रूप में नियुक्ति द्वारा भरा जाता है। जिनकी कार्यालय अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।"

4. श्रीमती ललिता (डीआईएन 09678803) (कक्षा-सी का प्रतिनिधित्व) को निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार करना और नियुक्त करना, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होती हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए योग्य हैं और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में अपनाना।

"संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रावधानों के साथ पठित धारा 152 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार, श्रीमती ललिता (डीआईएन 09678803) (कक्षा-सी का प्रतिनिधित्व) निदेशक, आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं, और पात्र होने के नाते स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करती हैं, जिनकी कार्यालय अवधि रोटेशन से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।"

5. श्रीमती पूनम कुमारी (डीआईएन 10301959) (नो क्लास का प्रतिनिधित्व) जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होती हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं, के स्थान पर श्रीमती दुर्गा देवी सैनी (डीआईएन 11896519)



(क्लास-सी का प्रतिनिधित्व) को निदेशक के रूप में विचार और नियुक्त करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में अपनाना।

“संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रावधानों के अनुसार, धारा 152 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के साथ, यदि कोई हो, श्रीमती पूनम कुमारी (डीआईएन 10301959) (नो क्लास का प्रतिनिधित्व) निदेशक, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं, और अयोग्य होने के कारण खुद को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तुत नहीं करती हैं और परिणामस्वरूप रिक्ति को श्रीमती दुर्गा देवी सैनी (डीआईएन 11896519) (क्लास-सी का प्रतिनिधित्व) को निदेशक के रूप में नियुक्ति द्वारा भरा जाता है। जिनकी कार्यालय अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।”

6. श्रीमती सुमन शर्मा, अतिरिक्त निदेशक (डीआईएन 11411062) (नो क्लास का प्रतिनिधित्व) जोकि वित्त वर्ष 2025-26 के पेट्रोनेज डेटा के आधार पर निदेशक के तौर पर नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं, के स्थान पर श्रीमती पूनम (डीआईएन 11896537) (क्लास-बी का प्रतिनिधित्व) को निदेशक के रूप में विचार और नियुक्त करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में अपनाना।

“संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रावधानों के अनुसार, धारा 152 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के साथ, यदि कोई हो, श्रीमती सुमन शर्मा, अतिरिक्त निदेशक (डीआईएन 11411062) (नो क्लास का प्रतिनिधित्व), जोकि वित्त वर्ष 2025-26 के पेट्रोनेज डेटा के आधार पर निदेशक के तौर पर नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं और परिणामस्वरूप रिक्ति को श्रीमती पूनम (डीआईएन 11896537) (क्लास-बी का प्रतिनिधित्व) को निदेशक के रूप में नियुक्ति द्वारा भरा जाता है। जिनकी कार्यालय अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।”

7. कंपनी के वैधानिक ऑडिटर की नियुक्ति पर विचार करने और उसे मंजूरी देने के लिए।

"संकल्प किया गया कि मैसर्स वी हवेलिया एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, (फर्म पंजीकरण संख्या 036890C) को कंपनी का वैधानिक अंकेक्षक के रूप में इस ग्यारहवीं वार्षिक आम बैठक के समापन से लेकर कंपनी की सोलहवीं वार्षिक आम बैठक के समापन तक नियुक्त किया जाता है। और उन्हें बोर्ड द्वारा तय किया गया पारिश्रमिक प्रदान किया जाएगा।"

विशेष व्यवसाय

8. कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन पर विचार करने और उसे अनुमोदित करने के लिए, और यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करने के लिए।

"यह संकल्प लिया जाता है कि, कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग XXIA के प्रासंगिक प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 378-I, 378ZQ, 378ZR और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, और कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के मौजूदा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को निम्नलिखित तरीके से और निम्नलिखित सीमा तक परिवर्तित किया जाता है।

(1) मौजूदा अनुच्छेद 4.3 iii. को परिवर्तित/संशोधित किया जाएगा और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

4.3 iii. कोई भी सदस्य जो सदस्य के रूप में बने रहने के योग्य नहीं है, उसे कंपनी द्वारा सदस्य के रूप में हटाने के लिए लिखित नोटिस दिया जाएगा और उसे सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। सदस्य को नोटिस में निर्दिष्ट निर्धारित अवधि के भीतर नोटिस का उत्तर देना होगा। इसके बाद, बोर्ड कार्रवाई करेगा। इस मामले में निर्णय लिया जाएगा। हालाँकि, सदस्यों को नोटिस भेजने के उद्देश्य से, बोर्ड किसी विशेष वर्ष के दौरान सभी सदस्यों के लिए एक या अधिक पात्रता मानदंडों से छूट दे सकता है।

ऐसा नोटिस या दस्तावेज़ किसी सदस्य को हाथ से, साधारण डाक से, पंजीकृत डाक से, स्पीड पोस्ट से, कूरियर द्वारा या कंपनी में पंजीकृत सदस्य के ईमेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जा सकता है।



डाक, पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या कूरियर द्वारा भेजा गया नोटिस सामान्य परिस्थितियों में उसकी डिलीवरी के लिए आवश्यक अवधि की समाप्ति पर प्राप्त माना जाएगा।

कंपनी में पंजीकृत सदस्य के ईमेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा गया नोटिस प्रेषण की तिथि पर प्राप्त माना जाएगा, बशर्ते कि कंपनी को डिलीवरी में विफलता, डिलीवरी न होने या वापस आने की कोई सूचना प्राप्त न हो।

(2) कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 4.4 में निम्नलिखित नया अनुच्छेद 4.4(i) जोड़ा जाएगा:

4.4(i) कोई सदस्य निदेशक(ओं) के चुनाव या नियुक्ति में मतदान करने के लिए पात्र होगा। बोर्ड में सदस्यों के किसी विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व केवल तभी किया जा सकता है जब ऐसा हो।

सदस्य ने चुनाव या नियुक्ति से ठीक पहले वाले वित्तीय वर्ष के दौरान उस सदस्यता श्रेणी पर लागू सभी शर्तों को पूरा किया हो।"

(3) मौजूदा आर्टिकल 4.5 में बदलाव/संशोधन किया जाए और इसे इस प्रकार पढ़ा जाए:

सदस्यों को दी जाने वाली कीमत

- i. बोर्ड द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार सदस्यों को सप्लाई किए गए दूध की कीमत का भुगतान किया जाएगा।
- ii. कंपनी अपने सदस्यों को दूध की खरीद के लिए अलग-अलग कीमत दे सकती है, जो उस इलाके में प्रचलित कीमत और समय-समय पर तय किए जाने वाले अन्य मानदंडों पर आधारित हो सकती है।
- iii. सदस्य को शुरू में देय और बकाया कीमत का कुछ हिस्सा मिल सकता है (जैसा कि समय-समय पर तय किया जाए) और रोकी गई कीमत का भुगतान बाद में नकद, वस्तु के रूप में या इक्विटी शेयर आवंटित करके किया जा सकता है। यह भुगतान वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी

को सप्लाई किए गए दूध के अनुपात में या अन्यथा, उस सीमा तक, उस तरीके से और उन शर्तों के अधीन किया जाएगा जो बोर्ड तय करे।

iv. अन्य भुगतान:

कंपनी सदस्यों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान कर सकती है। यह प्रोत्साहन किन खूबियों के आधार पर, कितनी सीमा तक, किस तरीके से और किन शर्तों के अधीन दिया जाएगा, यह बोर्ड तय करेगा।

(4) मौजूदा आर्टिकल 9.6 i. में बदलाव/संशोधन किया जाए और इसे इस प्रकार पढ़ा जाए:

9.6 i. कंपनी की हर सालाना आम बैठक (AGM) में कुल चुने गए डायरेक्टरों में से एक-चौथाई रोटेशन (बारी-बारी) से रिटायर होंगे। रोटेशन से रिटायरमेंट के कारण खाली हुई जगह को आर्टिकल 9.5 के अनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हुए भरा जाएगा। हर सालाना आम बैठक में रोटेशन से रिटायर होने वाले डायरेक्टर वे होंगे जो सालाना आम बैठक (AGM) में अपनी पिछली नियुक्ति के बाद से सबसे लंबे समय से पद पर हैं। जिन डायरेक्टरों की नियुक्ति पिछली बार एक ही सालाना आम बैठक में हुई थी, उनमें से रिटायर होने वाले डायरेक्टर का फैसला लॉटरी (ड्रॉ) द्वारा किया जाएगा।

(5) मौजूदा आर्टिकल 9.6 iii में बदलाव/संशोधन किया जाए और इसे इस प्रकार पढ़ा जाए:

आर्टिकल के अनुसार रिटायर होने वाला हर डायरेक्टर, डायरेक्टर के तौर पर दोबारा नियुक्ति के लिए पात्र होगा। हालाँकि, किसी भी व्यक्ति को लगातार दो कार्यकाल से ज़्यादा समय के लिए डायरेक्टर के तौर पर नहीं चुना/नियुक्त किया जाएगा; ऐसा डायरेक्टर डायरेक्टर का पद छोड़ने के तीन साल पूरे होने के बाद नियुक्ति के लिए पात्र होगा। आर्टिकल 9.7 के तहत डायरेक्टर की नियुक्ति को कार्यकाल के तौर पर नहीं गिना जाएगा। इस लेख में।

(6) मौजूदा आर्टिकल 9.16 में बदलाव/संशोधन किया जाए और इसे इस प्रकार पढ़ा जाए:

9.16 कोई चुना हुआ डायरेक्टर तब अपना पद छोड़ देगा जब वह कंपनी का सदस्य नहीं रहेगा या इन आर्टिकल्स के तहत वोटिंग का अधिकार इस्तेमाल करने के लिए अयोग्य हो जाएगा। साथ ही, कोई सदस्य



बोर्ड पर डायरेक्टर के तौर पर नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा या डायरेक्टर का पद खाली हो जाएगा यदि:

9. रुहानी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (मर्ज होने वाली कंपनी) का सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (मर्ज करने वाली कंपनी) में विलय |

धारा 378ZN के तहत विशेष बहुमत से निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करने और, यदि उचित समझा जाए, तो उसमें बदलाव के साथ या बिना बदलाव के उसे पारित करने के लिए:

“यह संकल्प किया जाता है कि कं कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) की धारा 378ZN और अन्य लागू प्रावधानों, और आयकर अधिनियम, 1961 (जिसे आगे “आईटी अधिनियम” कहा जाएगा) की धारा 2(1B) के अनुसार, कंपनी के सदस्यों की मंजूरी से रुहानी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे “मर्ज होने वाली कंपनी” कहा जाएगा) का सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे “मर्ज करने वाली कंपनी” कहा जाएगा) में विलय किया जाता है। यह विलय प्रभावी तारीख (यानी प्रस्ताव पारित होने के एक महीने बाद या सभी सदस्यों और लेनदारों की सहमति मिलने तक, जो भी पहले हो) से लागू होगा। मर्ज होने वाली कंपनी (अपने सभी उपक्रमों और पूरे कारोबार सहित) बिना किसी अतिरिक्त कार्यवाही, दस्तावेज़, विलेख या चीज़ के, एक चालू कारोबार के तौर पर मर्ज करने वाली कंपनी में मिल जाएगी, उसे हस्तांतरित कर दी जाएगी और उसमें निहित हो जाएगी। इसके बदले में, मर्ज करने वाली कंपनी, मर्ज होने वाली कंपनी के इक्विटी सदस्यों को, रिकॉर्ड तारीख पर उनके पास मौजूद हर एक पूरी तरह से पेड-अप इक्विटी शेयर जिसका अंकित मूल्य 100 रुपये है के बदले, एक पूरी तरह से पेड-अप इक्विटी शेयर जिसका अंकित मूल्य 100 रुपये है जारी और आवंटित करेगी (इसे “शेयर विनिमय अनुपात” कहा जाएगा)। मर्ज करने वाली कंपनी में इस विलय, ट्रांसफर और निहित होने की प्रक्रिया में (बिना किसी सीमा के) ये बातें शामिल होंगी, जहाँ भी लागू हों:”

ऐ) संपत्तियां, जिनमें शामिल हैं: (i) सभी चल या अचल संपत्तियां और संपत्तियां, चाहे वे कब्जे में हों या प्रत्यावर्ती हों, मूर्त हों या अमूर्त, वर्तमान हों या आकस्मिक, (ii) सभी संयंत्र और मशीनरी, अचल संपत्तियां, इन्वेंट्री, निर्माणाधीन कार्य, चालू संपत्तियां, कंप्यूटर और अन्य कंप्यूटर उपकरण और परिधीय उपकरण, बीमा पॉलिसियां और इसके कोई भी दावे, टेलीफोन और अन्य संचार सुविधाएं, कार्यालय उपकरण, प्रतिष्ठान, उपयोगिताएं और सेवा कनेक्शन, (iii) राज्य, केंद्र, नगरपालिका या किसी अन्य प्राधिकरण से प्राप्त रियायतें, छूट, उपाय, सब्सिडी, अनुदान, प्रोत्साहन, गारंटी, बांड, अधिकार और लाइसेंस, भंडार, प्रावधान, निधियां, पट्टे, लाइसेंस, पंजीकरण, प्रमाण पत्र, अनुमतियां, सहमति, अनुमोदन, जो उस समय लागू हों, (iv) किरायेदारी अधिकार, परिसर, किराया खरीद, ऋण व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था के लाभ, सुरक्षा अनुबंध, अनुबंध, विलेख, व्यवस्थाएं, वचनबद्धता जपन, प्रौद्योगिकी/तकनीकी समझौते, बांड, शक्तियां, प्राधिकरण, परमिट, आवंटन। विशेषाधिकार, स्वतंत्रताएँ, लाभ, सुगमताएँ और सभी अधिकार, स्वामित्व, हित, सद्भावना, गैर-प्रतिस्पर्धा शुल्क, लाभ और फायदा, (v) निवेश, प्राप्य राशियाँ, बयाना राशि, धन के बदले भुगतान, विरोध राशि, ऋण, जमा राशि जिसमें सुरक्षा जमा शामिल हैं, और दिए गए अग्रिम, जिसमें बिना किसी सीमा के ब्याज या उस पर अर्जित कोई अन्य आय शामिल है, नकद, बैंक शेष, खाते और सभी समझौतों के सभी अन्य अधिकार, लाभ, (vi) कर और अन्य क्रेडिट (आयकर, सीमा शुल्क, केंद्रीय मूल्य वर्धित कर, मूल्य वर्धित कर, वस्तु एवं सेवा कर, केंद्रीय बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, अग्रिम कर, स्व-मूल्यांकन कर, विदेशी कर क्रेडिट, समतुल्यीकरण शुल्क, न्यूनतम वैकल्पिक कर यानी बही लाभ पर कर, स्रोत पर कटौती, स्रोत पर एकत्र कर, आदि के संबंध में क्रेडिट सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं), किसी भी कर, शुल्क, उपकर या अन्य प्रभार की वापसी (प्रतिदेयता के रूप में दावा की गई सभी राशियाँ सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, चाहे वे लेखा पुस्तकों में दर्ज हों या नहीं), (vii) सभी लेखा पुस्तकें, दस्तावेज और विलय करने वाली कंपनी से संबंधित, उसके कब्जे में, उसके पक्ष में प्रदान की गई या उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली किसी भी प्रकार की और किसी भी स्थान पर स्थित अभिलेख (जिन्हें "संपत्तियां" कहा गया है)

(बी) विलय करने वाली कंपनी के सभी परमिट, अधिकार, हक, लाइसेंस, अनापत्ति प्रमाण पत्र, सहमति, अनुमोदन, अनुदान, आवंटन, सिफारिशें, मंजूरी और किरायेदारी, चाहे वे किसी सरकारी प्राधिकरण या किसी व्यक्ति से प्राप्त हों;

(सी) विलय करने वाली कंपनी के सभी अनुबंधों, समझौतों, खरीद एवं बिक्री आदेशों, समझौता ज्ञापनों, बोलियों, निविदाओं, रुचि की अभिव्यक्तियों, आशय पत्रों, प्रतिबद्धताओं, उपक्रमों, विलेखों, बांडों, किसी भी प्रकार की व्यवस्थाओं और अन्य सभी दस्तावेजों, चाहे वे लिखित, मौखिक या किसी अन्य रूप में हों, के सभी विशेषाधिकार और लाभ, तथा अन्य सभी अधिकार जिनमें पट्टे के अधिकार, लाइसेंस और हर प्रकार की सभी सुविधाएं शामिल हैं;

(डी) विलय करने वाली कंपनी द्वारा कर, शुल्क, उपकर या अन्य प्रभार की वापसी, जिसमें विलय करने वाली कंपनी द्वारा किया गया कोई भी गलत या अधिक भुगतान और उस पर लगने वाला ब्याज शामिल है, के संबंध में, केंद्र या किसी राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी कानून, अधिनियम, नियम या संकल्प के संबंध में, और आयकर अधिनियम या अन्य देशों के कराधान कानूनों के तहत, या उक्त अधिनियम के तहत या किसी अन्य कानून या अधिनियम के अनुसार, समायोजित, अवशोषित न किए गए नुकसान और अवशोषित न किए गए मूल्यहास, आस्थगित राजस्व व्यय, कटौती, छूट, रियायत, भत्ता, परिशोधन लाभ आदि के संबंध में, या ऐसे ही किसी अन्य लाभ के संबंध में, ऐसे किसी भी दावे का अधिकार जो विलय करने वाली कंपनी द्वारा प्रस्तुत या किया नहीं गया हो;

(इ) विलय करने वाली कंपनी के सभी ऋण (सुरक्षित और असुरक्षित), देनदारियां जिनमें आकस्मिक देनदारियां, शुल्क, पट्टे, निर्यात दायित्व और किसी भी प्रकार, प्रकृति और विवरण के अन्य सभी दायित्व। बशर्ते कि, विलय करने वाली कंपनी द्वारा किए गए सुरक्षा दस्तावेजों या समझौतों में, जिनके तहत विलय करने वाली प्रत्येक कंपनी की संपत्तियां या परिसंपत्तियां किसी वित्तीय सहायता या दायित्व के लिए सुरक्षा के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं, उक्त संदर्भ को केवल विलय करने वाली कंपनी के उस उपक्रम से संबंधित संपत्तियों या परिसंपत्तियों के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा जो संकल्प के आधार पर विलय की गई कंपनी

में निहित हैं, और संकल्प विलय करने वाली कंपनी द्वारा बनाए गए किसी भी ऋण, जमा या सुविधा के लिए सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रभावी नहीं होगा जो विलय के आधार पर विलय की गई कंपनी में निहित हो जाएगी, और विलय की गई कंपनी विलय के प्रभावी होने के बाद इसके लिए कोई और अतिरिक्त सुरक्षा बनाने के लिए बाध्य नहीं होगी;

(एफ) विलय करने वाली कंपनी के सभी अन्य दायित्व, जिनमें विलय करने वाली कंपनी की देनदारियां भी शामिल हैं;

(जी) विलय करने वाली कंपनी से संबंधित सभी कानूनी कार्यवाही, जिनमें कर, अपील, अर्ध-न्यायिक, मध्यस्थता, प्रशासनिक या अन्य सभी प्रकार की कार्यवाही शामिल हैं; और

(एच) विलय करने वाली कंपनी द्वारा प्रभावी तिथि पर विभिन्न स्थानों पर कार्यरत सभी कर्मचारी (जिनमें ऐसे कर्मचारियों के संबंध में कर्मचारी लाभों में विलय करने वाली कंपनी का योगदान भी शामिल है)।

उपरोक्त बातों को सीमित किए बिना, यह इरादा है कि उपरोक्त विलय के माध्यम से विलय करने वाली कंपनी की सभी संपत्ति, परिसंपत्तियां, अधिकार, अनुदान, दावे, कर्तव्य, दायित्व, हकदारी, बौद्धिक संपदा अधिकार, लाभ, प्रोत्साहन, कर्मचारी, देनदारियां आदि इस संकल्प के अनुसार और नीचे दिए गए विवरण के अनुसार विलय की गई कंपनी में स्थानांतरित हो जाएंगी।

1. परिसंपत्तियों का हस्तांतरण

1.1. उपरोक्त के प्रतिकूल न होते हुए, (i) विलय करने वाली कंपनी की ऐसी संपत्तियां जो चल प्रकृति की हों या अमूर्त संपत्ति हों या अन्यथा हस्तलिखित या सांकेतिक सुपुर्दगी या पृष्ठांकन और सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरित की जा सकती हों, वे विलय की गई कंपनी को हस्तांतरित कर दी जाएंगी और ऐसे हस्तांतरण पर विलय की गई कंपनी की अभिन्न संपत्ति बन जाएंगी, (ii) विलय करने वाली कंपनी की सभी अचल संपत्ति (भूमि, भवन और कोई अन्य अचल संपत्ति सहित), यदि कोई हो, चाहे वह मुक्तधार हो या पट्टेदारी, और उससे संबंधित स्वामित्व, अधिकार और सुगमता के कोई भी दस्तावेज, विलय की गई कंपनी को हस्तांतरित और निहित हो जाएंगे, या हस्तांतरित और निहित माने जाएंगे, और ऐसे हस्तांतरण पर वे विलय की गई कंपनी की अभिन्न संपत्ति बन जाएंगे, और (iii) उपरोक्त संदर्भित संपत्तियों के अलावा अन्य

संपत्तियां, जिनमें विविध देनदार, निवेश, बकाया ऋण, जमा और अग्रिम, यदि कोई हो, नकद या वस्तु के रूप में या प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए वसूली योग्य, सरकार, स्थानीय और अन्य प्राधिकरणों और निकायों के पास बैंक शेष, यदि कोई हो, शामिल हैं। ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं या अन्य व्यक्तियों के अधिकार, विलयित कंपनी को हस्तांतरित और निहित हो जाएंगे और/या हस्तांतरित और निहित माने जाएंगे; बिना किसी अन्य कार्य, दस्तावेज या विलेख के, और इस प्रस्ताव के प्रभावी होने के बाद।

1.2. अधिनियम की धारा 378ZN के तहत पारित प्रस्ताव को प्रभावी करने के उद्देश्य से, उन परिसंपत्तियों, संपत्तियों और अधिकारों के संबंध में, यदि कोई हो, जिनके लिए किसी कानून या अन्यथा के तहत, हस्तांतरण के अलग दस्तावेजों, विलेखों या समझौतों की आवश्यकता होती है, जिनमें शामिल हैं अटॉर्नमेंट या एंडोर्समेंट के लिए आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में, विलयित कंपनी आवश्यकतानुसार, उत्परिवर्तन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित करेगी, और यह इस प्रस्ताव का अभिन्न अंग होगा।

1.3. प्रभावी तिथि से, विलयित कंपनी की अचल संपत्ति (यदि कोई हो) का स्वामित्व विलयित कंपनी के स्वामित्व के रूप में परिवर्तित और मान्यता प्राप्त माना जाएगा, और इस प्रस्ताव को उपयुक्त रजिस्ट्रार और उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय में दाखिल करना विलयित कंपनी के ऐसी अचल संपत्तियों पर स्वामित्व के अभिलेख के रूप में पर्याप्त होगा।

1.4. विलय करने वाली कंपनी की सभी परिसंपत्तियाँ, चाहे वे विलय करने वाली कंपनी की पुस्तकों में शामिल हों या नहीं, किसी अन्य कार्य, दस्तावेज या विलेख के बिना, विलय की गई कंपनी को हस्तांतरित हो जाएँगी और उसमें निहित हो जाएँगी और अधिनियम की धारा 378ZN के प्रावधानों के अनुसार संकल्प के प्रभावी होने पर विलय की गई कंपनी को हस्तांतरित और उसमें निहित मानी जाएँगी, बशर्ते कि विलय की गई कंपनी द्वारा संकल्प दाखिल करने की तिथि के बाद विलय की गई कंपनी के निदेशक मंडल की पूर्व लिखित सहमति के बिना कोई भी भारित परिसंपत्ति अधिग्रहित नहीं की गई हो।

1.5. केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, या किसी अन्य विभाग, निकाय, उपक्रम, एजेंसी, फाउंडेशन, संगठन आदि द्वारा प्रदत्त सभी अनुदान (चाहे एकमुश्त हों या आवर्ती), साथ ही सभी किश्तें, किश्तें, निकासी, संवितरण, मौद्रिक या गैर-मौद्रिक; चाहे स्वीकृत हों, आवेदन किए गए हों, दावा किए गए हों, प्राप्त हुए हों, आदि) जिनके लिए विलय करने वाली कंपनी प्रभावी तिथि पर या भविष्य में किसी निर्धारित मानदंड या मापदंड की पूर्ति पर पात्र थी या है, विलय की गई कंपनी को हस्तांतरित और निहित हो जाएंगे और विलय की गई कंपनी पर उसी तरह और उसी प्रभाव से लागू रहेंगे, जैसे कि यह विलय न होने की स्थिति में विलय की गई कंपनी पर लागू होते, बिना किसी और कार्य, दस्तावेज या विलेख के।

2. देनदारियों का हस्तांतरण

2.1. प्रभावी तिथि से, विलय करने वाली कंपनी के सभी दायित्व, जिनमें सभी सुरक्षित और असुरक्षित ऋण, विविध लेनदार, दायित्व (आकस्मिक दायित्व और आस्थगित कर दायित्व सहित), कर्तव्य, गारंटी, क्षतिपूर्ति और दायित्व (कोई भी गारंटी, साख पत्र या कोई अन्य साधन या व्यवस्था जिससे किसी भी रूप में आकस्मिक दायित्व उत्पन्न हो सकता है) शामिल हैं, चाहे विलय करने वाली कंपनी के लेखा बही में उनका उल्लेख हो या न हो, हर प्रकार, प्रकृति और विवरण के हों और चाहे वे किसी भी तरह से उत्पन्न हुए हों, उठाए गए हों, खर्च किए गए हों या उसके व्यावसायिक गतिविधियों और संचालन के लिए उपयोग किए गए हों, इस संकल्प के अनुसार, अधिनियम की धारा 378ZN और अन्य लागू प्रावधानों (यदि कोई हो) के तहत प्रभावी होते हुए, बिना किसी और कार्य, साधन, विलेख, मामले या वस्तु के, विलय करने वाली कंपनी को हस्तांतरित और निहित हो जाएंगे या हस्तांतरित और निहित माने जाएंगे, साथ ही उन पर कोई भी प्रभार, भार, बंधक, ग्रहणाधिकार, गिरवी या सुरक्षा भी शामिल होगी, और विलय करने वाली कंपनी द्वारा उनका ग्रहण किया जाएगा। प्रभावी तिथि पर बकाया राशि के अनुसार, विलयित कंपनी की देनदारियां उसी शर्तों और नियमों पर लागू होंगी जो विलय करने वाली कंपनी पर लागू थे, और विलयित कंपनी इन शर्तों के अनुसार इनका भुगतान, निपटान और संतुष्टि करेगी, और विलय प्रभावी होने के बाद विलयित कंपनी पर कोई अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व नहीं होगा। इसके अलावा, इस अनुच्छेद

2.1 के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए किसी तीसरे पक्ष या अन्य व्यक्ति की सहमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा जो किसी ऐसे अनुबंध या व्यवस्था का पक्षकार हो जिसके तहत ऐसी देनदारियां उत्पन्न हुई हों।

हालांकि, विलयित कंपनी, प्रभावी तिथि के बाद किसी भी समय, यदि किसी कानून या अन्य प्रावधान के तहत आवश्यक हो, तो लेनदारों या ऋणदाताओं के पक्ष में, या उस अनुबंध या व्यवस्था के किसी अन्य पक्षकार के पक्ष में, जिसमें विलय करने वाली कंपनी एक पक्षकार है, पुष्टिकरण विलेख निष्पादित कर सकती है, या कोई भी लिखित दस्तावेज, जैसा आवश्यक हो, यहां उल्लिखित प्रावधानों को औपचारिक रूप देने के लिए निष्पादित कर सकती है। संकल्प के प्रावधानों के तहत, विलयित कंपनी को विलय करने वाली कंपनी की ओर से ऐसे किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के साथ-साथ ऊपर उल्लिखित सभी औपचारिकताओं और अनुपालनों को लागू करने और पूरा करने के लिए अधिकृत माना जाएगा।

2.2. विलय करने वाली कंपनी और विलय की गई कंपनी के बीच देय कोई भी ऋण, अग्रिम और अन्य दायित्व (जिसमें कोई गारंटी, साख पत्र, आश्वासन पत्र या कोई अन्य साधन या व्यवस्था शामिल है जिससे किसी भी रूप में आकस्मिक देयता उत्पन्न हो सकती है), स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे और इस संबंध में किसी भी पक्ष पर कोई दायित्व नहीं होगा और विलय की गई कंपनी के खातों और अभिलेखों में उचित प्रभाव डाला जाएगा।

3. कानूनी कार्यवाही

3.1. यदि विलय करने वाली कंपनी के संबंध में या उससे संबंधित किसी भी प्रकार के कानूनी रूप से वैध, कार्रवाई योग्य और प्रवर्तनीय मुकदमे, कार्रवाई और कार्यवाही (जिसे यहां "कार्यवाही" कहा गया है) प्रभावी तिथि को लंबित हैं, तो संकल्प या संकल्प में निहित किसी भी बात के कारण वे न तो समाप्त होंगी, न ही बंद होंगी और न ही किसी भी तरह से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगी, बल्कि विलय की गई कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध कार्यवाही उसी प्रभावी ढंग से और उसी तरीके से और उसी सीमा तक जारी रखी



जाएगी और लागू की जाएगी, जिस तरह से संकल्प के अभाव में विलय करने वाली कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जाती या लागू की जा सकती थी।

4. कर्मचारी और अन्य कार्मिक

4.1. विलय करने वाली कंपनी के सभी कर्मचारी (सचिवों और प्रबंधकों सहित), जो प्रभावी तिथि को सेवा में थे, प्रभावी तिथि से विलय की गई कंपनी के कर्मचारी बन जाएंगे और उनकी सेवा की शर्तें और नियम प्रभावी तिथि को उन पर लागू शर्तों और नियमों से कम अनुकूल नहीं होंगे।

4.2. प्रभावी तिथि से, कर्मचारियों की सेवाओं को सदस्यता के उद्देश्य से और विभिन्न निधियों (नीचे परिभाषित) के नियमों या उपनियमों के आवेदन के लिए बिना किसी रुकावट, अवरोध या व्यवधान के निरंतर माना जाएगा।

4.3. यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाता है कि प्रभावी तिथि से, विलय करने वाली कंपनी के कर्मचारियों के लाभ के लिए सृजित या विद्यमान भविष्य निधि, ग्रेच्युटी निधि, सेवानिवृत्ति निधि, अवकाश शेष या कोई अन्य विशेष निधि या ट्रस्ट (यहाँ "निधि" के रूप में संदर्भित) ऐसे कर्मचारियों द्वारा किए गए सभी अंशदानों सहित, ब्याज/निवेश (जो स्थानांतरित कर्मचारियों से संबंधित और आबंटित हैं) के साथ, विलय करने वाली कंपनी की संबंधित निधियों में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे और उनका समेकन किया जाएगा, उन शर्तों और नियमों पर जो विलय से ठीक पहले विलय करने वाली कंपनी के ऐसे कर्मचारियों पर लागू थे, बशर्ते कि लागू कानून (अर्थात् कोई भी कानून जिसमें दिशानिर्देश, निर्णय, अधिसूचनाएं, परिपत्र, आदेश, नियम, विनियम आदि शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, जो किसी व्यक्ति पर बाध्यकारी या लागू होते हैं, चाहे वह भारत में हो या भारत के बाहर) के तहत सभी नियामक/कानूनी आवश्यकताओं/अनुमोदनों का अनुपालन किया जाए, बिना किसी अन्य कार्य, दस्तावेज या विलेख के।

4.4. विलयित कंपनी उक्त निधियों में संबंधित ट्रस्ट विलेखों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार अंशदान करने के लिए बाध्य होगी, ताकि विलय करने वाली कंपनी के ऐसे कोषों से संबंधित सभी अधिकार, कर्तव्य,

शक्तियां और दायित्व विलयित कंपनी के हो जाएं। यह स्पष्ट किया जाता है कि कर्मचारियों की सेवाएं निधियों के प्रयोजन के लिए निरंतर मानी जाएंगी और तदनुसार, विलय करने वाली कंपनी द्वारा ऐसे कर्मचारियों की पूर्व सेवाओं को ध्यान में रखा जाएगा। विलय करने वाली कंपनी और विलयित कंपनी के संबंधित निदेशक मंडल द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति की तिथि से, विलय करने वाली कंपनी अपने कर्मचारियों के रोजगार की शर्तों और नियमों में सामान्य व्यावसायिक प्रक्रिया के अलावा कोई परिवर्तन नहीं करेगी। उपरोक्त के बावजूद, विलयित कंपनी का निदेशक मंडल, यदि वह उचित समझे और लागू कानूनों के अधीन रहते हुए, विलय करने वाली कंपनी के पूर्ववर्ती कोषों के लिए विलयित कंपनी के भीतर अलग ट्रस्ट बनाए रखने का हकदार होगा।

5. परमिट

5.1. सभी सरकारी स्वीकृतियाँ और अन्य सहमतियाँ, अनुमतियाँ, कोटा, अधिकार, प्राधिकरण, हक, आवंटन, रियायतें, छूट, पंजीकरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र और लाइसेंस, जिनमें पर्यावरण संबंधी स्वीकृतियाँ, किरायेदारी, विशेषाधिकार, शक्तियाँ और हर प्रकार की सुविधाएँ शामिल हैं, जिनमें विलय करने वाली कंपनी एक पक्षकार है या जिनके लाभ के लिए विलय करने वाली कंपनी उपयोग करने की हकदार हो सकती है और जो विलय करने वाली कंपनी के संचालन के लिए आवश्यक हो सकती हैं, और जो प्रभावी तिथि से ठीक पहले विद्यमान या प्रभावी हैं, विलय की गई कंपनी के पक्ष में पूर्ण रूप से लागू रहेंगी और प्रभावी बनी रहेंगी, और उन्हें उसी तरह पूर्ण और प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा जैसे कि विलय की गई कंपनी बिना किसी अतिरिक्त कार्य, दस्तावेज या विलेख के, उसमें एक पक्षकार, लाभार्थी या देनदार होती।

5.2. विलयित कंपनी, संकल्प के प्रभावी होने पर, स्वतः ही विलय करने वाली कंपनी के व्यवसाय का संचालन करने का अधिकार ग्रहण कर लेगी, जिसमें लागू कानून के तहत आवश्यक सभी अनुमोदन, सहमति, अनुमतियाँ, कोटा, अधिकार, प्राधिकरण, हकदारी, आवंटन, रियायतें, छूट, अनापत्ति प्रमाण पत्र, लाइसेंस, विशेषाधिकार, शक्तियाँ और किसी भी प्रकार की सुविधाएँ शामिल हैं, और इसके लिए विलयित कंपनी के नाम पर किसी और आवेदन या पुनः अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

6. कराधान

6.1. यह संकल्प आयकर अधिनियम की धारा 2(1B) और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत "विलय" से संबंधित शर्तों का पूर्ण अनुपालन करेगा, जिसके अनुसार, अन्य बातों के अलावा:

क) विलय से ठीक पहले विलय करने वाली कंपनी की सभी संपत्तियां विलय के कारण विलयित कंपनी की संपत्तियां बन जाएंगी;

ख) विलय से ठीक पहले विलय करने वाली कंपनी की सभी देनदारियां विलय के कारण विलयित कंपनी की देनदारियां बन जाएंगी; और,

ग) विलय करने वाली कंपनी में कम से कम तीन चौथाई मूल्य के शेयर रखने वाले सदस्य विलय के कारण विलयित कंपनी के सदस्य बन जाएंगे।

6.2. यदि किसी भी समय, कानून में संशोधन के परिणामस्वरूप या किसी अन्य कारण से, संकल्प के किसी भी प्रावधान को आयकर अधिनियम की धारा 2(1B) और 47 के प्रावधानों के साथ असंगत पाया जाता है या उसकी व्याख्या असंगत पाई जाती है, तो धारा के प्रावधान प्रभावी होंगे और पक्षकार सद्भावनापूर्वक इस संकल्प को पारस्परिक रूप से संतोषजनक तरीके से संशोधित करने के लिए बातचीत करेंगे जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि यह संकल्प ऐसे प्रावधानों का अनुपालन करता है और यह संकल्प ऐसे प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए आवश्यक सीमा तक संशोधित माना जाएगा। हालांकि, ऐसा संशोधन संकल्प के अन्य भागों को प्रभावित नहीं करेगा।

6.3. संकल्प के प्रभावी होने पर, विलय करने वाली कंपनी और विलय की गई कंपनी को आयकर अधिनियम, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 और अन्य कर कानूनों के तहत निर्धारित प्रपत्रों, दाखिलियों और अनुलग्नकों के साथ अपने-अपने वित्तीय विवरणों और रिटर्न को संशोधित करने और भुगतान किए गए करों (जिसमें स्रोत पर काटा गया कर, स्रोत पर एकत्र किया गया कर आदि शामिल हैं)

के लिए धनवापसी और/या क्रेडिट का दावा करने और संकल्प के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए, यदि आवश्यक हो, तो उससे संबंधित मामलों के लिए स्पष्ट रूप से अनुमति दी जाती है।

6.4. उपरोक्त की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विलय करने वाली कंपनी को लागू कानूनों के अनुसार प्राप्त सभी लाभ, प्रोत्साहन, हानियाँ, क्रेडिट (जिनमें आयकर, स्रोत पर कटौती, स्रोत पर वसूली, वस्तु एवं सेवा कर आदि शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं) इस प्रस्ताव के प्रभावी होने पर विलय की गई कंपनी को प्राप्त होंगे और उसमें निहित हो जाएंगे। यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया जाता है कि प्रभावी तिथि से, विलय की गई कंपनी द्वारा देय सभी करों को विलय की गई कंपनी की कर देयता माना जाएगा। प्रभावी तिथि को या उसके बाद विलय करने वाली कंपनियों द्वारा किसी भी लागू कानून के तहत किए गए सभी अनुपालनों को विलय की गई कंपनी द्वारा किया गया माना जाएगा।

6.5. इसके अतिरिक्त, विलय की गई कंपनी को अन्यथा स्वीकार्य सभी कटौतियाँ और छूटें, जिनमें वास्तविक भुगतान पर या उचित करों की कटौती पर या स्रोत पर कटौती पर स्वीकार्य भुगतान शामिल हैं, आयकर अधिनियम के तहत लागू शर्तों की पूर्ति पर विलय की गई कंपनी के लिए कटौती या छूट के पात्र होंगे।

7. समझौते, अनुबंध और विलेख

7.1. प्रभावी तिथि से और इस संकल्प में निहित अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, वे सभी अनुबंध, विलेख, बांड, समझौते, व्यवस्थाएं, आश्वासन और अन्य सभी प्रकार के दस्तावेज जिनमें विलय करने वाली कंपनी एक पक्ष है या जिनके लाभ के लिए विलय करने वाली कंपनी पात्र हो सकती है, और जो प्रभावी तिथि से ठीक पहले विद्यमान या प्रभावी हैं, विलय की गई कंपनी पर पूर्ण रूप से लागू होंगे और विलय की गई कंपनी पर बाध्यकारी होंगे और उसी प्रकार पूर्ण और प्रभावी रूप से लागू किए जाएंगे जैसे कि विलय की गई कंपनी के स्थान पर विलय की गई कंपनी बिना किसी अतिरिक्त कार्य, दस्तावेज या विलेख के उसका पक्षकार होती।

7.2. जैसा कि ऊपर पैरा 7.1 में प्रावधान किया गया है, प्रभावी तिथि को किसी भी पक्ष के साथ लागू सभी समझौते और अनुबंध विलयित कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध उन पक्षों के साथ लागू रहेंगे, और इसलिए, ऐसे कोई समझौते नहीं हैं जिन्हें संशोधित, निरस्त या समाप्त किया जाएगा, जिनके लिए अन्यथा अधिनियम की धारा 378ZN(8)(e) के अनुसार किसी पूर्व सूचना या सहमति की आवश्यकता होती।

7.3. इस संकल्प के अन्य प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और इस तथ्य के बावजूद कि उपक्रम का निहित होना इस संकल्प के आधार पर ही होता है, विलयित कंपनी, यदि किसी कानून या अन्यथा के तहत आवश्यक हो, विलय करने वाली कंपनी, यदि आवश्यक हो, तो इस संकल्प के प्रावधानों को औपचारिक रूप देने के लिए, ऐसे विलेख, लिखित दस्तावेज या पुष्टिकरण में प्रवेश कर सकती है और/या जारी कर सकती है और/या निष्पादित कर सकती है या किसी त्रिपक्षीय व्यवस्था, पुष्टिकरण या नवीकरण में प्रवेश कर सकती है, जिसमें विलय करने वाली कंपनी भी पक्षकार होगी। इसके अलावा, विलय की गई कंपनी को विलय की गई कंपनी की ओर से ऐसे किसी भी विलेख, लिखित दस्तावेज या पुष्टिकरण को निष्पादित करने और संकल्प के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए विलय की गई कंपनी की ओर से आवश्यक सभी औपचारिकताओं को लागू करने या पूरा करने के लिए अधिकृत माना जाएगा।

7.4. विलय की गई कंपनी, चाहे अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुपालन के संदर्भ में हो या अन्यथा, विलय की गई कंपनी में निहित होगी। सभी आवश्यक कॉर्पोरेट अनुमोदन और अनुपालन विलय की गई कंपनी द्वारा प्राप्त/अनुपालन किए गए माने जाएंगे।

7.5. विलयित कंपनी विलय करने वाली कंपनी के संबंध में जारी की गई सभी बीमा पॉलिसियों के लाभ की हकदार होगी और पॉलिसियों में विलयित कंपनी का नाम "बीमाकृत" के रूप में इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा जैसे कि विलयित कंपनी प्रारंभ में ही उसमें एक पक्षकार थी।

7.6. विलय प्रभावी होने के बाद, विलयित कंपनी का बोर्ड प्राथमिक शासी निकाय के रूप में कार्य करना जारी रखेगा, सभी शक्तियों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को बरकरार रखते हुए, और विलय करने वाली कंपनी का बोर्ड बिना किसी और कार्य या विलेख के स्वतः भंग हो जाएगा, क्योंकि विलय करने वाली कंपनी का अस्तित्व समामेलन पर समाप्त हो जाएगा। विलय करने वाली कंपनी के बोर्ड में पूर्व में निहित सभी

अधिकार, दायित्व और प्राधिकार विलय करने वाली कंपनी के बोर्ड को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे और उसके द्वारा प्रयोग किए जाएंगे।

7.7. इस प्रस्ताव के पारित होने की तिथि से तीन महीने पहले तक विलय करने वाली कंपनी या विलयित कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध किसी भी संपत्ति से संबंधित किसी भी हस्तांतरण, माल की सुपुर्दगी, भुगतान, निष्पादन या अन्य किसी भी कार्य को रद्द करने का कोई उदाहरण नहीं है, जिसे यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध किया जाता, तो उसकी दिवालियापन की स्थिति में उसे कपटपूर्ण वरीयता माना जाता।

8. प्रतिफल

8.1. संकल्प के प्रभावी होने पर और विलय करने वाली कंपनी के विलय की गई कंपनी में विलय के प्रतिफल के रूप में, विलय की गई कंपनी बिना किसी और आवेदन, कार्य, विलेख, सहमति या दस्तावेज के, विलय करने वाली कंपनी के उन सदस्यों को, जिनके पास विलय करने वाली कंपनी के पूर्णतः भुगतान किए गए इक्विटी शेयर हैं और जिनके नाम अभिलेख तिथि (अर्थात प्रभावी तिथि) को विलय करने वाली कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं, या उनके संबंधित उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रशासकों या अन्य कानूनी प्रतिनिधियों या अन्य उत्तराधिकारियों को, जिन्हें विलय करने वाली कंपनी/विलय की गई कंपनी के बोर्ड द्वारा मान्यता दी जाए, शेयर विनिमय अनुपात के अनुसार, नीचे दर्शाई गई सीमा तक पूर्णतः भुगतान किए गए इक्विटी शेयर जारी और आवंटित करेगी।

8.2. उपरोक्त उल्लिखित शेयर विनिमय अनुपात को शेयर विनिमय अनुपात के निर्धारण के लिए प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए दोनों कंपनियों के निदेशक मंडल द्वारा अभिलेख में लिया गया है और अनुमोदित किया गया है।

8.3. विलयित कंपनी के इक्विटी शेयरों का उक्त निर्गमन विलयित कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों के अधीन होगा, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, और लाभांश, बोनस, मतदान अधिकार और विलयित कंपनी के इक्विटी शेयरों से जुड़े अन्य कॉर्पोरेट लाभों सहित सभी मामलों में विलयित कंपनी के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ समतुल्य होगा।

8.4. विलयित कंपनी के सदस्यों द्वारा इस प्रस्ताव की स्वीकृति को अधिनियम की धारा 42, 47, 62, 378F और 378H तथा अन्य प्रासंगिक एवं लागू प्रावधानों के अनुपालन में माना जाएगा, जो विलयित कंपनी द्वारा इक्विटी शेयरों के निर्गमन और आवंटन तथा इस प्रस्ताव में दिए गए प्रावधान के अनुसार मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में संशोधन से संबंधित हैं। विलयित कंपनी को धारा 42, 47, 62, 378F और 378H तथा अधिनियम की धारा 42, 47, 62, 378F और 378H तथा अन्य लागू प्रावधानों के तहत किसी भी प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के अनुपालन सहित कोई और प्रस्ताव या कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं होगी।

8.5. उपरोक्त पैरा 8.1 में उल्लिखित प्रतिफल के अतिरिक्त, विलयित कंपनी कोई अन्य शेयर, डिबेंचर, प्रतिभूतियां या किसी अन्य प्रकार का प्रतिफल निर्गमन निर्गमन, आवंटित या विनियोजित नहीं करेगी।

9. असहमति जताने वाले सदस्यों या लेनदारों के लिए प्रक्रिया

9.1. अधिनियम की धारा 378ZN(5) के प्रावधानों के अनुसार, प्रस्तावित संकल्प पर असहमति जताने वाला कोई भी सदस्य या लेनदार शेयरधारकों को दी गई सूचना की तामील की तारीख से एक माह की अवधि के भीतर निम्नलिखित विकल्प का प्रयोग कर सकता है:

(क) किसी सदस्य के मामले में - निदेशक मंडल की स्वीकृति से अपने शेयर किसी सक्रिय सदस्य को हस्तांतरित करना, जिससे वह कंपनी का सदस्य नहीं रहेगा; और

(ख) किसी लेनदार के मामले में - अपनी जमा राशि, ऋण या अग्रिम राशि, जैसा भी मामला हो, वापस लेना।

9.2. यदि उपरोक्त 9.1(क) के अंतर्गत कोई सक्रिय सदस्य असहमति जताने वाले सदस्य से शेयर खरीदना नहीं चाहता है, तो कंपनी स्वयं उन शेयरों को खरीदने की व्यवस्था करेगी और रद्द या सरेंडर किए गए प्रत्येक शेयर के लिए 100 रुपये का अंकित मूल्य अदा करेगी। यदि कंपनी द्वारा कोई शेयर खरीदे जाते हैं, तो इससे कंपनी की शेयर पूंजी में उस सीमा तक कमी आएगी।

9.3. असंतुष्ट सदस्य के शेयरों की खरीद के लिए सक्रिय सदस्य की खोज से संबंधित प्रक्रिया, और यदि कोई सक्रिय सदस्य शेयर खरीदना नहीं चाहता है, तो कंपनी द्वारा स्वयं शेयरों की खरीद इस प्रस्ताव के



प्रभावी होने की तिथि से पहले पूरी कर ली जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि लेनदेन इस तिथि से पहले संपन्न हो जाए।

9.4. अधिनियम की धारा 378ZN(6) के अनुसार, यदि कोई सदस्य उपर्युक्त समयावधि के भीतर अपने शेयरों के हस्तांतरण का विकल्प नहीं चुनता है, तो उस सदस्य को प्रस्तावित विलय के लिए सहमति दी हुई मानी जाएगी।

9.5. कंपनी और उसके निदेशक मंडल तथा अन्य अधिकारी उपरोक्त प्रक्रिया के लिए सभी आवश्यक कदम और कार्रवाई करेंगे।

10. विलयित कंपनी का भविष्य में संचालन

विलय करने वाली कंपनी और विलयित कंपनी दोनों ही मुख्य रूप से सदस्यों और अन्य लोगों से प्राप्त दूध और दूध उत्पादों के संग्रहण, क्रय, प्रसंस्करण और विपणन के समान व्यवसाय में संलग्न हैं। दोनों कंपनियों के व्यापक व्यावसायिक संचालन भी निम्नलिखित रूप से समान हैं:

- दूध उत्पादन करने वाली महिलाएं कंपनी की सदस्य हैं;
- ऐसी महिला दूध उत्पादक कंपनियां कंपनी को दूध की आपूर्ति करती हैं;
- कंपनी विभिन्न महिला दूध उत्पादकों से दूध एकत्रित करती है और उसे थोक में बाजार में बेचती है।

विलय के बाद, विलयित कंपनी के व्यावसायिक संचालन और अन्य कार्य पहले जैसे ही रहेंगे और विलयित कंपनी विलय करने वाली कंपनी की संयुक्त दक्षता के साथ उसी व्यवसाय को जारी रखेगी, जहां विलय करने वाली कंपनी के सदस्य विलयित कंपनी के सदस्य बन जाएंगे और विलयित कंपनी को दूध की आपूर्ति करेंगे।

11. विलय के लिए लेखांकन प्रक्रिया

संकल्प के प्रभावी होने पर, विलयित कंपनी अधिनियम की धारा 133 के तहत अधिसूचित लागू लेखांकन मानकों और अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों, साथ ही इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और भारत में अन्य सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों में निर्धारित लेखांकन पद्धति के अनुसार अपने लेखा-पुस्तकों में विलय का लेखांकन करेगी।

11.1. विलय करने वाली कंपनी की लेखा-पुस्तकों में लेखांकन प्रक्रिया:

चूंकि विलय करने वाली कंपनी संकल्प के प्रभावी होने पर परिसमापन के बिना भंग हो जाएगी, इसलिए इस संकल्प के अंतर्गत विलय करने वाली कंपनी की लेखा-पुस्तकों में कोई लेखांकन प्रक्रिया निर्धारित नहीं की जा रही है।

11.2. विलयित कंपनी की पुस्तकों में लेखांकन प्रक्रिया:

संकल्प में किसी अन्य बात के होते हुए भी, विलयित कंपनी, विलय करने वाली कंपनी के विलय का लेखांकन, अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानकों ("एस") में निर्धारित हित एकीकरण पद्धति के अनुसार, कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2021 के तहत, समय-समय पर संशोधित किए जाने के अनुसार, अपनी पुस्तकों में इस प्रकार करेगी कि:

(ए) दो स्वतंत्र संस्थाओं के विलय के पूर्ण होने के बाद, विलय करने वाली कंपनी की जो परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ, यदि कोई हों, इस संकल्प के अनुसार उसमें निहित हो जाती हैं, उन्हें विलय करने वाली कंपनी के वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए वहन मूल्यों पर दर्ज करेगी।

(बी) विलय करने वाली कंपनी के भंडारों की पहचान बरकरार रखी जाएगी और विलय की गई कंपनी विलय करने वाली कंपनी के भंडारों को उसी रूप में और उसी वहन मूल्य पर दर्ज करेगी जैसा कि विलय करने वाली कंपनी के वित्तीय विवरणों में दर्ज है।

(सी) विलय करने वाली कंपनी का विलय की गई कंपनी में विलय होने के बाद, विलय की गई कंपनी और विलय की गई कंपनी के बीच सभी अंतर-कंपनी लेनदेन और अंतर-कंपनी शेष, यदि कोई हो, जो विलय की गई कंपनी की पुस्तकों में दर्ज हैं, रद्द हो जाएंगे और इस संबंध में कोई और दायित्व नहीं रहेगा।

(डी) अनुच्छेद 8 के अनुसार विलय की गई कंपनी के सदस्यों को जारी किए गए विलय की गई कंपनी के इक्विटी शेयरों का अंकित मूल्य विलय की गई कंपनी की पुस्तकों में इक्विटी शेयर पूंजी खाते में जमा किया जाएगा। ऐसे इक्विटी शेयरों के जारी होने पर प्राप्त शेयर प्रीमियम, यदि कोई हो, तो विलय की गई कंपनी की पुस्तकों में प्रतिभूति प्रीमियम खाते में जमा किया जाएगा।

(ई) अनुच्छेद 11.2(a) से 11.2(d) के प्रावधानों के लागू होने के बाद यदि कोई घाटा होता है, तो उसे विलयित कंपनी के वित्तीय विवरणों में 'विलय आरक्षित' खाते में समायोजित किया जाएगा। अनुच्छेद 11.2(a) से 11.2(d) के प्रावधानों के लागू होने के बाद यदि कोई अधिशेष होता है, तो उसे उपलब्ध शेष राशि तक 'प्रतिभूति प्रीमियम' खाते में समायोजित किया जाएगा, और शेष राशि, यदि कोई हो, तो उसे विलयित कंपनी के वित्तीय विवरणों में संचित लाभ-हानि शेष में समायोजित किया जाएगा।

(एफ) विलय करने वाली कंपनी और विलयित कंपनी की लेखांकन नीतियों में किसी भी अंतर की स्थिति में, विलयित कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियां प्रभावी होंगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सुसंगत लेखांकन नीतियों पर आधारित वित्तीय स्थिति को दर्शाते हैं।

12. विलय करने वाली कंपनी का विघटन

प्रस्ताव के प्रभावी होने पर, विलय करने वाली कंपनी बिना किसी अन्य कार्य, दस्तावेज या विलेख के, परिसमापन के बिना ही भंग हो जाएगी।

13. अधिकृत शेयर पूंजी का हस्तांतरण और समेकन

13.1. संकल्प के अभिन्न अंग के रूप में और प्रभावी तिथि से संकल्प के लागू होने पर, विलय करने वाली कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी, जो कि 5,00,00,000 रुपये (पांच करोड़ भारतीय रुपये) है और जिसमें 100 रुपये (सौ भारतीय रुपये) अंकित मूल्य वाले 5,00,000 (पांच लाख) इक्विटी शेयर शामिल हैं, विलय की गई कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में समेकित, निहित और विलय हो जाएगी। उपरोक्त अनुसार विलय करने वाली कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी का विलय की गई कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ समेकन करने के बाद, विलय की गई कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी बढ़कर 35,00,00,000 रुपये (पैंतीस करोड़ भारतीय रुपये) हो जाएगी, जिसमें 100 रुपये (सौ भारतीय रुपये) के अंकित मूल्य वाले 35,00,000 (पैंतीस लाख) इक्विटी शेयर शामिल होंगे। विलय की गई कंपनी द्वारा कोई और कार्य, दस्तावेज या विलेख किए बिना, विलय करने वाली कंपनी द्वारा अपनी संबंधित अधिकृत शेयर पूंजी पर भुगतान किए गए

शुल्क को विलय के बाद विलय की गई कंपनी द्वारा अपनी अधिकृत शेयर पूंजी पर देय किसी भी शुल्क के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा, और इस वृद्धि के संबंध में किसी भी अतिरिक्त शुल्क या स्टाम्प शुल्क के भुगतान के लिए विलय की गई कंपनी की देयता (i) संकल्प के प्रभावी होने के बाद विलय की गई कंपनी द्वारा अपनी बढ़ी हुई अधिकृत शेयर पूंजी पर देय शुल्क या स्टाम्प शुल्क, और (ii) विलय की गई कंपनी द्वारा समय-समय पर अपनी अधिकृत शेयर पूंजी पर भुगतान किए गए शुल्क या स्टाम्प शुल्क (यदि कोई हो), और अधिकृत शेयर पूंजी के बीच के अंतर तक सीमित होगी। समझौता जापान के खंड VI में उल्लिखित खंड को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

“कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 35,00,00,000 रुपये (पैंतीस करोड़ भारतीय रुपये) है, जिसमें 100 रुपये (सौ भारतीय रुपये) अंकित मूल्य के 35,00,000 (पैंतीस लाख) इक्विटी शेयर शामिल हैं।”

13.2. धारा 378ZN और अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार बोर्ड तथा प्रत्येक पक्ष के सदस्यों द्वारा संकल्प के अनुमोदन पर, यह माना जाएगा कि विलय करने वाली कंपनी और विलय की गई कंपनी के बोर्ड तथा सदस्यों ने भी धारा 13, 61, 64, 378F, 378H और/या अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के किसी अन्य लागू प्रावधानों के तहत, जो भी लागू हों, विलय की गई कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में उपरोक्त पुनर्वर्गीकरण, संशोधन और वृद्धि को प्रभावी करने के लिए अपनी सहमति दे दी है, और विलय करने वाली कंपनी या विलय की गई कंपनी को धारा 13, 61, 64, 378F, 378H और/या अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा आर्टिकल्स के किसी अन्य लागू प्रावधानों के तहत कोई और संकल्प या कार्रवाई, जिसमें किसी भी प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का अनुपालन शामिल है, करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रस्ताव के प्रभावी होने पर, विलयित कंपनी, यदि आवश्यक हो, तो उपरोक्त पुनर्वर्गीकरण, संशोधन और विलयित कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि के संबंध में अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज/सूचनाएं कंपनी रजिस्ट्रार या किसी अन्य लागू सरकारी प्राधिकरण के पास इस प्रस्ताव में निर्धारित तरीके से दाखिल करेगी।

14. संकल्प के अन्य नियम

14.1. इस संकल्प या इसके किसी भी संशोधन या परिवर्धन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, विलय करने वाली कंपनी और विलय की गई कंपनी के अधिकृत व्यक्ति सभी आवश्यक निर्देश दे सकते हैं और उन्हें ऐसा करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जिसमें उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, संदेह या कठिनाई के समाधान या निवारण के लिए निर्देश भी शामिल हैं। ऐसे निर्धारण या निर्देश, जैसा भी मामला हो, सभी पक्षों पर उसी प्रकार बाध्यकारी होंगे जैसे कि वे इस संकल्प में विशेष रूप से शामिल किए गए हों।

14.2. विलय करने वाली कंपनी की सभी पुस्तकें, अभिलेख, फाइलें, कागजात, डेटाबेस, कैटलॉग (यदि कोई हो), वर्तमान और पूर्व ग्राहकों की सूचियाँ और अन्य सभी पुस्तकें और अभिलेख, चाहे भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में हों, लागू कानूनों के तहत जहाँ तक संभव और अनुमत हो, विलय करने वाली कंपनी द्वारा विलय की गई कंपनी को सौंप दिए जाएंगे।

14.3. विलय करने वाली कंपनी की परिसंपत्तियों और देनदारियों का हस्तांतरण, कानूनी कार्यवाही का जारी रहना और उपरोक्त समझौतों, अनुबंधों और दस्तावेजों का प्रभावी होना, विलय करने वाली कंपनी द्वारा प्रभावी तिथि को या उससे पहले संपन्न किए गए किसी भी लेनदेन या कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा, इस उद्देश्य और इरादे से कि विलय की गई कंपनी इस संबंध में विलय करने वाली कंपनी द्वारा किए गए और निष्पादित सभी कार्यों, कृत्यों और चीजों को स्वीकार करती है और अपनाती है, मानो वे उसकी ओर से किए गए और निष्पादित किए गए हों।

14.4. विलय करने वाली कंपनी और विलय की गई कंपनी, अधिनियम की धारा 378ZN और अन्य लागू प्रावधानों के तहत, संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार ("आरओसी") को, जहां भी लागू हो, संयुक्त या अलग-अलग सूचना देंगी, जिसमें प्रभावी विलय, रजिस्टर से विलय करने वाली कंपनी का नाम हटाने, विलय करने वाली कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी को विलय की गई कंपनी में संयोजित करने और यदि आवश्यक हो तो अन्य मामलों का उल्लेख होगा।

14.5. विलय करने वाली कंपनी के जो भी प्रस्ताव प्रभावी तिथि को वैध और लागू हैं, वे विलय की गई कंपनी के प्रस्ताव माने जाएंगे और यदि ऐसे किसी प्रस्ताव पर अधिनियम या किसी अन्य लागू प्रावधानों

के तहत कोई ऊपरी मौद्रिक या अन्य सीमाएं निर्धारित हैं, तो उक्त सीमाएं विलय की गई कंपनी में उन सीमाओं के कुल योग में जोड़ दी जाएंगी।

14.6. अधिनियम की लागू धारा के अनुसार विलय की गई कंपनी की उधार लेने की सीमा बिना किसी और कार्य या विलेख के विलय की गई कंपनी की कुल देनदारियों (यदि कोई हो) के बराबर राशि से बढ़ जाएगी, जो इस प्रस्ताव के अनुसार विलय की गई कंपनी को हस्तांतरित की जा रही हैं और विलय की गई कंपनी को इस संबंध में कोई नया प्रस्ताव पारित करने की आवश्यकता नहीं होगी।

14.7. विलय करने वाली कंपनी और विलय की गई कंपनी ने सामान्य व्यवसाय के दौरान सभी करों और देय राशियों का विधिवत भुगतान कर दिया है। जैसा कि ऊपर पैरा 6 में उल्लेख किया गया है, यह संकल्प आयकर अधिनियम की धारा 2(1B) और 47 के अनुपालन में है, और इस संकल्प के परिणामस्वरूप विलय करने वाली कंपनी या विलयित कंपनी पर कोई कर दायित्व नहीं होगा। संकल्प तक पहुंचने वाली वार्ताओं और इस संकल्प के नियमों और प्रावधानों को लागू करने और इस संकल्प के अनुसरण में व्यवस्था को पूरा करने से संबंधित सभी लागतें, शुल्क, कर और व्यय, जिनमें किसी भी विलेख, दस्तावेज, उपकरण का स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क शामिल हैं, विलयित कंपनी द्वारा वहन और भुगतान किया जाएगा।

14.8. विलय में शामिल प्रत्येक कंपनी के सदस्यों की सहमति, अधिनियम के अनुसार, जैसा लागू हो, इस संकल्प में निर्धारित सभी कार्यों को प्रभावी करने के लिए पर्याप्त मानी जाएगी और कंपनियों द्वारा अलग से कोई अतिरिक्त कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होगी।

14.9. यदि इस प्रस्ताव का कोई भाग किसी भी कारण से, या सदस्यों, लेनदारों, वैधानिक नियामक प्राधिकरणों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण, या बोर्ड द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी अन्य कारण से अमान्य, अप्रवर्तनीय या अव्यवहार्य पाया जाता है, तो संबंधित पक्षों के बोर्डों के निर्णय के अधीन रहते हुए, यह प्रस्ताव के अन्य भागों और/या प्रावधानों की वैधता या कार्यान्वयन को प्रभावित नहीं करेगा। संबंधित बोर्ड को प्रस्ताव के ऐसे भाग(नों) को अलग करने और शेष प्रस्ताव को ऐसे संशोधन के साथ लागू करने की सहमति देने का अधिकार होगा।

“इसके अलावा यह संकल्प किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल को ऐसे सभी काम, गतिविधियाँ और कदम उठाने के लिए अधिकृत किया जाता है, जिन्हें वे ऊपर दिए गए प्रस्ताव को लागू करने और इन प्रस्तावों में शामिल व्यवस्था को प्रभावी ढंग से अमल में लाने के लिए अपनी पूरी समझ-बूझ से ज़रूरी, वांछनीय, उचित या आवश्यक समझते हैं। इसके लिए उन्हें कंपनी के शेयरधारकों या सदस्यों से किसी और मंजूरी की ज़रूरत नहीं होगी; ऐसा माना जाएगा कि शेयरधारकों या सदस्यों ने ऊपर बताए गए और इस प्रस्ताव के तहत अपनी मंजूरी स्पष्ट रूप से दे दी है। साथ ही, बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स को ऐसे और दस्तावेज़, कागज़ात और लिखित सामग्री तैयार करने और उन पर हस्ताक्षर करने के लिए भी अधिकृत किया जाता है जिन्हें ज़रूरी समझा जाए, साथ ही ज़रूरी फाइलिंग करने और इन प्रस्तावों को लागू करने व व्यवस्था को अमल में लाने के मकसद से कोई भी या सभी गतिविधियाँ करने के लिए अधिकृत किया जाता है।”

“इसके अलावा यह भी संकल्प किया गया कि निदेशक मंडल, इन प्रस्तावों को लागू करने के लिए, अपनी किसी भी या सभी शक्तियों को कंपनी के किसी भी निदेशक या अफ़सर को सौंप सकता है। इसके लिए कंपनी के शेयरहोल्डर्स या सदस्यों से किसी और मंजूरी की ज़रूरत नहीं होगी; बोर्ड अपनी मर्जी से ऐसा कर सकता है अगर उसे यह सही, ज़रूरी या उचित लगे।”

“इसके अलावा यह भी संकल्प किया गया कि ऊपर बताए गए प्रस्तावों की कॉपी, जिन्हें कंपनी के किसी भी निदेशक ने सही प्रमाणित किया हो, सभी संबंधित लोगों को ज़रूरत के अनुसार दी जाएं और उनसे उन पर कार्यवाही करने का अनुरोध किया जाए।”

10. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कंपनी के बजट पर विचार और अनुमोदन करना।

“संकल्प किया गया कि 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च 2027 तक की अवधि के लिए कंपनी का बजट, जैसा कि वार्षिक आम बैठक से पहले रखा गया था और इसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है।”

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान: अलवर

दिनांक: 17.08.2026

रचना देवधर गोयल

मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक
डीआईएन संख्या:- 08892551



टिप्पणियाँ

1. वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए पात्र सदस्या एक प्रॉक्सी को हाथ दिखाने के साथ-साथ और एक प्रॉक्सी सदस्या के मतदान में भाग लेने और मतदान करने के लिए नियुक्त करने का हकदार है। गैर-सदस्या को प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जा सकता है। प्रभावी होने के लिए प्रॉक्सी को नियुक्त करने वाला लिखत विधिवत पूर्ण, मुहरबंद और हस्ताक्षरित होना चाहिए और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पहले जमा किया जाना चाहिए। प्रॉक्सी फॉर्म यहां संलग्न है।
2. सदस्याओं/प्रॉक्सी से अनुरोध है कि वे बैठक में भाग लेने के लिए विधिवत भरी हुई उपस्थिति पर्ची साथ लाएं।
3. संलग्न नोटिस में संदर्भित प्रासंगिक दस्तावेज कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में शनिवार और रविवार को छोड़कर, सामान्य व्यावसायिक घंटों (10.00 बजे से 17.00 बजे) के दौरान सभी कार्य दिवसों में सदस्याओं द्वारा निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।
4. सदस्याओं से अनुरोध है कि वे वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति एजीएम में लाएं क्योंकि कंपनी एजीएम के स्थान पर कोई प्रति उपलब्ध नहीं कराएगी।
5. कंपनी के खातों या संचालन से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी सदस्या से अनुरोध है कि बैठक की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को प्रश्न अग्रेषित करें।
6. सदस्याओं से अनुरोध है कि वे अपने सभी पत्राचार में अपने फोलियो नंबर और अपने सदस्या कोड का उल्लेख करें।
7. सदस्याओं से अनुरोध है कि वे अपने पते और बैंक खाते के विवरण में किसी भी परिवर्तन की सूचना तुरंत कंपनी को दें।
8. एजीएम स्थल पर हथियार, आग्नेयास्त्र, गोला-बारूद, चाकू और ब्लेड, तेज उपकरण आदि प्रतिबंधित हैं।

9. बैठक में किए जाने वाले विशेष व्यवसाय से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के तहत आवश्यक व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।

10. वार्षिक आम बैठक के आयोजन स्थल तक पहुंचने के लिए आसान स्थान के लिए प्रमुख लैंडमार्क के साथ एक रूट मैप वार्षिक आम बैठक की सूचना के साथ संलग्न है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA(4)(c) के तहत निदेशक के रूप में चुने जाने वाले उम्मीदवारों के संबंध में योग्यता का विवरण

आइटम संख्या 3,4,5,6

विवरण	श्रीमति ललिता	श्रीमति सीता ढाका	श्रीमति दुर्गा देवी सैनी	श्रीमति पूनम
उम्र	42	32	32	23
शैक्षिक योग्यता	M.A, B. ED	M.A.	M.A. B. ED	B.A.
व्यवसाय	कृषि एवं पशुपालन	कृषि एवं पशुपालन	कृषि एवं पशुपालन	कृषि एवं पशुपालन
अनुभव	कृषि एवं पशुपालन में सात साल का अनुभव	कृषि एवं पशुपालन में आठ साल का अनुभव	कृषि एवं पशुपालन में चार साल का अनुभव	कृषि एवं पशुपालन में छः साल का अनुभव
नियुक्ति की शर्तें एवं नियम	गैर कार्यकारी निदेशक, चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी	गैर कार्यकारी निदेशक, चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी	गैर कार्यकारी निदेशक, चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी	गैर कार्यकारी निदेशक, चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी
पारिश्रमिक का भुगतान करने की मांग एवं अंतिम पारिश्रमिक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बोर्ड में पहली नियुक्ति की दिनांक	30.08.2022	ग्यारहवीं आम सभा में नियुक्ति का प्रस्ताव	ग्यारहवीं आम सभा में नियुक्ति का प्रस्ताव	ग्यारहवीं आम सभा में नियुक्ति का प्रस्ताव



बोर्ड मीटिंग में भाग लिया की संख्या	7	0	0	0
अंशधारिता	33	38	18	90
अन्य निदेशकों एवं केएमपी के साथ सम्बन्ध	सम्बंधित नहीं	सम्बंधित नहीं	सम्बंधित नहीं	सम्बंधित नहीं
बोर्ड की समिती की सदस्यता / अध्यक्षता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान: अलवर

दिनांक: 17.08.2026

रचना देवधर गोयल

मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

डीआईएन संख्या:- 08892551

व्याख्यात्मक कथन

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378-1 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 102 के तहत)

कंपनी की परिचालन ज़रूरतों, गवर्नेंस के तरीकों और उत्पादक कंपनियों से जुड़े कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के अंतर्नियमों की समीक्षा की गई है। समीक्षा के आधार पर, गवर्नेंस के ढांचे को मज़बूत करने और प्रशासनिक दक्षता को बेहतर बनाने के लिए कंपनी के अंतर्नियमों के आर्टिकल 4.3.(iii), 4.4, 4.5, 9.6 (i), 9.6 (iii) और 9.16 में कुछ बदलावों का प्रस्ताव है। प्रस्तावित बदलावों में मुख्य रूप से नोटिस भेजने से जुड़े प्रावधानों को अपडेट करना, बेकार प्रावधानों को हटाना और अतिरिक्त गवर्नेंस ज़रूरतें शामिल करके निदेशकों के लिए योग्यता और अयोग्यता के मानदंडों को मज़बूत करना शामिल है। इन बदलावों का मकसद बेहतर गवर्नेंस को बढ़ावा देना, आर्टिकल्स में स्पष्टता लाना, दोहराव को खत्म करना, कानूनी प्रावधानों के साथ एकरूपता सुनिश्चित करना और कंपनी के प्रोड्यूसर सदस्यों के हितों की रक्षा करते हुए कंपनी के कुशल कामकाज को आसान बनाना है।

अंतर्नियमों एवं बहिर्नियमों की एक कॉपी, प्रस्तावित बदलावों के साथ, इस तारीख से लेकर मीटिंग की तारीख तक सभी कामकाजी दिनों में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा देखने के लिए उपलब्ध है।

निदेशक मंडल सदस्यों की मंजूरी के लिए साथ लगे नोटिस के आइटम नंबर 8 में दिए गए विशेष प्रस्ताव की सिफारिश करता है।

कंपनी का कोई भी निदेशक/अधिकारी या उनके रिश्तेदार, कंपनी के सदस्य होने के अलावा, किसी भी तरह से इस प्रस्ताव में रुचि या सरोकार नहीं रखते हैं।

व्याख्यात्मक कथन**मद संख्या 9****रूहानी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("रूहानी") के बारे में**

(a) रूहानी एक प्रोड्यूसर कंपनी है, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 ("एक्ट") के प्रावधानों के तहत 21 अक्टूबर, 2016 को पंजीकृत की गयी। यह मुख्य रूप से अपने सदस्यों और अन्य लोगों से दूध और दूध से बने उत्पादों को इकट्ठा करने, खरीदने, प्रोसेस करने और उनकी मार्केटिंग करने का काम करती है, साथ ही इससे जुड़ी या सहायक गतिविधियों में भी शामिल है।

(b) रूहानी का कॉर्पोरेट पहचान संख्या U01114RJ2016PTC099592 है।

(c) रूहानी का पंजीकृत कार्यालय सिधमुख, विनायक मेडिकल यूनिवर्सिटी चेनपुरा बारा राजगढ़ सिधमुख रोड, चूरू, सादुलपुर, राजस्थान - 331701 में स्थित है।

(d) रूहानी के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन के अनुसार, रूहानी के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

1. मुख्य रूप से सदस्यों और अन्य लोगों से दूध और दूध से बने उत्पादों को इकट्ठा करने, खरीदने, प्रोसेस करने और उनकी मार्केटिंग करने का काम करना, साथ ही इससे जुड़ी या सहायक गतिविधियों में भी शामिल होना।

2. सदस्यों के फ़ायदे के लिए दूध का उत्पादन बढ़ाने के मकसद से ब्रीडिंग, चारा/फीड और पशु चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में तकनीकी और मैनेजमेंट से जुड़ी सेवाएं देना या उनकी व्यवस्था करना।

3. ऐसी शिक्षा, ट्रेनिंग और अन्य गतिविधियां उपलब्ध कराना जो सदस्यों के बीच आपसी सहयोग और मदद के सिद्धांतों को बढ़ावा दें।

4. यह सुनिश्चित करना कि सदस्यों और अन्य लोगों से मिलने वाले दूध की क्वालिटी कंपनी और कानूनी अधिकारियों द्वारा तय किए गए स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो।

5. मुख्य रूप से सदस्यों और अन्य लोगों के प्राइमरी प्रोड्यूस (जैसे खाने का तेल, फल और सब्जियां) और उनसे बनी चीजों को खरीदने, पैदा करने, प्रोसेस करने, बेचने, ट्रेड करने, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करने का काम करना, साथ ही उनकी मार्केटिंग करना और इससे जुड़ी या सहायक गतिविधियों में शामिल होना।



6. सदस्यों को विभिन्न वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध कराना।

(a) रुहानी के 'आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन' की धारा 14 में, इसकी आम सभा में प्रस्ताव पारित करके इसके सम्मेलन, विलय या विभाजन का प्रावधान है।

(b) 31 मार्च, 2026 को रुहानी की अधिकृत, जारी और चुकता शेयर पूँजी इस प्रकार थी:

विवरण	मूल्य (रूपये में)
अधिकृत अंश पूँजी	
5,00,000 समता अंश 100 रुपये प्रत्येक	5,00,00,000
कुल	5,00,00,000
जारी और चुकता शेयर पूँजी	
12,316 समता अंश 100 रुपये प्रत्येक	12,31,600
कुल	12,31,600

पेड-अप शेयर कैपिटल में बदलाव हुए हैं।

17 अगस्त, 2026 तक, अधिकृत, जारी और पेड-अप शेयर कैपिटल इस प्रकार है:

विवरण	मूल्य (रूपये में)
अधिकृत अंश पूँजी	
5,00,000 समता अंश 100 रुपये प्रत्येक	5,00,00,000
कुल	5,00,00,000
जारी और चुकता शेयर पूँजी	
11,052 समता अंश 100 रुपये प्रत्येक	11,05,200
कुल	11,05,200



2. सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("सखी") के बारे में

(a) सखी एक प्रोड्यूसर कंपनी है, जिसे 19 मार्च, 2016 को अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकृत किया गया था। सखी मुख्य रूप से अपने सदस्यों और अन्य लोगों से दूध और दूध से बने उत्पादों को इकट्ठा करने, खरीदने, प्रोसेस करने और उनकी मार्केटिंग करने का काम करती है। साथ ही, वह ऐसी गतिविधियों में भी शामिल है जो इससे जुड़ी हैं या इसके सहायक हैं।

(b) सखी का कॉर्पोरेट पहचान संख्या U01122RJ2016PTC049648 है।

(c) सखी का पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नंबर 8-बी, रूपवास रोड, भवानी तोप, अलवर, राजस्थान - 301002 पर स्थित है।

(d) सखी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अनुसार, सखी के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

1. मुख्य रूप से सदस्यों और अन्य लोगों से दूध और दूध से बने उत्पादों को इकट्ठा करने, खरीदने, प्रोसेस करने और उनकी मार्केटिंग करने का काम करना, और ऐसी गतिविधियों में शामिल होना जो इससे जुड़ी हैं या इसके सहायक हैं।
2. सदस्यों के फ़ायदे के लिए दूध का उत्पादन बढ़ाने के मकसद से ब्रीडिंग, चारे और पशु चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में तकनीकी और मैनेजमेंट से जुड़ी सेवाएं देना या उनकी व्यवस्था करना।
3. ऐसी शिक्षा, ट्रेनिंग और अन्य गतिविधियां उपलब्ध कराना जो सदस्यों के बीच आपसी सहयोग और मदद के सिद्धांतों को बढ़ावा दें।
4. यह सुनिश्चित करना कि सदस्यों और अन्य लोगों से मिलने वाले दूध की क्वालिटी कंपनी और कानूनी अधिकारियों द्वारा तय किए गए स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो।
5. मुख्य रूप से सदस्यों और अन्य लोगों के प्राथमिक उत्पाद और उनसे बनने वाली चीज़ों (जैसे खाने का तेल, फल और सब्जियां) को खरीदने, पैदा करने, प्रोसेस करने, बेचने, ट्रेड करने, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करने का काम करना, उनकी मार्केटिंग करना और ऐसी गतिविधियों में शामिल होना जो इससे जुड़ी हैं या इसके सहायक हैं।
6. सदस्यों को विभिन्न वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना।

(a) 'सखी' के 'आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन' की आर्टिकल 14 में, इसकी आम बैठक में प्रस्ताव पारित करके इसके समामेलन, विलय या विभाजन का प्रावधान है।

(b) 31 मार्च, 2026 तक 'सखी' की अधिकृत, जारी और चुकता शेयर पूँजी इस प्रकार है:

विवरण	मूल्य (रूपये में)
अधिकृत अंश पूँजी	
30,00,000 समता अंश 100 रुपये प्रत्येक	30,00,00,000
कुल	30,00,00,000
जारी और चुकता शेयर पूँजी	
20,94,761 समता अंश 100 रुपये प्रत्येक	20,94,76,100
कुल	20,94,76,100

अधिकृत और पेड-अप शेयर कैपिटल में बदलाव हुए हैं।

17 अगस्त, 2026 तक, सखी की अधिकृत, जारी और पेड-अप शेयर कैपिटल इस प्रकार है:

विवरण	मूल्य (रूपये में)
अधिकृत अंश पूँजी	
30,00,000 समता अंश 100 रुपये प्रत्येक	30,00,00,000
कुल	30,00,00,000
जारी और चुकता शेयर पूँजी	
21,03,609 समता अंश 100 रुपये प्रत्येक	21,03,60,900
कुल	21,03,60,900

3. प्रस्तावित विलय का कारण

प्रस्तावित विलय का कारण, अन्य बातों के अलावा, इस प्रकार है:

(a) रुहानी और सखी, दोनों ही अधिनियम के अध्याय XXIA के प्रावधानों के तहत पंजीकृत

प्रोड्यूसर कंपनियाँ हैं। दोनों कंपनियाँ एक जैसी बिज़नेस गतिविधियाँ करती हैं, जैसे कि मुख्य रूप से सदस्यों और अन्य लोगों से दूध और दूध से बने उत्पादों को इकट्ठा करना, खरीदना, प्रोसेस करना, उनकी मार्केटिंग करना और उनसे जुड़ी या सहायक गतिविधियों में शामिल होना। दोनों कंपनियों के बिज़नेस ऑपरेशन इस प्रकार हैं:

- दूध उत्पादक जो दुधारू पशुओं का दूध निकालने और दूध के उत्पादन का काम करते हैं, वे कंपनी के सदस्य हैं;
- ऐसे दूध उत्पादक कंपनी को दूध सप्लाई करते हैं;
- कंपनी अलग-अलग दूध उत्पादकों से दूध इकट्ठा करती है और उनके उत्पाद/दूध को बाज़ार में थोक में बेचती है।

(b) रुहानी के मुख्य कामकाज वाले इलाके चार शहरों - फतेहाबाद, सिरसा (हरियाणा) और मानसा, बठिंडा (पंजाब) - में हैं, और इसलिए, इन जिलों के कई दूध उत्पादक रुहानी के सदस्य हैं। इसके अलावा, 'सखी' भी इन्हीं चार शहरों में काम करती है, इसलिए दूध उत्पादक सखी के भी सदस्य हैं। सिर्फ़ चार गाँव - जतन खुर्द (रोरी), खबरा कलाँ, महलसरा, मेहुवाला (फतेहाबाद) - ऐसे हैं जहाँ सखी काम नहीं कर रही है, लेकिन रुहानी के कुल कारोबार की तुलना में इन गाँवों से होने वाला कारोबार बहुत कम है। इस तरह, सखी पहले से ही रुहानी के सभी मुख्य इलाकों में काम कर रही है और नतीजतन, दोनों अलग-अलग कंपनियों के कामकाज में काफी हद तक एक जैसा काम है, जिससे कामकाज, मैनेजमेंट, लागत, समय आदि का दोहराव हो रहा है। साथ ही, सखी का नेटवर्क और कनेक्टिविटी बहुत बड़ी है, जिसमें कई राज्यों में फैले 2868 मिल्क पूलिंग पॉइंट शामिल हैं और इसे 26 मिल्क चिलिंग सेंटर और 22 बल्क मिल्क कूलर का सपोर्ट मिलता है।

(c) चूंकि दोनों प्रोड्यूसर कंपनियाँ एक जैसी बिज़नेस क्षेत्रों में अलग-अलग काम कर रही हैं और सखी का कामकाज बड़े नेटवर्क और कनेक्टिविटी के साथ पूरी तरह से चालू और स्थिर हो गया है, इसलिए रुहानी के कई सदस्यों ने पहले ही अपनी सदस्यता रद्द कर दी है और सखी के सदस्य बन गए हैं।

(d) दोनों कंपनियों के मैनेजमेंट ने दोनों कंपनियों की पिछली और मौजूदा स्थिति और कामकाज का मूल्यांकन किया है, और उनकी राय है कि मर्जर के ज़रिए दोनों कंपनियों के बिज़नेस को एक साथ लाने - जिसमें सुविधाओं का पूरी तरह से एकीकरण शामिल है - से तालमेल बनेगा और बिज़नेस को एक ही इकाई में मिलाने से नीचे बताए गए फायदे होंगे:

- दूध को ठंडा करने और स्टोर करने की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए 'सखी' के इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल संयुक्त बिज़नेस ऑपरेशन के लिए किया जा सकता है। इससे संसाधनों का दोहराव कम होगा और दोनों कंपनियों के सदस्यों और स्टैकहोल्डर्स को फ़ायदा होगा।
- 'रूहानी' की कैपिटल एसेट्स (जैसे डेटा प्रोसेसर मिल्क कलेक्शन यूनिट्स, ऑटोमैटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट्स आदि) का इस्तेमाल 'सखी' अपनी ऑपरेशनल क्षमता को तुरंत बढ़ाने के लिए बिना किसी अतिरिक्त कैपिटल खर्च के करेगी। इससे मर्जर के बाद बने नेटवर्क में तेज़ी से इंटिग्रेशन और दूध खरीदने की क्षमता में सुधार होगा।
- 'सखी' का मैनेजमेंट फ़्रेमवर्क और दूध सप्लायर्स का नेटवर्क अच्छी तरह से स्थापित है और इसे बनाने में काफ़ी वर्किंग कैपिटल, मेहनत और मैनुपावर लगाई गई है। वहीं, 'रूहानी' के सदस्यों की संख्या और बिज़नेस में काफ़ी कमी आई है और उसे अपना बिज़नेस ऑपरेशन जारी रखने में मुश्किल हो रही है। इसलिए, नीचे दी गई बातें 'रूहानी' को अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करने और बिज़नेस क्षमता बढ़ाने में 'सखी' की कोशिशों को मज़बूत करने में मदद करेंगी
 - a. 'रूहानी' के सदस्य 'सखी' के सदस्य बन जाएंगे और कंपनी को रोज़ाना दूध की सप्लाई जारी रखेंगे, जिससे उनकी आजीविका बनी रहेगी, लेकिन उन्हें एक बड़े और अच्छी तरह से स्थापित सपोर्ट सिस्टम का लाभ मिलेगा
 - b. अभी 'सखी' की एसेट्स में मुख्य रूप से दूध इकट्ठा करने की व्यवस्था और चिलिंग पॉइंट्स शामिल हैं। दोनों कंपनियों के मर्जर से इन एसेट्स का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा, जिससे प्रति यूनिट बिक्री पर फ़िक्स्ड कॉस्ट का असर कम होगा।

- c. अभी 'सखी' और 'रूहानी' दोनों की कुछ कमाई एक ही इलाकों से होती है, जैसे फ़तेहाबाद, सिरसा (हरियाणा) और मानसा, बठिंडा (पंजाब)। इन इलाकों में सुविधाओं का दोहराव है और इन सेवाओं के लिए अलग-अलग मैनेपावर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ़ भी है। दोनों कंपनियों के मर्जर से खर्चों का दोहराव कम करने में मदद मिलेगी।
- d. जतन खुरद (रोरी), खबरा कलां, महलसारा, मेहुवाला (फतेहाबाद) के वे इलाके जहाँ 'सखी' ने अभी तक अपना दूध कलेक्शन नेटवर्क नहीं बनाया है, लेकिन 'रूहानी' पहले से मौजूद है, उन्हें 'सखी' के कामकाज में शामिल किया जाएगा। इससे 'सखी' का रेवेन्यू बढ़ेगा और इन इलाकों में रहने वाले सदस्यों की कमाई में भी बढ़ोतरी होगी। मर्जर से ऑपरेटिंग कैश फ्लो को बेहतर ढंग से मैनेज करने में मदद मिलेगी।
- 'रूहानी' और 'सखी' के एक जैसे बिज़नेस को मिलाने से कामकाज में तालमेल बढ़ेगा और बिज़नेस का विस्तार व लंबे समय तक चलने वाला विकास संभव होगा। इससे दोनों कंपनियों के सदस्यों और सभी स्टैकहोल्डर्स के लिए ज़्यादा वैल्यू बनेगी।
 - मर्जर से दूध की बेहतर खरीद, ज़्यादा बल्क बिक्री और बल्क खरीदारों से बेहतर कीमत पर मोल-भाव करने में भी मदद मिलेगी। साथ ही, 'रूहानी' के बिज़नेस पर मैनेजमेंट का पूरा ध्यान केंद्रित होने से स्टैकहोल्डर्स की वैल्यू बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
 - एक ही मैनेजमेंट टीम स्ट्रक्चर, ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव, मैनेजरियल और अन्य सामान्य खर्चों में दोहराव की कमी, और कानूनी व रेगुलेटरी नियमों के पालन की जटिलताओं में कमी के कारण बड़े पैमाने पर काम करने के फायदे और कामकाज की बेहतर क्षमता हासिल होगी।
- (e) इसीलिए, ऊपर बताए गए लक्ष्यों को हासिल करने के लिए और कंपनियों की अपने क्रेडिटर्स और सदस्यों के प्रति जिम्मेदारियों और देनदारियों में कोई कमी न आने को ध्यान में रखते हुए, दोनों कंपनियों के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स ने एक्ट की धारा 378ZN और अन्य लागू प्रावधानों व नियमों के तहत 'रूहानी' का 'सखी' में मर्जर करने का फैसला किया है। दोनों कंपनियों के बोर्ड ऑफ़

डायरेक्टर्स का मानना है कि मर्जर का यह प्रस्तावित प्रस्ताव सभी स्टैकहोल्डर्स को फायदा पहुंचाएगा और सभी शेयरहोल्डर्स के लिए वैल्यू बढ़ाएगा।

(f) धारा 387ZN और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव में ये बातें शामिल हैं:

- (i) 'रुहानी' का 'सखी' में मर्जर;
- (ii) बदले में 'सखी' द्वारा इक्विटी शेयरों का जारी और अलॉटमेंट;
- (iii) रुहानी की अधिकृत शेयर पूंजी का सखी में ट्रांसफर और एकीकरण;
- (iv) रुहानी का समापन; और
- (v) इससे जुड़े या इसके परिणामस्वरूप होने वाले अन्य मामले; ये सभी प्रस्तावित प्रस्ताव में विस्तार से बताए गए तरीके से किए जाएंगे।

4. विलय को नियंत्रित करने वाले नियम-कानून:

(a) रुहानी और सखी 'प्रोड्यूसर कंपनियां' हैं जो "प्राथमिक उत्पादकों" के इक्विटी योगदान से बनी हैं और उन्हीं तक सीमित हैं, यानी इन प्रोड्यूसर कंपनियों में कोई सरकारी या निजी इक्विटी भागीदारी नहीं हो सकती और सदस्यों की इक्विटी का व्यापार नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे केवल किसी अन्य पात्र उत्पादक को ही ट्रांसफर किया जा सकता है।

(b) एक्ट की धारा 378G के अनुसार, प्रोड्यूसर कंपनी की सदस्यता स्वैच्छिक है और उन सभी पात्र व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जो प्रोड्यूसर कंपनी की सुविधाओं या सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं और सदस्यता के कर्तव्यों को स्वीकार करने के इच्छुक हैं। इन कंपनियों के सदस्य डेयरी किसान हैं, जिनमें से अधिकांश छोटे और सीमांत किसान हैं जिनके पास आजीविका के सीमित साधन हैं।

(c) प्रोड्यूसर कंपनियों को एक विशेष दर्जा दिया गया है, जो एक्ट के विशेष अध्याय XXIA के तहत आता है। यह अध्याय प्रोड्यूसर कंपनियों को नियंत्रित करता है और एक्ट के अन्य प्रावधानों या उस समय लागू किसी भी कानून पर प्रभावी होता है (एक्ट की धारा 378ZQ)।

(d) एक्ट की धारा 378ZN में दो या दो से अधिक प्रोड्यूसर कंपनियों के विलय या एकीकरण के लिए स्पष्ट प्रावधान हैं। इसके तहत जनरल मीटिंग में विलय के विस्तृत प्रावधानों वाला प्रस्ताव पारित करना होता है। यह प्रस्ताव एक ट्रांसफर डॉक्यूमेंट के रूप में काम करता है, जिससे संपत्ति, देनदारियां, अनुबंध, कर्मचारी आदि सखी को ट्रांसफर हो जाते हैं।

(e) एक्ट की धारा 378ZN के प्रावधानों के अनुसार, यह प्रस्ताव प्रभावी होने पर कंपनी रजिस्ट्रार रुहानी का नाम रजिस्टर से हटा देगा।

5. दोनों कंपनियों के बोर्ड ने 17 अगस्त, 2026 को हुई अपनी-अपनी बोर्ड मीटिंग में रुहानी का 'सखी' में विलय करने के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया।

6. कंपनी के बोर्ड ने मीटिंग्स (और अगर वे स्थगित होती हैं, तो उनकी अगली मीटिंग्स) के लिए श्री महेंद्र प्रकाश खंडेलवाल (CP नंबर 4459), जो एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हैं, को स्कूटिनाइज़र नियुक्त किया है।

7. साथ में दिए गए नोटिस और व्याख्यात्मक बयान में बताए गए संबंधित दस्तावेज़, नोटिस भेजे जाने की तारीख से लेकर मीटिंग की तारीख तक, सभी कामकाजी दिनों (शनिवार, रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर) पर बिज़नेस के समय के दौरान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा देखे जा सकते हैं।

8. कंपनी के किसी भी निदेशक/मुख्य प्रबंधकीय कर्मों या उनके रिश्तेदारों का ऊपर बताए गए प्रस्ताव में किसी भी तरह से, आर्थिक या अन्यथा, कोई संबंध या हित नहीं है।

बोर्ड इस प्रस्ताव को 'विशेष प्रस्ताव' के रूप में आपकी मंजूरी के लिए अनुशंसित करता है।

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान: अलवर

रचना देवधर गोयल

दिनांक: 17.08.2026

मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

डीआईएन संख्या:- 08892551

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की सदस्याओं की दसवी वार्षिक आम बैठक का कार्यवृत्त जो कि शनिवार, दिनांक 27 सितंबर, 2025 को दोपहर 01:15 बजे, प्रताप ओडिटोरियम, स्कीम न. 8, अलवर, राजस्थान-301001 पर दोपहर 1:15 बजे शुरू हुई और दोपहर 2:15 बजे समाप्त हुई।

उपस्थित:

1.	श्रीमती पिकी शर्मा	:	अध्यक्षा एवं अंशधारक
2.	श्रीमती ललिता	:	निदेशक एवं अंशधारक
3.	श्रीमती दया शर्मा	:	निदेशक एवं अंशधारक
4.	श्रीमती बबिता	:	निदेशक एवं अंशधारक
5.	श्रीमती सुमन देवी शीशिया	:	निदेशक एवं अंशधारक
6.	श्रीमती सुमन कुमारी पदमपुरा	:	निदेशक एवं अंशधारक
7.	श्रीमती पूनम कुमारी	:	निदेशक एवं अंशधारक
8.	श्रीमती गायत्री सिहाग	:	निदेशक एवं अंशधारक
9.	श्री बलजिंदर सिंह	:	विशेषज्ञ निदेशक
10.	श्री नरिंदर सिंह बाहगा	:	विशेषज्ञ निदेशक
11.	श्रीमति रचना देवधर गोयल	:	मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक
12.	श्री सौरभ जैन	:	कंपनी सचिव

ए. श्रीमती पिकी शर्मा ने बैठक के लिए अध्यक्ष का पद निर्वहन किया और कंपनी सचिव से बैठक शुरू करने के लिए अपेक्षित उपस्थिति और कोरम की पुष्टि करने को कहा।

बी. इसके बाद, कंपनी सचिव श्री सौरभ जैन ने बताया कि उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार 17,100 इक्विटी शेयर रखने वाले 291 शेयरधारक व्यक्तिगत रूप से एवं 7,20,014 इक्विटी शेयर रखने वाले 30,634 शेयरधारक प्रॉक्सी के माध्यम से सभा में उपस्थित थे। उन्होंने आगे कहा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की

धारा 378ZA (9) एवं कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 11.6 के अनुसार अपेक्षित कोरम 30,925 सदस्यों का है।

सी. अध्यक्ष ने कंपनी सचिव से यह सुनिश्चित करने के बाद घोषणा की कि सभा में आवश्यक कोरम मौजूद है।

डी. उन्होंने बताया कि प्रॉक्सी रजिस्टर, सदस्य रजिस्टर और निदेशक की अंशधारिता रजिस्टर, वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और अन्य वैधानिक रजिस्टर उपलब्ध थे और निरीक्षण के लिए खुले थे। उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं थी और इस प्रकार ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ा हुआ मान लिया गया।

ई. अध्यक्ष ने कंपनी की दशवी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों और निदेशकों का स्वागत किया। इसके बाद अध्यक्ष ने कंपनी के मूल्य, विजन और मिशन को पढ़कर बैठक की कार्यवाही शुरू की।

एफ. अध्यक्ष ने मौजूद सदस्यों को बताया कि श्रीमती रेखा कुमारी, श्रीमती सविता कुमारी, श्रीमती सरोज देवी निदेशक और श्री रघु हासन मल्लेगौड़ा विशेषज्ञ निदेशक मीटिंग में शामिल नहीं हो पाए।

जी. उपस्थित सदस्यों की सर्व सहमति से, दशवी वार्षिक आम बैठक बुलाने की सूचना, जो सदस्यों को पहले ही वितरित की जा चुकी थी, को पढ़ा हुआ मान लिया गया।

एच. इसके बाद, अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कंपनी के संचालन और कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी दी।

सदस्याओं को संबोधन समाप्त करने के बाद, अध्यक्ष ने बैठक को दशवी वार्षिक आम बैठक की सूचना में निर्धारित व्यवसाय को लेन-देन करने का निर्देश दिया।

इसके बाद, अध्यक्ष की सलाह पर, कंपनी सचिव श्री सौरभ जैन ने बैठक के एजेंडा मदों को एक-एक करके लिया:



1. 31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा, लाभ-हानि, खाता तथा उस अवधि की निदेशकों की रिपोर्ट व अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर विचार एवं अनुमोदन करना।

1.1 श्रीमती तारा (फोलियो संख्या: 1735) ने एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प प्रस्तावित किया।

संकल्प संख्या: 01/10TH AGM:27.09.2025/2024-25

"संकल्प पारित किया गया कि 31 मार्च 2025 को लेखा परीक्षित बैलेंस शीट, उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ-हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण, अनुसूचियों और नोटों के साथ-साथ कंपनी के निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को एतद्वारा स्वीकृत और अंगीकृत किया जाता है।"

श्रीमती गिरजेश (फोलियो नं.: 27564) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्याओं ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

2. कंपनी की शेयर पूंजी पर सीमित रिटर्न (लाभांश) पर विचार करना और घोषित करना।

2.1 श्रीमती पिकी (फोलियो संख्या: 52946) ने एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प प्रस्तावित किया।

संकल्प संख्या: 2/10TH AGM:27.09.2025/2024-25

"संकल्प पारित किया गया कि सीमित लाभांश (डिविडेंड) कम्पनी की समता अंश पूंजी पर रू. 7/- प्रति समता अंश की दर से, कम्पनी के 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लाभों में से रू. 100/- वाले पूर्ण प्रदत्त 18,11,949 समता अंशों पर रू. 1,26,83,643 (एक करोड़ छब्बीस लाख तिरासी हजार छः सौ तेतालीस रुपये मात्र) वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये देने का अनुमोदन एवं पुष्टि की जाती है और इसका भुगतान उन समता अंशधारकों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2025 को सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।

श्रीमती अफसरी (फोलियो नं.: 8665) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्याओं ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

3. श्रीमती पिकी शर्मा (डीआईएन 09312032) (क्लास बी का प्रतिनिधित्व) जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होती हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं के स्थान पर श्रीमती सावित्री यादव (डीआईएन 11270236) (क्लास बी का प्रतिनिधित्व) का निदेशक के रूप में विचार करना एवं नियुक्त करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में अपनाने के लिए ।

3.1 श्रीमती कृपा देवी (फोलियो संख्या: 56597) ने एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प प्रस्तावित किया ।

संकल्प संख्या: 3/10TH AGM:27.09.2025/2024-25

"संकल्प पारित किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI-A के प्रावधानों के अनुसार धारा 152 के साथ पठित और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार यदि कोई हो तो कंपनी की निदेशक श्रीमती पिकी शर्मा (डीआईएन 09312032) (क्लास बी का प्रतिनिधित्व) रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं और अयोग्य होने के कारण स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत नहीं करती हैं और परिणामस्वरूप रिक्ति को श्रीमती सावित्री यादव (डीआईएन 11270236) को निदेशक के रूप में नियुक्त करके भरा जाता है। जिनकी कार्यालय अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

श्रीमती मीना देवी (फोलियो नं.: 15726) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्याओं ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

4. श्रीमती बबिता (डीआईएन 09678588) (क्लास बी का प्रतिनिधित्व) जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होती हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए योग्य हैं को निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए ।

4.1 श्रीमती पूजा जाट (फोलियो संख्या: 29062) ने एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प प्रस्तावित किया ।

संकल्प संख्या: 4/10TH AGM:27.09.2025/2024-25

"संकल्प पारित किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI-A के प्रावधानों के अनुसार धारा 152 के साथ पठित और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार यदि कोई हो तो

कंपनी की निदेशक श्रीमती बबिता (डीआईएन 09678588) (क्लास बी का प्रतिनिधित्व) रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं और योग्य होने के कारण स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करती हैं ।

श्रीमती कुसुम लता (फोलियो नं.: 19398) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्याओं ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

5. श्रीमती रेखा कुमारी (डीआईएन 09678813) (नो क्लास का प्रतिनिधित्व) जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होती हैं और अपात्र होने के कारण पुनर्नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत नहीं करती हैं ।

- 5.1 श्रीमती ममता कँवर (फोलियो संख्या: 23923) ने एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प प्रस्तावित किया ।

संकल्प संख्या: 5/10TH AGM:27.09.2025/2024-25

संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय **XXIA** के प्रावधानों के अनुसार, धारा 152 और कंपनी अधिनियम, 2013के अन्य लागू प्रावधानों के साथ, यदि कोई हो, श्रीमती रेखा कुमारी (डीआईएन 09678813) (नो क्लास का प्रतिनिधित्व) निदेशक, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं, और अयोग्य होने के कारण खुद को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तुत नहीं करती हैं और परिणामी रिक्ति वार्षिक आम बैठक में योग्य उम्मीदवार नहीं होने के कारण भरी नहीं जा सकती है।”

श्रीमती प्रमोद (फोलियो नं.: 24102) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्याओं ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

6. श्रीमती कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि पर विचार और अनुमोदन करना।

- 6.1 श्रीमती ममता कुमारी (फोलियो संख्या: 77900) ने एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प प्रस्तावित किया ।

संकल्प संख्या: 6/10TH AGM:27.09.2025/2024-25

"संकल्प किया गया कि, कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI-A के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, विशेष रूप से धारा 378H, 378ZQ, 378ZR और अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी के अंतर्नियमों एवं बहिर्नियमों के लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 25,00,00,000/- पच्चीस करोड़ रुपये 25,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित 100/- (एक सौ रुपये) से 30,00,00,000/- तीस करोड़ रुपये 30,00,000 तीस लाख इक्विटी शेयरों में विभाजित 100/- (एक सौ रुपये) के अतिरिक्त 5,00,000 पांच लाख रु.100/- (रुपये एक सौ प्रत्येक) के इक्विटी शेयरों के सृजन द्वारा बढ़ाई जाती है।

"आगे यह संकल्प लिया गया है कि, कंपनी के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन को इसके मौजूदा क्लॉज VI को निम्नलिखित नए क्लॉज VI से प्रतिस्थापित करके बदला जा सकता है।

"छठी। कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 30,00,00,000 रुपये है। तीस करोड़ रुपये जो कि 100/- रुपये के 30,00,000 (तीस लाख) इक्विटी शेयरों में विभाजित है।"

आगे संकल्प किया गया है कि, इस संकल्प को प्रभावी करने के उद्देश्य से, कंपनी के मुख्य कार्यकारी इस तरह के सभी कदम उठाने के लिए और इस तरह के सभी कार्यों, मामलों और चीजों को करने के लिए अधिकृत हैं।

श्रीमती कल्पना (फोलियो नं.: 55300) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

7. एनडीडीबी द्वारा प्रवर्तित की जाने वाली बहुराज्यीय सहकारी संस्था की शेयर पूंजी पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित को विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना।

7.1 श्रीमती सीमा (फोलियो संख्या: 45406) ने एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प प्रस्तावित किया ।

संकल्प संख्या: 7/10TH AGM:27.09.2025/2024-25

"संकल्प लिया गया कि कंपनी के अंतर्नियमों और बहिर्नियमों के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रावधानों, और अधिनियम के किसी अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों, अन्य लागू कानूनों/वैधानिक प्रावधानों, यदि कोई हो) इसमें वर्तमान में लागू किसी भी वैधानिक संशोधन

या पुनः अधिनियमन सहित (के अनुसार, कंपनी के सदस्यों को बहु-राज्य सहकारी समिति के शेयरों को सामान्य आरक्षित निधि के 30 प्रतिशत की सीमा तक अभिदान करने और एनडीडीबी द्वारा प्रवर्तित बहु-राज्य सहकारी समिति का सदस्य बनने के लिए अनुमोदन दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त, यह भी संकल्प लिया गया कि कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी को इस संकल्प को लागू करने के लिए आवश्यक सभी कार्यवाही शुरू करने और दस्तावेजों को निष्पादित करने के लिए एतद्वारा अलग-अलग अधिकृत किया जाता है।”

श्रीमती सीता ढाका (फोलियो नं.: 33442) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्याओं ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

8. निर्धारित मानदंडों के आधार पर बोर्ड में रिक्त पद के लिए पात्र सदस्यों से प्राप्त आवेदनों की जांच करने के लिए 'नामांकन समिति के गठन के लिए दिशानिर्देशों' के संशोधन पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना।

8.1 श्रीमती मंजू देवी (फोलियो संख्या: 50780) ने एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प प्रस्तावित किया ।

संकल्प संख्या: 8/10TH AGM:27.09.2025/2024-25

संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग **XXI-A** के लागू प्रावधानों, विशेष रूप से धारा-378 I, धारा 14 , और उसके अंतर्गत बनाए गए अन्य प्रासंगिक प्रावधानों और नियमों के अनुसरण में, और इस संबंध में पहले पारित किसी भी संकल्प के स्थान पर, कंपनी के शेयरधारकों की सहमति से 'नामांकन समिति के गठन के लिए दिशानिर्देशों' को संशोधित करने की अनुमति दी जाती है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

i सखी महिला दुग्ध उत्पादक कंपनी लिमिटेड" का बोर्ड वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन महीने के भीतर एक" नामांकन समिति का गठन करेगा, जो बोर्ड को 'कंपनी के बोर्ड में रिक्त उत्पादक-सदस्य निदेशक पद के लिए संभावित उम्मीदवार' का सुझाव देगी।

ii बोर्ड में उत्पादक निदेशकों वर्ग ए या वर्ग बी या वर्ग सी के अंतर्गत रिक्ति की घोषणा कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा की जाएगी। नामांकन समिति द्वारा विचार के लिए पात्र सदस्यों से नामांकन आमंत्रित करने की



सूचना जितनी संख्या में पदों को भरने के लिए बोर्ड में रिक्त पदों की संख्या कंपनी के नोटिस बोर्ड पर और/या कंपनी की वेबसाइट पर, यदि कोई हो, और/या साधारण डाक द्वारा परिपत्र भेजकर और/या कंपनी के साथ पंजीकृत अपने ईमेल आईडी पर और/या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम/मोड के माध्यम से संबंधित वर्ग के सभी पात्र सदस्यों को भेजकर, जिसके लिए रिक्ति उत्पन्न होती है, सूचना दी जाएगी।

iii बोर्ड एक प्रक्रिया तैयार करेगा जिसका पालन 'नामांकन समिति' द्वारा अनुच्छेद के अंतर्गत निर्दिष्ट संभावित सदस्यों की पहचान के लिए किया जाएगा।

iv 'नामांकन समिति' पात्र आवेदक के लिए प्रत्येक पैरामीटर के विरुद्ध दिए जाने वाले 'आवेदक के पात्रता अंक' को दर्शाने वाली निम्नलिखित तालिका पर विचार करेगी:

आवेदक के पात्रता स्कोर के लिए पैरामीटर	अधिकतम स्कोर
पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी को आपूर्ति किये गये दूध के दिनों की संख्या का अंकन निम्नानुसार होगा: (95% or more days - 30; 85% to <95% days - 20; 75% to <85% - 15; 65% to <75% - 10; 55% to <65% - 5; <55% - 0)	30
अवधि के दौरान कंपनी को संपूर्ण अधिशेष की आपूर्ति करना (अर्थात किसी अन्य खिलाड़ी/प्रतिस्पर्धी/ऑपरेटर को दूध की आपूर्ति नहीं की गई है) - स्व-घोषणा और कंपनी द्वारा बाद में सत्यापन के आधार पर।	5
पिछले 5 वर्षों से सदस्य वर्ग (ए, बी, सी) में से किसी एक को बनाए रखना @ प्रत्येक वर्ष के लिए 6 अंक	30
महिलाओं के लिए 12वीं पास के लिए 5 अंक, स्नातक के लिए 10 अंक, स्नातकोत्तर के लिए 15 अंक	15
प्रशिक्षण में भाग लिया -(सदस्य प्रशिक्षण) 5 अंक(वीसीजी/एमआरजी प्रशिक्षण) 5 अंक(एलडीपी) नेतृत्व विकास कार्यक्रम/(निदेशक मंडल प्रशिक्षण कार्यक्रम) 10 अंक	20
कुल	100

v बोर्ड द्वारा गठित नामांकन समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे

i उस सदस्यता वर्ग से बोर्ड का एक उत्पादक-सदस्य निदेशक जिसके लिए रिक्ति उत्पन्न हुई है, बशर्ते कि ऐसा उत्पादक सदस्य निदेशक आगामी वार्षिक आम बैठक में सेवानिवृत्त न हो। यदि एक से अधिक उत्पादक-सदस्य अर्हता प्राप्त करते हैं, तो आपस में किसी समझौते के अभाव में, लॉटरी के माध्यम से एक एनसी सदस्य की पहचान की जाएगी। साथ ही, यदि उस वर्ग से कोई उत्पादक-सदस्य निदेशक उपलब्ध नहीं है, तो सभी उपस्थित निदेशकों की आपसी सहमति से या लॉटरी के माध्यम से किसी अन्य उत्पादक-सदस्य निदेशक की पहचान की जाएगी;

ii एक विशेषज्ञ निदेशक जो कंपनी के बोर्ड में हो; और

iii किसी प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान या किसी संस्था से एक विशेषज्ञ, जिसने उत्पादक स्वामित्व वाले उद्यमों के विकास के लिए उल्लेखनीय कार्य किया हो।

कंपनी का कंपनी सचिव 'नामांकन समिति' की सहायता करेगा और नामांकन समिति की बैठक के कार्यवृत्त सहित सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा।

vi 'नामांकन समिति' का कार्यकाल समिति की पहली बैठक की तारीख से लेकर कंपनी के बोर्ड को अपनी सिफारिश भेजने की तारीख तक होगा।

vii बोर्ड ऐसे संभावित सदस्यों की पहचान के लिए 'नामांकन समिति' द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करेगा।

इसके अतिरिक्त यह भी संकल्प लिया गया कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, कंपनी के निदेशक मंडल को ऐसे सभी कदम उठाने और ऐसे सभी कार्य, मामले और चीजें करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जिन्हें वह अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक और समीचीन समझे और इस संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह का निपटारा करे।

श्रीमती मिंटू कुमारी बगरिया (फोलियो नं.: 50926) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्याओं ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।



9. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी के बजट पर विचार और अनुमोदन करना।

9.1 श्रीमती मंजू (फोलियो नंबर: 70905) ने सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प को प्रस्तावित किया।

संकल्प संख्या: 9/10TH AGM:27.09.2025/2024-25

"संकल्प पारित किया गया कि 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए कंपनी का बजट, जैसा कि वार्षिक आम बैठक से पहले रखा गया था और इसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है।"

श्रीमती कृष्णा कँवर (फोलियो संख्या: 74926) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्याओं ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

बैठक में लेन-देन करने के लिए कोई अन्य कार्य नहीं होने के कारण, अध्यक्षा के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक संपन्न हुई।

बैठक का कार्यवृत्त: 04.10.2025 को दर्ज किया गया

दिनांक: 04.10.2025

अध्यक्षा

स्थान : अलवर



आयगत बजट वित्तीय वर्ष 2026-27			
क्रम	विवरण	माप की इकाई	प्रस्तावित बजट वित्त वर्ष 26-27
	कंपनी की कुल बिक्री	(लाख रुपये में)	118854.35
(I)	दूध खरीद मात्रा	(किलोग्राम प्रतिदिन)	545535
(II)	दूध परिचालन से आय	(लाख रुपये में)	101520.20
(III)	प्रोड्यूसर मूल्य / सदस्य प्रोत्साहन को शामिल करते हुए खरीद मूल्य	(लाख रुपये में)	88288.23
(IV)	सहायक मार्जिन	(लाख रुपये में)	2220.58
(V)	लोजिस्टिक लागत	(लाख रुपये में)	5864.62
(VI)	अन्य दूध खरीद / खरीद लागत	(लाख रुपये में)	3160.74
(VII)	स्थाई लागत	(लाख रुपये में)	1898.03
(VIII)	दूध परिचालन से लाभ / (हानि)	(लाख रुपये में)	88.01
(IX)	अनुदान सहायता-दूध परिचालन	(लाख रुपये में)	
(X)	अनुदान सहायता के बाद दूध परिचालन से लाभ / (हानि)	(लाख रुपये में)	88.01
(XI)	पीइएस परिचालन से आय	(लाख रुपये में)	73.97
(XII)	मदर डेयरी उत्पादों के बिक्री एवं वितरण से लाभ	(लाख रुपये में)	4.39
(XIII)	एग्गी वेल्यु चैन क्रियाओं से लाभ, बायोगेस	(लाख रुपये में)	3.41
(XIV)	घी, रसगुल्ला एवं गुलाबजामुन से आय	(लाख रुपये में)	181.10
(XV)	अन्य आय	(लाख रुपये में)	270.44
(XVI)	कर पूर्व लाभ / (हानि)	(लाख रुपये में)	621.31
पूँजीगत बजट वित्तीय वर्ष 2026-27			
क्रम	विवरण	माप की इकाई	प्रस्तावित बजट वित्त वर्ष 26-27
A	दूध परिचालन		
(I)	एमपीपी सेट अप लागत	(लाख रुपये में)	60.00
(II)	केन्स	(लाख रुपये में)	38.70
(III)	बीएमसी	(लाख रुपये में)	83.24
(IV)	एचओ सेट अप	(लाख रुपये में)	5.00
(V)	आईसीटी	(लाख रुपये में)	204.30
(VI)	डीपीएमसीयू	(लाख रुपये में)	420.00



(VII)	लेब उपकरण	(लाख रुपये में)	240.72
(VIII)	एएमसीयू	(लाख रुपये में)	9.00
(IX)	मार्केटिंग प्लान-सेटअप	(लाख रुपये में)	50.00
(X)	एमसीसी सेट अप	(लाख रुपये में)	200.00
	केपेक्स -दूध परिचालन	(लाख रुपये में)	1310.96
(XIII)	केपेक्स अनुदान सहायता -जिका से दूध परिचालन	(लाख रुपये में)	77.79
	स्वयं के कोष से केपेक्स	(लाख रुपये में)	1233.18
B	पीइएस परिचालन		
(V)	पीइएस कोलर आईडी	(लाख रुपये में)	9.67
	केपेक्स - पीइएस परिचालन	(लाख रुपये में)	9.67
(VI)	केपेक्स अनुदान सहायता नाबार्ड से पीइएस परिचालन	(लाख रुपये में)	8.00
	स्वयं के कोष से केपेक्स	(लाख रुपये में)	1.67

I	कुल केपेक्स	(लाख रुपये में)	1320.63
II	कुल केपेक्स अनुदान	(लाख रुपये में)	85.79
III	स्वयं के कोष से केपेक्स	(लाख रुपये में)	1234.85



सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

कोर्पोरेट पहचान संख्या : U01122RJ2016PTC049648

पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट संख्या 8-बी, रूपवास रोड, भवानी तोप, अलवर (राज.)-301002

टेलीफोन 0144-2330332

ई-मेल: alwar.mpc@gmail.com वेबसाइट www.sakhimilk.com

फॉर्म संख्या एमजीटी-11

प्रतिनिधि फॉर्म

[कंपनी अधिनियम की धारा 105(6) और (कंपनी प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19 (3) के अनुशरण में]

सदस्या का नाम	
पता	
ई मेल	
फोलियो संख्या	
सदस्यता कोड	

मै/हमऊपर लिखित कंपनी के अंशों की सदस्यता होते हुए एतद्वारा

- नाम.....
ई-मेल.....
फोलियो.....
हस्ताक्षर..... या उनकी अनुपस्थिति में,
- नाम.....
ई-मेल.....
फोलियो.....
हस्ताक्षर..... या उनकी अनुपस्थिति में,
- नाम.....
ई-मेल.....
फोलियो.....
हस्ताक्षर..... या उनकी अनुपस्थिति में

कंपनी की शुक्रवार, दिनांक 25 सितम्बर 2026 को दोपहर 01:15 बजे प्रताप ऑडिटोरियम, स्कीम न.-8, अलवर (राज.)-301001 अथवा किसी भी अन्य स्थान/समय पर होने वाली ग्यारहवीं वार्षिक आम सभा में मेरी तरफ से प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने और और आगे वर्णित प्रस्तावों के सम्बन्ध में वोट डालने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करती हूँ ।

क्रम स.	प्रस्ताव	मतदान		
		पक्ष में	विप क्ष में	तट स्थ
1	31 मार्च, 2026 को लेखापरीक्षित बैलेंस शीट, उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ-हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण तथा उस पर निदेशकों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार एवं अनुमोदन करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प पारित करना ।			



2	कंपनी की शेयर पूंजी पर सीमित रिटर्न (लाभांश) पर विचार करना और घोषित करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प पारित करना ।			
3	श्रीमती सुमन देवी (डीआईएन 10299351) (नो क्लास का प्रतिनिधित्व) जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होती हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं, के स्थान पर श्रीमती सीता ढाका (डीआईएन 11896498) (क्लास-सी का प्रतिनिधित्व) को निदेशक के रूप में विचार और नियुक्त करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में अपनाना।			
4	श्रीमती ललिता (डीआईएन 09678803) (क्लास-सी का प्रतिनिधित्व) को निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार करना और नियुक्त करना, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होती हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए योग्य हैं और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में अपनाना।			
5	श्रीमती पूनम कुमारी (डीआईएन 10301959) (नो क्लास का प्रतिनिधित्व) जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होती हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं, के स्थान पर श्रीमती दुर्गा देवी सैनी (डीआईएन 11896519) (क्लास-सी का प्रतिनिधित्व) को निदेशक के रूप में विचार और नियुक्त करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में अपनाना।			
6	श्रीमती सुमन शर्मा, अतिरिक्त निदेशक (डीआईएन 11411062) (नो क्लास का प्रतिनिधित्व) जोकि वित्त वर्ष 2025-26 के पैट्रोनेज डेटा के आधार पर निदेशक के तौर पर नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं, के स्थान पर श्रीमती पूनम (डीआईएन 11896537) (क्लास-बी का प्रतिनिधित्व) को निदेशक के रूप में विचार और नियुक्त करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में अपनाना।			
7	कंपनी के वैधानिक ऑडिटर की नियुक्ति पर विचार करने और उसे मंजूरी देने के लिए।			
8	कंपनी के अंतर्नियमों के लेखों में परिवर्तन पर विचार करने और अनुमोदन करने के लिए इस संबंध में निम्नलिखित विशेष प्रस्ताव पारित करना ।			
9	रूहानी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (मर्ज होने वाली कंपनी) का सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (मर्ज करने वाली कंपनी) में विलय ।			
10	वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कंपनी के बजट पर विचार और अनुमोदन करना।			

दिनांकसितम्बर 2026 को हस्ताक्षर किये गए ।

अंशधारक के हस्ताक्षर:

प्रतिनिधि के हस्ताक्षर:

नोट: ध्यान रहे की प्रतिनिधि फॉर्म ऊपर वर्णित आम सभा से 48 घंटे पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर पहुंचना आवश्यक है तथा प्रतिनिधि को कंपनी की सदस्यता होना अनिवार्य है ।

रूपये एक का
रेवेन्यू टिकट
लगाये



सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
कोर्पोरेट पहचान संख्या : U01122RJ2016PTC049648
पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट संख्या 8-बी, रूपवास रोड, भवानी तोप, अलवर (राज.)-301002
टेलीफोन 0144-2330332
ई-मेल: alwar.mpc@gmail.com वेबसाईट www.sakhimilk.com

प्राप्ति रसीद

फोलियो संख्या

--	--	--	--	--	--	--

सदस्या कोड

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

में.....निवासी.....
.....

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड की सदस्या हूँ। मैंने कंपनी द्वारा भेजी गयी ग्यारहवीं वार्षिक आम सभा का नोटिस सभी अनुलग्नकों सहित प्राप्त कर लिया है।

सदस्या के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान

दिनांक.....

स्थान.....



सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
 कोर्पोरेट पहचान संख्या : U01122RJ2016PTC049648
 पंजीकृत कार्यालय : प्लाट संख्या 8-बी, रूपवास रोड, भवानी तोप, अलवर (राज.)-301002
 टेलीफोन 0144-2330332
 ई-मेल: alwar.mpc@gmail.com वेबसाईट www.sakhimilk.com

उपस्थिति पर्ची

फोलियो संख्या

--	--	--	--	--	--	--

सदस्या कोड

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

मैं शुक्रवार 25 सितम्बर, 2026 को सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की ग्यारहवीं वार्षिक आम सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करती हूँ।

अंशधारक का नाम	
प्रतिनिधि का नाम	
अगर प्रतिनिधि सभा में भाग ले रही है तो	

(ए) उपस्थिति के लिए

(बी) उपस्थिति और वोट देने के लिए

अंशधारक/ प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

*जो लागू नहीं होता उसे काट दे

**सहमति फॉर्म**

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

कोर्पोरेट पहचान संख्या : U01122RJ2016PTC049648

पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट संख्या 8-बी, रूपवास रोड, भवानी तोप, अलवर (राज.)-301002

टेलीफोन 0144-2330332

ई-मेल: alwar.mpc@gmail.com वेबसाईट www.sakhimilk.com

सदस्या का नाम	
पता	
ई मेल	
फोलियो संख्या	
सदस्यता कोड	

मैं, ऊपर बताई गई कंपनी का सदस्य होने के नाते और कट-ऑफ तारीख यानी 17 अगस्त, 2026 को, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZN के तहत नीचे दिए गए प्रस्ताव के लिए अपनी सहमति देता हूँ:

प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव
1	रुहानी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (मर्ज होने वाली कंपनी) का सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (मर्ज करने वाली कंपनी) में विलय।

सदस्या के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान

दिनांक.....

स्थान.....

-----✂-----✂-----✂-----✂-----

नोट्स

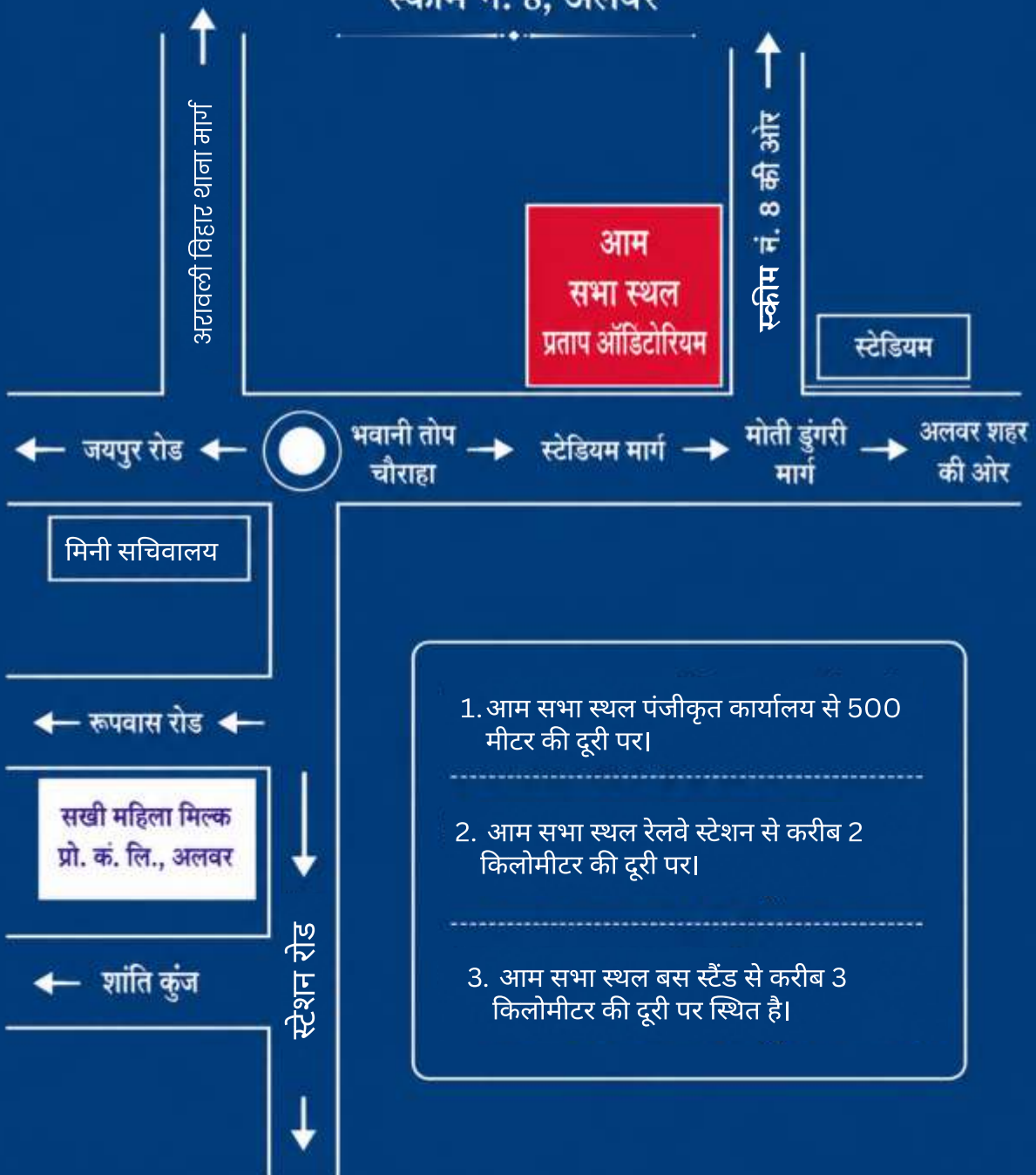
नोट्स

वार्षिक आम सभा स्थल का रूटमैप

वार्षिक आम सभा स्थल

प्रताप ऑडिटोरियम

स्कीम नं. 8, अलवर



आम
सभा स्थल
प्रताप ऑडिटोरियम

स्टेडियम

जयपुर रोड

भवानी तोप
चौराहा

स्टेडियम मार्ग

मोती डुंगरी
मार्ग

अलवर शहर
की ओर

मिनी सचिवालय

रूपवास रोड

सखी महिला मिल्क
प्रो. कं. लि., अलवर

शांति कुंड

स्टेशन रोड

1. आम सभा स्थल पंजीकृत कार्यालय से 500 मीटर की दूरी पर।

2. आम सभा स्थल रेलवे स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर।

3. आम सभा स्थल बस स्टैंड से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।



सखी

स्वाद में अपनापन,
गुणवत्ता में विश्वास



Sakhi Mahila Milk Producer Company Limited

Plot No. 8B, Roopwas Road, Near Bhawani Top Circle, Alwar-301002 (Raj.)

📍 admin@sakhimilk.com | ☎ 76653 58358 | 🌐 www.sakhimilk.com